राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण म.प्र. की 805वी बैठक दिनांक 06.09.2023 का कार्यवाही विवरण

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) मध्यप्रदेश की 805वीं बैठक दिनांक 06.09.2023 को श्री अरूण कुमार भट्ट, अध्यक्ष, राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण की अध्यक्षता में एप्को, पर्यावरण परिसर, भोपाल में सम्पन्न हुई बैठक में निम्न सदस्य स्वयं/विडियो कांफ्रेसिंग के माध्यम उपस्थित थे :–

1. श्री अनिल कुमार शर्मा, सदस्य, राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण।
2. श्री मुजीबुर्रहमान खान, सदस्य सचिव, राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण।

बैठक के प्रारंभ में प्रभारी अधिकारी, सचिवालय, राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण द्वारा अध्यक्ष एवं सदस्यों का स्वागत किया गया।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण द्वारा सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिये गये:–

क्र	प्रकरण क्र.	अधिसूचित श्रेणी	परियोजना	SEAC द्वारा अनुशंसित/परिवेश पोर्टल पर आवेदित	प्राधिकरण का निर्णय
1.	9393/2022	1(a)	फर्शीपत्थर खदान	पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति	स्वीकृत
2.	9780/2023	5(a)	सिंगल सुपर फास्फेट	पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति	स्वीकृत
3.	9184/2022	1(a)	चूनापत्थर खदान	पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति	स्वीकृत
4.	10097/2023	1(a)	पत्थर खदान	पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति	स्वीकृत
5.	10093/2023	1(a)	रेत खदान	पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति	स्वीकृत
6.	10094/2023	1(a)	रेत खदान	पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति	स्वीकृत
7.	10095/2023	1(a)	रेत खदान	पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति	स्वीकृत
8.	10115/2023	1(a)	रेत खदान	पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति	स्वीकृत
9.	10116/2023	1(a)	रेत खदान	पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति	पुनः परीक्षण हेतु SEAC को अग्रेषित
10.	10117/2023	1(a)	रेत खदान	पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति	स्वीकृत
11.	10118/2023	1(a)	रेत खदान	पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति	पुनः परीक्षण हेतु SEAC को अग्रेषित
12.	10119/2023	1(a)	रेत खदान	पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति	स्वीकृत
13.	10148/2023	1(a)	रेत खदान	पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति	पुनः परीक्षण हेतु SEAC को अग्रेषित
14.	10149/2023	1(a)	रेत खदान	पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति	स्वीकृत
15.	10150/2023	1(a)	रेत खदान	पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति	स्वीकृत
16.	10151/2023	1(a)	रेत खदान	पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति	स्वीकृत
17.	10152/2023	1(a)	रेत खदान	पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति	स्वीकृत
18.	10139/2023	1(a)	पत्थर एवं एम.सेण्ड खदान	पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति	स्वीकृत
19.	10140/2023	1(a)	पत्थर खदान	पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति	स्वीकृत

(मुजीबुर्रहमान खान)
सदस्य सचिव

(अनिल कुमार शर्मा)
सदस्य

(अरूण कुमार भट्ट)
अध्यक्ष

20.	9954/2023	5(f)	Antibiotics & Pharmaceuticals	पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति	स्वीकृत
अध्यक्ष महोदय की अनुमति से अतिरिक्त एजेण्डा					
21.	9762/2023	1(a)	पत्थर खदान	पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति	स्वीकृत
22.	10049/2023	1(a)	रेत खदान	निरस्त	Apply a fresh application
23.	10050/2023	1(a)	रेत खदान	निरस्त	Apply a fresh application
24.	10062/2023	1(a)	रेत खदान	निरस्त	Apply a fresh application
25.	10191/2023	5(g)	इथोनॉल यूनिट	पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति	स्वीकृत
A. नीतिगत निर्णय					
B. Compliance of order in execution application no. 07/2023(CZ) titled as Dharmendra Gayakwad Vs. MPIDC Ltd. & Ors. Related to Original Application No.22/2022(CZ)					

1. प्रकरण क्र. 9393/2022 परियोजना प्रस्तावक श्री किशोर कुमार आत्मज श्री करनसिंह, निवासी वार्ड नंबर 12, पोस्ट ऑफिस के सामने, तहसील रायसेन जिला रायसेन (म0प्र0) द्वारा फ्लैग स्टोन खदान, (ओपनकास्ट सेमी मैकेनाइज्ड विधि), उत्पादन क्षमता 4001 घनमीटर प्रतिवर्ष, रकबा 1.00 हे0, खसरा क्रमांक 254/1, ग्राम मुरैलकलां, तहसील रायसेन, जिला रायसेन (म.प्र.) की पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के लिये आवेदन।

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 669वी बैठक दिनांक 10.08.2023 में उक्त प्रकरण में मानक एवं अन्य शर्तो (परिशिष्ट–ए) सहित पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।

उक्त प्रकरण में SEAC की अनुशंसा ***" प्रकरण के प्रस्तुतीकरण के दौरान समिति ने पाया कि (गूगल एमेज अनुसार) इस क्षेत्र से लगे हुये माइनिंग क्षेत्र में पर्यावरणीय अभिस्वीकृति प्राप्त खदानों द्वारा ई.सी. की शर्तो का पालन होना परिलक्षित नहीं हो रहा है। अतः पर्यावरण स्वीकृति में शर्तो के पालन के विषय पर जिला खनन् कार्यालय के माध्यम से इनकी शर्तो के सत्यापन की आवश्यकता प्रतीत होती है ।"*** **अनुसार प्रस्तावित खदान के 500 मीटर की परिधि में संचालित अन्य खदानों में DEIAA/SEIAA द्वारा जारी पर्यावरण स्वीकृति की शर्तो का संबंधित परियोजना प्रस्तावक द्वारा परिपालन किया जा रहा है अथवा नहीं के संबंध में जिला कलेक्टर, रायसेन एवं म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को पत्र के माध्यम से सूचित किया जाये एवं प्रतिलिपि सदस्य सचिव, SEAC को भी प्रेषित की जाये।**

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण में पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत SEAC की 669वी बैठक दिनांक 10.08.2023 की अनुशंसा को मान्य करते हुए प्रकरण में विशिष्ट शर्तो (परिशिष्ट–1) के साथ निम्नलिखित अतिरिक्त शर्तो सहित पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया :–

(i) रायसेन जिले की अनुमोदित नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में विभाग द्वारा निर्धारित प्रक्रिया अनुरूप ही प्रक्रिया अपनाकर उक्त खदान की जानकारी (अक्षांश देशांश सहित) सम्मिलित करवाये जाने के

(मुजीबुर्रहमान खान)
सदस्य सचिव

(अनिल कुमार शर्मा)
सदस्य

(अरूण कुमार भट्ट)
अध्यक्ष

उपरांत ही उत्खनन कार्य प्रारंभ किया जायेगा एवं इस हेतु संबंधित खनिज अधिकारी द्वारा परिपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(ii) परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन गतिविधि शुरू करने से पहले **कच्ची सड़क से न्यूनतम 50 मीटर तक**" नो माइनिंग जोन" के रूप में हरित क्षेत्र विकसित किया जायेगा एवं उक्त क्षेत्र का सीमांकन राजस्व अधिकारियों द्वारा एवं खनिज अधिकारी की उपस्थिति में किया जायेगा। परियोजना प्रस्तावक द्वारा उपरोक्तानुसार निर्धारित दूरी (नो माईनिंग जोन) का सीमांकन करवाये जाने के उपरांत खनन योग्य उपलब्ध क्षेत्र की पुर्नरीक्षित खनन योजना तैयार कर सक्षम प्राधिकारी से अनिवार्यतः अनुमोदन प्राप्त कर खनन संक्रिया आरंभ की जाये।

(iii) **परियोजना प्रस्तावक द्वारा संभागीय आयुक्त भोपाल की अध्यक्षता में गठित समिति की बैठक दिनांक 04/09/2021 की अनुशंसा अनुसार** वन सीमा क्षेत्र की ओर वन मंडल अधिकारी के निर्देशन में चेनलिंग फेसिंग एवं ट्रेचिंग कार्य करेगा। वन मंडलाधिकारी के निर्देशन मे वन सीमा की ओर सघन वृक्षारोपण करेगा तथा वन भूमि के अंदर मलबा नही डालेगा **तथा अन्य सभी शर्तों का भी परिपालन सुनिश्चित किया जाये।**

(iv) **परियोजना प्रस्तावक जनसुनवाई के दौरान की गई प्रतिबद्धता अनुसार सभी आश्वासनों का अनुपालन सुनिश्चित करेगा एवं प्रत्येक छमाही अनुपालन प्रतिवेदन जमा करेगा।**

(v) परियोजना प्रस्तावक द्वारा SEAC की अनुशंसा अनुसार समस्त वृक्षारोपण कार्यों हेतु निर्धारित लक्ष्य का अनिवार्यतः परिपालन एवं निर्धारित समयावधि में क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जाये।

(vi) परियोजना प्रस्तावक द्वारा सीईआर गतिविधियों के क्रियान्वयन के संबंध में SEAC द्वारा अनुशंसित गतिविधियों के साथ ही जिला कलेक्टर की अनुशंसा पर संबंधित ग्रामीण क्षेत्र में स्थानीय आवश्यकता के दृष्टिगत जल जीवन मिशन के अंतर्गत पेयजल व्यवस्था, ग्रामीण क्षेत्र में वर्षा जल संचय कार्य, मौजूद जल स्त्रोतों के संरक्षण एवं जीणोद्वार कार्य, शासकीय स्कूल/आंगनबाड़ी की आवश्यकता के अनुरूप पेयजल एवं शौचालय निर्माण के साथ ही **उचित ढांचागत सुविधाएं विकसित करने** इत्यादि कार्य सुनिश्चित किये जायें।

(vii) परियोजना प्रस्तावक द्वारा उपरोक्तानुसार वृक्षारोपण एवं सीईआर गतिविधियों/कार्यों के क्रियान्वयन संबंधित अधिरोपित शर्तों का अनिवार्यतः परिपालन सुनिश्चित करते हुए ईआईए अधिसूचना 2006 में निहित प्रावधान अनुसार पर्यावरण स्वीकृति की समस्त शर्तों का प्रत्येक छः माही अनुपालन प्रतिवेदन फोटोग्राफ सहित क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार, SEIAA, म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण एवं संबंधित जिला कलेक्टर को अनिवार्यतः प्रस्तुत किया जायें।

परियोजना प्रस्तावक श्री किशोर कुमार आत्मज श्री करनसिंह, निवासी वार्ड नंबर 12, पोस्ट ऑफिस के सामने, तहसील रायसेन जिला रायसेन (म0प्र0) द्वारा फ्लैग स्टोन खदान, (ओपनकास्ट सेमी मैकेनाइज्ड विधि), उत्पादन क्षमता 4001 घनमीटर प्रतिवर्ष, रकबा 1.00 हे0, खसरा क्रमांक 254/1, ग्राम मुरैलकलां, तहसील रायसेन, जिला रायसेन (म.प्र.) की पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान की जाती है। संचालनालय भौमिकी तथा खनिकर्म के आदेश क्र. 6042–44 दिनांक 20.04.2022 के अनुसार 10 वर्ष की सैद्धान्तिक सहमति प्रदान की गई है, अतः यह पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति की वैधता दिनांक 19.04.2032 तक वैध मान्य रहेगी।

(मुजीबुर्रहमान खान)	(अनिल कुमार शर्मा)	(अरूण कुमार भट्ट)
सदस्य सचिव	सदस्य	अध्यक्ष

2. **Case No. 9780/2023:**Prior Environment Clearance for proposed Expansion of Fertilizer Plant, Plot No. 13A/2, Industrial Area No. 1, A.B. Road, District-Dewas (M.P.) - 455001 [Single Super Phosphate (Powder/Granules): 75,000 MTPA (Existing: 45, 000 MTPA + Proposed: 30,000 MTPA) by Shri Mayur Dubey, M/s. Agro Phos (India) Limited (APIL), M-87, Trade Centre, 18 South Tukoganj, District-Indore (M.P.)-455001 Cat. – 5(a) Chemical Fertilizers.

परियोजना हेतु SEAC की 669वी बैठक दिनांक 10.08.2023 को पर्यावरण स्वीकृति जारी किये जाने की अनुशंसा की गई है, जिसका कार्यवाही विवरण उक्त बैठक के पृष्ठ क्र. 04 से 63 पर अंकित है।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण में पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत एवं SEAC की 669वी बैठक **दिनांक 10.08.2023 की अनुशंसा को मान्य** करते हुए प्रकरण में निम्नलिखित अतिरिक्त शर्तों सहित **पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गयाः–**

(i) पानी की आवश्यकता को **Dewas water works pvt** से पूर्ति किया जाना सुनिश्चित करे ।

(ii) परियोजना प्रस्तावक द्वारा छः स्तरीय स्क्रबर सिस्टम इंस्टॉल/उपयोग किया जाए।

(iii) कच्चे माल के भंडारण में निम्नानुसार सावधानी रखी जाएः–

a. रॉक फॉस्फेट और अन्य सामग्रियों के परिवहन को केवल कवर किए गए वाहनों द्वारा किया जाना सुनिश्चित करें।

b. किसी भी छलकाव से बचने के लिए सभी रसायनों के भंडारण और रख रखाव को उचित तरीके सेसुनिश्चित करें।

c. भंडारण क्षेत्र में उचित फर्श और डाइक दीवार प्रदानकी जानी चाहिए।

(iv) MPPCB द्वारा जारी CTO का Compliane भी अनिवार्य रूप से किया जाना चाहिए।

(v) परियोजना प्रस्तावक द्वारा लोडिंग–अनलोडिंग क्षेत्र में वायुप्रदूषण नियंत्रण हेतु आवश्यक प्रावधान जैसे इस क्षेत्र के भूस्थल/ठोस सरफेस का विकास, क्षेत्र की साफ सफाई, इस क्षेत्र के अपशिष्ट का पर्यावरणीय दृष्टि कोण से निष्पादन एवं अन्य उपाये किए जाए।

(vi) अपशिष्ट जल के संबंध में परियोजना प्रस्तावक को निम्नानुसार कार्यवाही सुनिश्चित करना चाहिएः

a. Effluent को त्रिस्तरीय उपचार प्रणाली तक उपचारित करने के लिए प्रस्तावनानुसार ETP अनिवार्य रूप से नियोजन किया जाये। प्रक्रिया में विभिन्न इकाइयों से पुनः प्राप्त अपशिष्ट जल का पुनः उपयोग किया जाये ।

b. विभिन्न प्रसंस्करण इकाइयों, उपकरणों की सफाई, फर्श की धुलाई आदि से निकली अपशिष्ट जल को सेटलिंग टैंक में एकत्र किया जाना चाहिए और पुनः उपयोग किया जाना सुनिश्चित करे।

(मुजीबुर्रहमान खान)
सदस्य सचिव

(अनिल कुमार शर्मा)
सदस्य

(अरूण कुमार भट्ट)
अध्यक्ष

c. उपचारित अपशिष्ट जल का 100% पुनर्चक्रण होना चाहिए और उद्योग इकाई से" शून्य तरल निर्वहन" सुनिश्चित करे।

d. बारिश के पानी की निकासी के लिए स्टॉर्म वाटर निकासी की व्यवस्था की जानी चाहिए। प्रक्रिया अपशिष्ट जल को स्टॉर्मवाटर के साथ मिश्रित नहीं होने देना चाहिए।

e. परियोजना प्रस्तावक को उपचारित अपशिष्ट जल की नियमित निगरानी सुनिश्चित करनी चाहिए ताकि एमपीपीसीबी/सीपीसीबी के निर्धारित मानदंडों की पुष्टि की जा सके।

(vii) परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तावित वृक्षारोपण के साथ ही प्लांट के चारों ओर बाउन्ड्री के किनारे तीन कतारों में वृक्षों की उन प्रजाति का चयन कर सघन वृक्षारोपण किया जावें जिनमें प्रदूषण को अवशोषित करने की क्षमता हो।

(viii) 3178 वर्गमीटर के क्षेत्र में वृक्ष लगा कर हरितपट्टी का विकास किया जाये।सघन हरित क्षेत्र (33%से कम नहीं) साइट के चारों ओर विशेष रूप से प्रमुख हवा की दिशा में विकसित किया जाना चाहिए।

(ix) परियोजना प्रस्तावक द्वारा वेंटीलेशन एरिया के क्षेत्र में वायुप्रदूषण के नियंत्रण हेतु एक्टिवेटेड चारकोट फिल्टर का उपयोग किया जावें।

प्रकरण से संबंधित परियोजना प्रस्तावक/पर्यावरण सलाहकार द्वारा अभिप्रमाणित दस्तावेजों के आधार पर एवं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की 669वी बैठक दिनांक 10.08.2023 की कार्यवाही विवरण, अनुशंसा एवं अधिरोपित शर्तों को राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा मान्य करते हुए पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत सर्व सम्मति से विशिष्ट शर्तों के साथ उपरोक्त बिंदु i से viii एवं परिशिष्ट–4 को शर्तों में शामिल करते हुए परियोजना प्रस्तावक को पूर्व पर्यावरण स्वीकृति प्रदान की जाती है।

3. प्रकरण क्र. 9184/2022 परियोजना प्रस्तावक मेसर्स हुकमचंद स्टोन लाईम कंपनी, पार्टनर श्री ऋषभ कुमार जैन, निवासी बंगला मंदिर के पास, सावरकर वार्ड, जिला कटनी (म0प्र0) द्वारा चूना पत्थर खदान, (ओपनकास्ट सेमी मैकेनाइज्ड विधि), उत्पादन क्षमता लाईम स्टोन 23760 टन प्रतिवर्ष एवं ओबर वर्डन 15840 टन प्रतिवर्ष, रकबा 4.046 हे0, खसरा क्रमांक 17, 18/2, ग्राम भटूरा, तहसील मैहर जिला सतना (म.प्र.) की पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के लिये आवेदन।

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 669वी बैठक दिनांक 10.08.2023 में उक्त प्रकरण में मानक एवं अन्य शर्तो (परिशिष्ट–ए) सहित पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।

उक्त प्रकरण में SEAC की अनुशंसा *" प्रकरण के प्रस्तुतीकरण के दौरान समिति ने पाया कि (गूगल एमेज अनुसार) इस क्षेत्र से लगे हुये माइनिंग क्षेत्र में पर्यावरणीय अभिस्वीकृति प्राप्त खदानों द्वारा ई.सी. की शर्तो का पालन होना परिलक्षित नहीं हो रहा है। अतः पर्यावरण स्वीकृति में शर्तो के पालन के विषय पर जिला खनन् कार्यालय के माध्यम से इनकी शर्तो के सत्यापन की आवश्यकता प्रतीत होती है ।"* अनुसार प्रस्तावित खदान के 500 मीटर की परिधि में संचालित अन्य खदानों में DEIAA/SEIAA द्वारा जारी पर्यावरण स्वीकृति की शर्तों का संबंधित परियोजना प्रस्तावक द्वारा परिपालन किया जा रहा है अथवा नहीं के संबंध में जिला कलेक्टर, सतना एवं म.प्र.

(मुजीबुर्रहमान खान)	(अनिल कुमार शर्मा)	(अरूण कुमार भट्ट)
सदस्य सचिव	**सदस्य**	**अध्यक्ष**

प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को पत्र के माध्यम से सूचित किया जाये एवं प्रतिलिपि सदस्य सचिव, SEAC को भी प्रेषित की जाये।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण में पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत SEAC की 669वी बैठक दिनांक 10.08.2023 की अनुशंसा को मान्य करते हुए प्रकरण में विशिष्ट शर्तों (परिशिष्ट–3) के साथ निम्नलिखित अतिरिक्त शर्तों सहित पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया :–

(i) **परियोजना प्रस्तावक द्वारा संभागीय आयुक्त रीवा की अध्यक्षता में गठित समिति की बैठक दिनांक 16/01/2017 की अनुशंसा अनुसार** वन सीमा से 50 मीटर की दूरी छोड़ी जायेगी एवं वन क्षेत्र की ओर वन मंडल अधिकारी के निर्देशन में चेनलिंग फेसिंग एवं ट्रेचिंग कार्य करेगा। वन मंडलाधिकारी के निर्देशन मे वन सीमा की ओर सघन वृक्षारोपण करेगा तथा वन भूमि के अंदर मलबा नही डालेगा **तथा अन्य सभी शर्तों का भी परिपालन सुनिश्चित किया जाये।**

(ii) **परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन क्षेत्र में ब्लास्टिंग एवं विस्फोटक का प्रयोग नहीं किया जायेगा एवं खनन क्षेत्र में ब्लास्टिंग ना किये जाने का प्रदर्शन डिस्प्ले बोर्ड पर किया जायें।**

(iii) **परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन क्षेत्र में मौजूद वृक्षों को काटा नहीं जायेगा एवं उनका संरक्षण किया जायेगा।**

(iv) **परियोजना प्रस्तावक जनसुनवाई के दौरान की गई प्रतिबद्धता अनुसार सभी आश्वासनों का अनुपालन सुनिश्चित करेगा एवं प्रत्येक छमाही अनुपालन प्रतिवेदन जमा करेगा।**

(v) परियोजना प्रस्तावक द्वारा SEAC की अनुशंसा अनुसार समस्त वृक्षारोपण कार्यों हेतु निर्धारित लक्ष्य का अनिवार्यतः परिपालन एवं निर्धारित समयावधि में क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जाये।

(vi) परियोजना प्रस्तावक द्वारा सीईआर गतिविधियों के क्रियान्वयन के संबंध में SEAC द्वारा अनुशंसित गतिविधियों के साथ ही जिला कलेक्टर की अनुशंसा पर संबंधित ग्रामीण क्षेत्र में स्थानीय आवश्यकता के दृष्टिगत जल जीवन मिशन के अंतर्गत पेयजल व्यवस्था, ग्रामीण क्षेत्र में वर्षा जल संचय कार्य, मौजूद जल स्त्रोतों के संरक्षण एवं जीणोद्धार कार्य, शासकीय स्कूल/आंगनबाड़ी की आवश्यकता के अनुरूप पेयजल एवं शौचालय निर्माण के साथ ही **उचित ढांचागत सुविधाएं विकसित करने** इत्यादि कार्य सुनिश्चित किये जायें।

(vii) परियोजना प्रस्तावक द्वारा उपरोक्तानुसार वृक्षारोपण एवं सीईआर गतिविधियों/कार्यों के क्रियान्वयन संबंधित अधिरोपित शर्तों का अनिवार्यतः परिपालन सुनिश्चित करते हुए ईआईए अधिसूचना 2006 में निहित प्रावधान अनुसार पर्यावरण स्वीकृति की समस्त शर्तों का प्रत्येक छः माही अनुपालन प्रतिवेदन फोटोग्राफ सहित क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार, SEIAA, म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण एवं संबंधित जिला कलेक्टर को अनिवार्यतः प्रस्तुत किया जायें।

परियोजना प्रस्तावक मेसर्स हुकमचंद स्टोन लाईम कंपनी, पार्टनर श्री ऋषभ कुमार जैन, निवासी बंगला मंदिर के पास, सावरकर वार्ड, जिला कटनी (म0प्र0) द्वारा चूना पत्थर खदान, (ओपनकास्ट सेमी मैकेनाइज्ड विधि), उत्पादन क्षमता लाईम स्टोन 23760 टन प्रतिवर्ष एवं ओबर वर्डन 15840 टन प्रतिवर्ष, रकबा 4.046 हे0, खसरा क्रमांक 17, 18/2, ग्राम भटूरा, तहसील मैहर जिला सतना (म.प्र.) की पूर्व

(मुजीबुर्रहमान खान)
सदस्य सचिव

(अनिल कुमार शर्मा)
सदस्य

(अरूण कुमार भट्ट)
अध्यक्ष

पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान की जाती है। खनिज विभाग सतना द्वारा निष्पादित लीज अनुबंध दिनांक 01.11.2018 अनुसार उक्त खदान की अवधि दिनांक 27.11.2002 से 26.11.2042 तक स्वीकृत है। अतः यह पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति की वैधता दिनांक 26.11.2042 तक वैध मान्य रहेगी।

4. **प्रकरण क्र. 10097/2023 परियोजना प्रस्तावक मेसर्स आर. जी. बिल्डवेल इंजीनियर्स लिमिटेड, महाप्रबंधक श्री अमर सिंह मिंगवाल, निवासी बी–30, आर.डी.सी. राजनगर, जिला गाजियाबाद (यू0पी0) द्वारा पत्थर खदान, (ओपनकास्ट सेमी मैकेनाइज्ड विधि), उत्पादन क्षमता 1,25,000 घनमीटर प्रतिवर्ष, रकबा 2.00 हे0, खसरा क्रमांक 1/1/1, ग्राम रूहाना, तहसील मुंगावली जिला अशोकनगर (म.प्र.) की पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के लिये आवेदन।**

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 669वी बैठक दिनांक 10.08.2023 में उक्त प्रकरण में मानक एवं अन्य शर्तो (परिशिष्ट–ए) सहित पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण में पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत SEAC की 669वी बैठक दिनांक 10.08.2023 की अनुशंसा को मान्य करते हुए प्रकरण में विशिष्ट शर्तों (परिशिष्ट–1) के साथ निम्नलिखित अतिरिक्त शर्तों सहित पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया :–

(i) **अशोकनगर जिले की अनुमोदित नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में विभाग द्वारा निर्धारित प्रक्रिया अनुरूप ही प्रक्रिया अपनाकर उक्त खदान की जानकारी (अक्षांश देशांश सहित) सम्मिलित करवाये जाने के उपरांत ही उत्खनन कार्य प्रारंभ किया जायेगा एवं इस हेतु संबंधित खनिज अधिकारी द्वारा परिपालन सुनिश्चित किया जायेगा।**

(ii) परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन गतिविधि शुरू करने से पहले **हाईटेंशन लाईन से न्यूनतम 50 मीटर तक**" नो माइनिंग जोन" के रूप में हरित क्षेत्र विकसित किया जायेगा एवं उक्त क्षेत्र का सीमांकन राजस्व अधिकारियों द्वारा एवं खनिज अधिकारी की उपस्थिति में किया जायेगा। परियोजना प्रस्तावक द्वारा उपरोक्तानुसार निर्धारित दूरी (नो माईनिंग जोन) का सीमांकन करवाये जाने के उपरांत खनन योग्य उपलब्ध क्षेत्र की पुर्नरीक्षित खनन योजना तैयार कर सक्षम प्राधिकारी से अनिवार्यतः अनुमोदन प्राप्त कर खनन संक्रिया आरंभ की जाये।

(iii) **परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन क्षेत्र में मौजूद वृक्षों को काटा नहीं जायेगा एवं उनका संरक्षण किया जायेगा।**

(iv) परियोजना प्रस्तावक द्वारा SEAC की अनुशंसा अनुसार समस्त वृक्षारोपण कार्यों हेतु निर्धारित लक्ष्य का अनिवार्यतः परिपालन एवं निर्धारित समयावधि में क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जाये।

(v) परियोजना प्रस्तावक द्वारा सीईआर गतिविधियों के क्रियान्वयन के संबंध में SEAC द्वारा अनुशंसित गतिविधियों के साथ ही जिला कलेक्टर की अनुशंसा पर संबंधित ग्रामीण क्षेत्र में स्थानीय आवश्यकता के दृष्टिगत जल जीवन मिशन के अंतर्गत पेयजल व्यवस्था, ग्रामीण क्षेत्र में वर्षा जल संचय कार्य, मौजूद जल स्त्रोतों के संरक्षण एवं जीणोद्धार कार्य, शासकीय स्कूल/आंगनबाड़ी की

(मुजीबुर्रहमान खान)	(अनिल कुमार शर्मा)	(अरूण कुमार भट्ट)
सदस्य सचिव	सदस्य	अध्यक्ष

आवश्यकता के अनुरूप पेयजल एवं शौचालय निर्माण के साथ ही **उचित ढांचागत सुविधाएं विकसित करने** इत्यादि कार्य सुनिश्चित किये जायें।

(vi) परियोजना प्रस्तावक द्वारा उपरोक्तानुसार वृक्षारोपण एवं सीईआर गतिविधियों/कार्यों के क्रियान्वयन संबंधित अधिरोपित शर्तों का अनिवार्यतः परिपालन सुनिश्चित करते हुए ईआईए अधिसूचना 2006 में निहित प्रावधान अनुसार पर्यावरण स्वीकृति की समस्त शर्तों का प्रत्येक छः माही अनुपालन प्रतिवेदन फोटोग्राफ सहित क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार, SEIAA, म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण एवं संबंधित जिला कलेक्टर को अनिवार्यतः प्रस्तुत किया जायें।

परियोजना प्रस्तावक मेसर्स आर. जी. बिल्डवेल इंजीनियर्स लिमिटेड, महाप्रबंधक श्री अमर सिंह मिंगवाल, निवासी बी–30, आर.डी.सी. राजनगर, जिला गाजियाबाद (यू0पी0) द्वारा पत्थर खदान, (ओपनकास्ट सेमी मैकेनाइज्ड विधि), उत्पादन क्षमता 1,25,000 घनमीटर प्रतिवर्ष, रकबा 2.00 हे0, खसरा क्रमांक 1/1/1, ग्राम रूहाना, तहसील मुंगावली जिला अशोकनगर (म.प्र.) की पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान की जाती है। कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) अशोकनगर के पत्र क्र. 406 दिनांक 11.04.2023 एवं अनुमोदित खनन योजना पत्र क्र. 477 दिनांक 28.04.2023 अनुसार लीज अवधि दिनांक 02.02.2025 तक स्वीकृत है। अतः यह पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति की वैधता दिनांक 02.02.2025 तक वैध मान्य रहेगी।

5. **प्रकरण क्र. 10093/2023 परियोजना प्रस्तावक म.प्र. स्टेट माईनिंग कार्पोरेशन लि., अधिकृत व्यक्ति श्री आशीष सिंह, निवासी पर्यावास भवन, ब्लाक ए, द्वितीय तल, जेल रोड़, अरेरा हिल्स, जिला भोपाल (म0प्र0) द्वारा रेत खदान, (ओपनकास्ट मैनुअल विधि), उत्पादन क्षमता 14,100 घनमीटर प्रतिवर्ष (SEAC द्वारा अनुशंसित), रकबा 4.740 हे0, खसरा क्रमांक 503, 596, ग्राम मुस्तारा, तहसील भाण्डेर, जिला दतिया (म.प्र.) की पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के लिये आवेदन।**

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 669वीं बैठक दिनांक 10.08.2023 में उक्त प्रकरण में मानक एवं अन्य शर्तो (परिशिष्ट–बी) सहित पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण में पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत एवं SEAC की 669वीं बैठक दिनांक 10.08.2023 की अनुशंसा को मान्य करते हुए प्रकरण में विशिष्ट शर्तों (परिशिष्ट–2) के साथ निम्नलिखित अतिरिक्त शर्तों सहित पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया:–

I. **परियोजना प्रस्तावक द्वारा SEAC की अनुशंसा अनुसार जलमग्न क्षेत्र 1.92 हेक्टेयर को "नो माईनिंग जोन" छोड़ते हुए 2.82 हेक्टेयर क्षेत्र पर ही खनन कार्य किया जायेगा। परियोजना प्रस्तावक द्वारा उपरोक्तानुसार नो माईनिंग जोन का सीमांकन करवाये जाने के उपरांत खनन योग्य उपलब्ध क्षेत्र की पुर्नरीक्षित खनन योजना (रेत पुर्नभरण अध्ययन सहित) तैयार कर सक्षम प्राधिकारी से अनिवार्यतः अनुमोदन प्राप्त करने के पश्चात् ही खनन संक्रिया आरंभ की जाये।**

II. **परियोजना प्रस्तावक द्वारा ग्रामसभा से अनापत्ति मय ठहराव प्रस्ताव के साथ प्राप्त करने के उपरांत ही खनन संक्रिया आरंभ की जाये।**

(मुजीबुर्रहमान खान) सदस्य सचिव | (अनिल कुमार शर्मा) सदस्य | (अरूण कुमार भट्ट) अध्यक्ष

III. परियोजना प्रस्तावक द्वारा SEAC **की अनुशंसा अनुसार** वृक्षारोपण हेतु निर्धारित कार्य एवं लक्ष्य की पूर्ति संबंधित वनमंडलाधिकारी, वन विभाग के माध्यम से क्रियान्वित करवाई जाये। इस हेतु आवश्यक निर्धारित राशि शासन के नियमानुसार वन विभाग के FDA एकाउंट मे जमा की जाये।

IV. परियोजना प्रस्तावक द्वारा सीईआर गतिविधियों के क्रियान्वयन के संबंध में SEAC द्वारा अनुशंसित गतिविधियों के साथ ही जिला कलेक्टर की अनुशंसा पर संबंधित ग्रामीण क्षेत्र में स्थानीय आवश्यकता के दृष्टिगत जल जीवन मिशन के अंतर्गत पेयजल व्यवस्था, ग्रामीण क्षेत्र में वर्षा जल संचय कार्य, मौजूद जल स्त्रोतों के संरक्षण एवं जीणोद्धार कार्य, शासकीय स्कूल/आंगनबाड़ी की आवश्यकता के अनुरूप पेयजल एवं शौचालय निर्माण के साथ ही **उचित ढांचागत सुविधाएं विकसित करने** इत्यादि कार्य सुनिश्चित किये जायें। **यदि आवश्यक हो तो परियोजना प्रस्तावक द्वारा उपरोक्त शर्तों के परिपालन हेतु नियमानुसार आवश्यक राशि जिला प्रशासन में जमा करवाकर सी.ई.आर. गतिविधियें का क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जाये।**

V. परियोजना प्रस्तावक द्वारा उपरोक्तानुसार वृक्षारोपण एवं सीईआर गतिविधियों/कार्यों के क्रियान्वयन संबंधित अधिरोपित शर्तों का अनिवार्यतः परिपालन सुनिश्चित करते हुए ईआईए अधिसूचना 2006 में निहित प्रावधान अनुसार पर्यावरण स्वीकृति की समस्त शर्तों का प्रत्येक छः माही अनुपालन प्रतिवेदन फोटोग्राफ सहित क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार, SEIAA, म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण एवं संबंधित जिला कलेक्टर को अनिवार्यतः प्रस्तुत किया जायें।

परियोजना प्रस्तावक म.प्र. स्टेट माईनिंग कार्पोरेशन लि., अधिकृत व्यक्ति श्री आशीष सिंह, निवासी पर्यावास भवन, ब्लाक ए, द्वितीय तल, जेल रोड़, अरेरा हिल्स, जिला भोपाल (म0प्र0) द्वारा रेत खदान, (ओपनकास्ट मैनुअल विधि), उत्पादन क्षमता 14,100 घनमीटर प्रतिवर्ष (SEAC द्वारा अनुशंसित), रकबा 4. 740 हे0, खसरा क्रमांक 503, 596, ग्राम मुस्तारा, तहसील भाण्डेर, जिला दतिया (म.प्र.) की पूर्व पर्यावरण स्वीकृति प्रदान की जाती है जिसकी वैधता Sustainable Sand Mining Guidelines 2016 के परिपालन में पर्यावरण स्वीकृति पत्र दिनांक से अधिकतम 5 वर्ष तक वैध मान्य रहेगी।

6. **प्रकरण क्र. 10094/2023 परियोजना प्रस्तावक म.प्र. स्टेट माईनिंग कार्पोरेशन लि., अधिकृत व्यक्ति श्री आशीष सिंह, निवासी पर्यावास भवन, ब्लाक ए, द्वितीय तल, जेल रोड़, अरेरा हिल्स, जिला भोपाल (म0प्र0) द्वारा रेत खदान, (ओपनकास्ट मैनुअल विधि), उत्पादन क्षमता 28,800 घनमीटर प्रतिवर्ष (SEAC द्वारा अनुशंसित), रकबा 4.80 हे0, खसरा क्रमांक 587, 646, 654, ग्राम अस्टोट, तहसील भाण्डेर, जिला दतिया (म.प्र.) की पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के लिये आवेदन।**

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 669वीं बैठक दिनांक 10.08.2023 में उक्त प्रकरण में मानक एवं अन्य शर्तो (परिशिष्ट–बी) सहित पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण में पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत एवं SEAC की 669वीं बैठक दिनांक 10.08.2023 की अनुशंसा को मान्य करते हुए प्रकरण में विशिष्ट शर्तों (परिशिष्ट–2) के साथ निम्नलिखित अतिरिक्त शर्तों सहित पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गयाः–

(मुजीबुर्रहमान खान)	(अनिल कुमार शर्मा)	(अरूण कुमार भट्ट)
सदस्य सचिव	सदस्य	अध्यक्ष

I. **परियोजना प्रस्तावक द्वारा SEAC की अनुशंसा अनुसार जलमग्न क्षेत्र 1.92 हेक्टेयर को "नो माईनिंग जोन" छोड़ते हुए 2.88 हेक्टेयर क्षेत्र पर ही खनन कार्य किया जायेगा। परियोजना प्रस्तावक द्वारा उपरोक्तानुसार नो माईनिंग जोन का सीमांकन करवाये जाने के उपरांत खनन योग्य उपलब्ध क्षेत्र की पुर्नरीक्षित खनन योजना (रेत पुर्नभरण अध्ययन सहित) तैयार कर सक्षम प्राधिकारी से अनिवार्यतः अनुमोदन प्राप्त करने के पश्चात् ही खनन संक्रिया आरंभ की जाये।**

II. **परियोजना प्रस्तावक द्वारा ग्रामसभा से अनापत्ति मय ठहराव प्रस्ताव के साथ प्राप्त करने के उपरांत ही खनन संक्रिया आरंभ की जाये।**

III. परियोजना प्रस्तावक द्वारा SEAC **की अनुशंसा अनुसार** वृक्षारोपण हेतु निर्धारित कार्य एवं लक्ष्य की पूर्ति संबंधित वनमंडलाधिकारी, वन विभाग के माध्यम से क्रियान्वित करवाई जाये। इस हेतु आवश्यक निर्धारित राशि शासन के नियमानुसार वन विभाग के FDA एकाउंट मे जमा की जाये।

IV. परियोजना प्रस्तावक द्वारा सीईआर गतिविधियों के क्रियान्वयन के संबंध में SEAC द्वारा अनुशंसित गतिविधियों के साथ ही जिला कलेक्टर की अनुशंसा पर संबंधित ग्रामीण क्षेत्र में स्थानीय आवश्यकता के दृष्टिगत जल जीवन मिशन के अंतर्गत पेयजल व्यवस्था, ग्रामीण क्षेत्र में वर्षा जल संचय कार्य, मौजूद जल स्त्रोतों के संरक्षण एवं जीणोद्धार कार्य, शासकीय स्कूल/आंगनबाड़ी की आवश्यकता के अनुरूप पेयजल एवं शौचालय निर्माण के साथ ही **उचित ढांचागत सुविधाएं विकसित करने** इत्यादि कार्य सुनिश्चित किये जायें। **यदि आवश्यक हो तो परियोजना प्रस्तावक द्वारा उपरोक्त शर्तों के परिपालन हेतु नियमानुसार आवश्यक राशि जिला प्रशासन में जमा करवाकर सी.ई.आर. गतिविधियों का क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जाये।**

V. परियोजना प्रस्तावक द्वारा उपरोक्तानुसार वृक्षारोपण एवं सीईआर गतिविधियों/कार्यों के क्रियान्वयन संबंधित अधिरोपित शर्तों का अनिवार्यतः परिपालन सुनिश्चित करते हुए ईआईए अधिसूचना 2006 में निहित प्रावधान अनुसार पर्यावरण स्वीकृति की समस्त शर्तों का प्रत्येक छः माही अनुपालन प्रतिवेदन फोटोग्राफ सहित क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार, SEIAA, म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण एवं संबंधित जिला कलेक्टर को अनिवार्यतः प्रस्तुत किया जायें।

परियोजना प्रस्तावक म.प्र. स्टेट माईनिग कार्पोरेशन लि., अधिकृत व्यक्ति श्री आशीष सिंह, निवासी पर्यावास भवन, ब्लाक ए, द्वितीय तल, जेल रोड़, अरेरा हिल्स, जिला भोपाल (म0प्र0) द्वारा रेत खदान, (ओपनकास्ट मैनुअल विधि), उत्पादन क्षमता 28,800 घनमीटर प्रतिवर्ष (SEAC द्वारा अनुशंसित), रकबा 4.80 हे0, खसरा क्रमांक 587, 646, 654, ग्राम अस्टोट, तहसील भाण्डेर, जिला दतिया (म.प्र.) की पूर्व पर्यावरण स्वीकृति प्रदान की जाती है जिसकी वैधता Sustainable Sand Mining Guidelines 2016 के परिपालन में पर्यावरण स्वीकृति पत्र दिनांक से अधिकतम 5 वर्ष तक वैध मान्य रहेगी।

7. **प्रकरण क्र. 10095/2023 परियोजना प्रस्तावक म.प्र. स्टेट माईनिग कार्पोरेशन लि., अधिकृत व्यक्ति श्री आशीष सिंह, निवासी पर्यावास भवन, ब्लाक ए, द्वितीय तल, जेल रोड़, अरेरा हिल्स, जिला भोपाल (म0प्र0) द्वारा रेत खदान, (ओपनकास्ट मैनुअल विधि), उत्पादन क्षमता 18,000 घनमीटर प्रतिवर्ष (SEAC द्वारा अनुशंसित), रकबा 3.00 हे0, खसरा क्रमांक 01, ग्राम अजीतपुरा–1, तहसील भाण्डेर, जिला दतिया (म.प्र.) की पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के लिये आवेदन।**

(मुजीबुर्रहमान खान)	(अनिल कुमार शर्मा)	(अरूण कुमार भट्ट)
सदस्य सचिव	सदस्य	अध्यक्ष

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 669वीं बैठक दिनांक 10.08.2023 में उक्त प्रकरण में मानक एवं अन्य शर्तो (परिशिष्ट–बी) सहित पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण में पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत एवं SEAC की 669वीं बैठक दिनांक 10.08.2023 की अनुशंसा को मान्य करते हुए प्रकरण में विशिष्ट शर्तों (परिशिष्ट–2) के साथ निम्नलिखित अतिरिक्त शर्तों सहित पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गयाः–

I. परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन गतिविधि शुरू करने से पहले **मानब बसाहट से न्यूनतम 100 मीटर तक**" नो माइनिंग जोन" के रूप में हरित क्षेत्र विकसित किया जायेगा एवं उक्त क्षेत्र का सीमांकन राजस्व अधिकारियों द्वारा एवं खनिज अधिकारी की उपस्थिति में किया जायेगा। परियोजना प्रस्तावक द्वारा उपरोक्तानुसार निर्धारित दूरी (नो माईनिंग जोन) का सीमांकन करवाये जाने के उपरांत खनन योग्य उपलब्ध क्षेत्र की पुर्नरीक्षित खनन योजना तैयार कर सक्षम प्राधिकारी से अनिवार्यतः अनुमोदन प्राप्त कर खनन संक्रिया आरंभ की जाये।

II. **परियोजना प्रस्तावक द्वारा SEAC की अनुशंसा अनुसार जलमग्न क्षेत्र 1.20 हेक्टेयर को "नो माईनिंग जोन" छोड़ते हुए 1.80 हेक्टेयर क्षेत्र पर ही खनन कार्य किया जायेगा। परियोजना प्रस्तावक द्वारा उपरोक्तानुसार नो माईनिंग जोन का सीमांकन करवाये जाने के उपरांत खनन योग्य उपलब्ध क्षेत्र की पुर्नरीक्षित खनन योजना (रेत पुर्नभरण अध्ययन सहित) तैयार कर सक्षम प्राधिकारी से अनिवार्यतः अनुमोदन प्राप्त करने के पश्चात् ही खनन संक्रिया आरंभ की जाये।**

III. **परियोजना प्रस्तावक द्वारा ग्रामसभा से अनापत्ति मय ठहराव प्रस्ताव के साथ प्राप्त करने के उपरांत ही खनन संक्रिया आरंभ की जाये।**

IV. परियोजना प्रस्तावक द्वारा SEAC **की अनुशंसा अनुसार** वृक्षारोपण हेतु निर्धारित कार्य एवं लक्ष्य की पूर्ति संबंधित वनमंडलाधिकारी, वन विभाग के माध्यम से क्रियान्वित करवाई जाये। इस हेतु आवश्यक निर्धारित राशि शासन के नियमानुसार वन विभाग के FDA एकाउंट मे जमा की जाये।

V. परियोजना प्रस्तावक द्वारा सीईआर गतिविधियों के क्रियान्वयन के संबंध में SEAC द्वारा अनुशंसित गतिविधियों के साथ ही जिला कलेक्टर की अनुशंसा पर संबंधित ग्रामीण क्षेत्र में स्थानीय आवश्यकता के दृष्टिगत जल जीवन मिशन के अंतर्गत पेयजल व्यवस्था, ग्रामीण क्षेत्र में वर्षा जल संचय कार्य, मौजूद जल स्त्रोतों के संरक्षण एवं जीणोद्धार कार्य, शासकीय स्कूल/आंगनबाड़ी की आवश्यकता के अनुरूप पेयजल एवं शौचालय निर्माण के साथ ही **उचित ढांचागत सुविधाएं विकसित करने** इत्यादि कार्य सुनिश्चित किये जायें। **यदि आवश्यक हो तो परियोजना प्रस्तावक द्वारा उपरोक्त शर्तों के परिपालन हेतु नियमानुसार आवश्यक राशि जिला प्रशासन में जमा करवाकर सी.ई.आर. गतिविधियों का क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जाये।**

VI. परियोजना प्रस्तावक द्वारा उपरोक्तानुसार वृक्षारोपण एवं सीईआर गतिविधियों/कार्यों के क्रियान्वयन संबंधित अधिरोपित शर्तों का अनिवार्यतः परिपालन सुनिश्चित करते हुए ईआईए अधिसूचना 2006 में निहित प्रावधान अनुसार पर्यावरण स्वीकृति की समस्त शर्तों का प्रत्येक छः माही अनुपालन प्रतिवेदन फोटोग्राफ सहित क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन

(मुजीबुर्रहमान खान)	(अनिल कुमार शर्मा)	(अरूण कुमार भट्ट)
सदस्य सचिव	सदस्य	अध्यक्ष

मंत्रालय भारत सरकार, SEIAA, म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण एवं संबंधित जिला कलेक्टर को अनिवार्यतः प्रस्तुत किया जायें।

परियोजना प्रस्तावक म.प्र. स्टेट माईनिग कार्पोरेशन लि., अधिकृत व्यक्ति श्री आशीष सिंह, निवासी पर्यावास भवन, ब्लाक ए, द्वितीय तल, जेल रोड़, अरेरा हिल्स, जिला भोपाल (म0प्र0) द्वारा रेत खदान, (ओपनकास्ट मैनुअल विधि), उत्पादन क्षमता 18,000 घनमीटर प्रतिवर्ष (SEAC द्वारा अनुशंसित), रकबा 3.00 हे0, खसरा क्रमांक 01, ग्राम अजीतपुरा–1, तहसील भाण्डेर, जिला दतिया (म.प्र.) की पूर्व पर्यावरण स्वीकृति प्रदान की जाती है जिसकी वैधता Sustainable Sand Mining Guidelines 2016 के परिपालन में पर्यावरण स्वीकृति पत्र दिनांक से अधिकतम 5 वर्ष तक वैध मान्य रहेगी।

8. **प्रकरण क्र. 10115/2023 परियोजना प्रस्तावक म.प्र. स्टेट माईनिग कार्पोरेशन लि., अधिकृत व्यक्ति श्री ओमकार दुबे, निवासी पर्यावास भवन, ब्लाक ए, द्वितीय तल, जेल रोड़, अरेरा हिल्स, जिला भोपाल (म0प्र0) द्वारा रेत खदान, (ओपनकास्ट मैनुअल विधि), उत्पादन क्षमता 6,000 घनमीटर प्रतिवर्ष (SEAC द्वारा अनुशंसित), रकबा 0.50 हे0, खसरा क्रमांक 283, ग्राम खैरघाट, तहसील कुरई, जिला सिवनी (म.प्र.) की पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के लिये आवेदन।**

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 669वीं बैठक दिनांक 10.08.2023 में उक्त प्रकरण में मानक एवं अन्य शर्तो (परिशिष्ट–बी) सहित पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण में पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत एवं SEAC की 669वीं बैठक दिनांक 10.08.2023 की अनुशंसा को मान्य करते हुए प्रकरण में विशिष्ट शर्तों (परिशिष्ट–2) के साथ निम्नलिखित अतिरिक्त शर्तों सहित पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गयाः–

I. **परियोजना प्रस्तावक द्वारा SEAC की अनुशंसा अनुसार जलमग्न क्षेत्र 0.20 हेक्टेयर को "नो माईनिंग जोन" छोड़ते हुए 0.30 हेक्टेयर क्षेत्र पर ही खनन कार्य किया जायेगा। परियोजना प्रस्तावक द्वारा उपरोक्तानुसार नो माईनिंग जोन का सीमांकन करवाये जाने के उपरांत खनन योग्य उपलब्ध क्षेत्र की पुर्नरीक्षित खनन योजना (रेत पुर्नभरण अध्ययन सहित) तैयार कर सक्षम प्राधिकारी से अनिवार्यतः अनुमोदन प्राप्त करने के पश्चात् ही खनन संक्रिया आरंभ की जाये।**

II. **परियोजना प्रस्तावक द्वारा ग्रामसभा से अनापत्ति मय ठहराव प्रस्ताव के साथ प्राप्त करने के उपरांत ही खनन संक्रिया आरंभ की जाये।**

III. परियोजना प्रस्तावक द्वारा SEAC **की अनुशंसा अनुसार** वृक्षारोपण हेतु निर्धारित कार्य एवं लक्ष्य की पूर्ति संबंधित वनमंडलाधिकारी, वन विभाग के माध्यम से क्रियान्वित करवाई जाये। इस हेतु आवश्यक निर्धारित राशि शासन के नियमानुसार वन विभाग के FDA एकाउंट मे जमा की जाये।

IV. परियोजना प्रस्तावक द्वारा सीईआर गतिविधियों के क्रियान्वयन के संबंध में SEAC द्वारा अनुशंसित गतिविधियों के साथ ही जिला कलेक्टर की अनुशंसा पर संबंधित ग्रामीण क्षेत्र में स्थानीय आवश्यकता के दृष्टिगत जल जीवन मिशन के अंतर्गत पेयजल व्यवस्था, ग्रामीण क्षेत्र में वर्षा जल संचय कार्य, मौजूद जल स्त्रोतों के संरक्षण एवं जीणोद्धार कार्य, शासकीय स्कूल/आंगनबाड़ी की आवश्यकता के अनुरूप पेयजल एवं शौचालय निर्माण के साथ ही **उचित**

(मुजीबुर्रहमान खान)	(अनिल कुमार शर्मा)	(अरूण कुमार भट्ट)
सदस्य सचिव	सदस्य	अध्यक्ष

ढांचागत सुविधाएं विकसित करने इत्यादि कार्य सुनिश्चित किये जायें। यदि आवश्यक हो तो परियोजना प्रस्तावक द्वारा उपरोक्त शर्तों के परिपालन हेतु नियमानुसार आवश्यक राशि जिला प्रशासन में जमा करवाकर सी.ई.आर. गतिविधियें का क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जाये।

V. परियोजना प्रस्तावक द्वारा उपरोक्तानुसार वृक्षारोपण एवं सीईआर गतिविधियों/कार्यों के क्रियान्वयन संबंधित अधिरोपित शर्तों का अनिवार्यतः परिपालन सुनिश्चित करते हुए ईआईए अधिसूचना 2006 में निहित प्रावधान अनुसार पर्यावरण स्वीकृति की समस्त शर्तों का प्रत्येक छः माही अनुपालन प्रतिवेदन फोटोग्राफ सहित क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार, SEIAA, म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण एवं संबंधित जिला कलेक्टर को अनिवार्यतः प्रस्तुत किया जायें।

परियोजना प्रस्तावक म.प्र. स्टेट माईनिग कार्पोरेशन लि., अधिकृत व्यक्ति श्री ओमकार दुबे, निवासी पर्यावास भवन, ब्लाक ए, द्वितीय तल, जेल रोड़, अरेरा हिल्स, जिला भोपाल (म0प्र0) द्वारा रेत खदान, (ओपनकास्ट मैनुअल विधि), उत्पादन क्षमता 6,000 घनमीटर प्रतिवर्ष (SEAC द्वारा अनुशंसित), रकबा 0.50 हे0, खसरा क्रमांक 283, ग्राम खैरघाट, तहसील कुरई, जिला सिवनी (म.प्र.) की पूर्व पर्यावरण स्वीकृति प्रदान की जाती है जिसकी वैधता Sustainable Sand Mining Guidelines 2016 के परिपालन में पर्यावरण स्वीकृति पत्र दिनांक से अधिकतम 5 वर्ष तक वैध मान्य रहेगी।

9. **प्रकरण क्र. 10116/2023 परियोजना प्रस्तावक म.प्र. स्टेट माईनिग कार्पोरेशन लि., अधिकृत व्यक्ति श्री ओमकार दुबे, निवासी पर्यावास भवन, ब्लाक ए, द्वितीय तल, जेल रोड़, अरेरा हिल्स, जिला भोपाल (म0प्र0) द्वारा रेत खदान, (ओपनकास्ट मैनुअल विधि), उत्पादन क्षमता 5670 घनमीटर प्रतिवर्ष (SEAC द्वारा अनुशंसित), रकबा 3.00 हे0, खसरा क्रमांक 732, 406, ग्राम चिमनाखारी–तालखाखुर्द, तहसील बरघाट, जिला सिवनी (म.प्र.) की पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के लिये आवेदन।**

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 669वीं बैठक दिनांक 10.08.2023 में उक्त प्रकरण में मानक एवं अन्य शर्तो (परिशिष्ट–बी) सहित पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण में पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत निम्नानुसार निर्णय लिया गयाः–

परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत अनुमोदित खनन योजना के अक्षांश देशांश के आधार गूगल ईमेज के अनुसार खदान क्षेत्र के डाउन स्ट्रीम में 600 मीटर पर एक मेजर ब्रिज परिलक्षित है।

भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा जारी Sustainable Sand Mining Guidelines 2016 तथा Enforcement and Monitoring Guidelines for Sand 2020 में दिये गये प्रावधान *"Sand and gravel shall not be extracted up to a distance of 1 kilometre (1 km) from major bridges and highways on both sides, or five times (5x) of the span (x) of a bridge/public civil structure (including water intake points) on up-stream side and ten times (10x) the span of such bridge on down-stream side"* अनुसार मेजर ब्रिज से निर्धारित दूरी छोडने के पश्चात खनन हेतु क्षेत्र उपलब्ध नहीं होता है। अतः

(मुजीबुर्रहमान खान)
सदस्य सचिव

(अनिल कुमार शर्मा)
सदस्य

(अरूण कुमार भट्ट)
अध्यक्ष

प्रकरण पुनः परीक्षण हेतु SEAC को अग्रेषित किया जाये। तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को सूचित किया जाये।

10. **प्रकरण क्र. 10117/2023 परियोजना प्रस्तावक म.प्र. स्टेट माईनिग कार्पोरेशन लि., अधिकृत व्यक्ति श्री ओमकार दुबे, निवासी पर्यावास भवन, ब्लाक ए, द्वितीय तल, जेल रोड़, अरेरा हिल्स, जिला भोपाल (म0प्र0) द्वारा रेत खदान, (ओपनकास्ट मैनुअल विधि), उत्पादन क्षमता 18000 घनमीटर प्रतिवर्ष (SEAC द्वारा अनुशंसित), रकबा 3.50 हे0, खसरा क्रमांक 54, ग्राम बेलपेठ, तहसील कुरई, जिला सिवनी (म.प्र.) की पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के लिये आवेदन।**

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 669वीं बैठक दिनांक 10.08.2023 में उक्त प्रकरण में मानक एवं अन्य शर्तो (परिशिष्ट–बी) सहित पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण में पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत एवं SEAC की 669वीं बैठक दिनांक 10.08.2023 की अनुशंसा को मान्य करते हुए प्रकरण में विशिष्ट शर्तों (परिशिष्ट–2) के साथ निम्नलिखित अतिरिक्त शर्तों सहित पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गयाः–

I. **परियोजना प्रस्तावक द्वारा SEAC की अनुशंसा अनुसार जलमग्न क्षेत्र 1.50 हेक्टेयर को "नो माईनिंग जोन" छोड़ते हुए 2.00 हेक्टेयर क्षेत्र पर ही खनन कार्य किया जायेगा। परियोजना प्रस्तावक द्वारा उपरोक्तानुसार नो माईनिंग जोन का सीमांकन करवाये जाने के उपरांत खनन योग्य उपलब्ध क्षेत्र की पुर्नरीक्षित खनन योजना (रेत पुर्नभरण अध्ययन सहित) तैयार कर सक्षम प्राधिकारी से अनिवार्यतः अनुमोदन प्राप्त करने के पश्चात् ही खनन संक्रिया आरंभ की जाये।**

II. **परियोजना प्रस्तावक द्वारा ग्रामसभा से अनापत्ति मय ठहराव प्रस्ताव के साथ प्राप्त करने के उपरांत ही खनन संक्रिया आरंभ की जाये।**

III. परियोजना प्रस्तावक द्वारा SEAC **की अनुशंसा अनुसार** वृक्षारोपण हेतु निर्धारित कार्य एवं लक्ष्य की पूर्ति संबंधित वनमंडलाधिकारी, वन विभाग के माध्यम से क्रियान्वित करवाई जाये। इस हेतु आवश्यक निर्धारित राशि शासन के नियमानुसार वन विभाग के FDA एकाउंट मे जमा की जाये।

IV. परियोजना प्रस्तावक द्वारा सीईआर गतिविधियों के क्रियान्वयन के संबंध में SEAC द्वारा अनुशंसित गतिविधियों के साथ ही जिला कलेक्टर की अनुशंसा पर संबंधित ग्रामीण क्षेत्र में स्थानीय आवश्यकता के दृष्टिगत जल जीवन मिशन के अंतर्गत पेयजल व्यवस्था, ग्रामीण क्षेत्र में वर्षा जल संचय कार्य, मौजूद जल स्त्रोतों के संरक्षण एवं जीणोद्धार कार्य, शासकीय स्कूल/आंगनबाड़ी की आवश्यकता के अनुरूप पेयजल एवं शौचालय निर्माण के साथ ही **उचित ढांचागत सुविधाएं विकसित करने** इत्यादि कार्य सुनिश्चित किये जायें। **यदि आवश्यक हो तो परियोजना प्रस्तावक द्वारा उपरोक्त शर्तों के परिपालन हेतु नियमानुसार आवश्यक राशि जिला प्रशासन में जमा करवाकर सी.ई.आर. गतिविधियों का क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जाये।**

V. परियोजना प्रस्तावक द्वारा उपरोक्तानुसार वृक्षारोपण एवं सीईआर गतिविधियों/कार्यों के क्रियान्वयन संबंधित अधिरोपित शर्तों का अनिवार्यतः परिपालन सुनिश्चित करते हुए ईआईए अधिसूचना 2006 में निहित प्रावधान अनुसार पर्यावरण स्वीकृति की समस्त शर्तों का प्रत्येक छः

(मुजीबुर्रहमान खान)
सदस्य सचिव

(अनिल कुमार शर्मा)
सदस्य

(अरूण कुमार भट्ट)
अध्यक्ष

माही अनुपालन प्रतिवेदन फोटोग्राफ सहित क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार, SEIAA, म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण एवं संबंधित जिला कलेक्टर को अनिवार्यतः प्रस्तुत किया जायें।

परियोजना प्रस्तावक म.प्र. स्टेट माईनिग कार्पोरेशन लि., अधिकृत व्यक्ति श्री ओमकार दुबे, निवासी पर्यावास भवन, ब्लाक ए, द्वितीय तल, जेल रोड़, अरेरा हिल्स, जिला भोपाल (म0प्र0) द्वारा रेत खदान, (ओपनकास्ट मैनुअल विधि), उत्पादन क्षमता 18000 घनमीटर प्रतिवर्ष (SEAC द्वारा अनुशंसित), रकबा 3.50 हे0, खसरा क्रमांक 54, ग्राम बेलपेठ, तहसील कुरई, जिला सिवनी (म.प्र.) की पूर्व पर्यावरण स्वीकृति प्रदान की जाती है जिसकी वैधता Sustainable Sand Mining Guidelines 2016 के परिपालन में पर्यावरण स्वीकृति पत्र दिनांक से अधिकतम 5 वर्ष तक वैध मान्य रहेगी।

11. **प्रकरण क्र. 10118/2023 परियोजना प्रस्तावक म.प्र. स्टेट माईनिग कार्पोरेशन लि., अधिकृत व्यक्ति श्री ओमकार दुबे, निवासी पर्यावास भवन, ब्लाक ए, द्वितीय तल, जेल रोड़, अरेरा हिल्स, जिला भोपाल (म0प्र0) द्वारा रेत खदान, (ओपनकास्ट मैनुअल विधि), उत्पादन क्षमता 23760 घनमीटर प्रतिवर्ष (SEAC द्वारा अनुशंसित), रकबा 2.40 हे0, खसरा क्रमांक 513, ग्राम खण्डासा, तहसील कुरई, जिला सिवनी (म.प्र.) की पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के लिये आवेदन।**

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 669वीं बैठक दिनांक 10.08.2023 में उक्त प्रकरण में मानक एवं अन्य शर्तो (परिशिष्ट–बी) सहित पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण में पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत निम्नानुसार निर्णय लिया गयाः–

परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत अनुमोदित खनन योजना के अक्षांश देशांश के आधार गूगल ईमेज के अनुसार खदान क्षेत्र के डाउन स्ट्रीम में 187 मीटर पर एक रपटा ब्रिज परिलक्षित है।

भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा जारी Sustainable Sand Mining Guidelines 2016 तथा Enforcement and Monitoring Guidelines for Sand 2020 में दिये गये प्रावधान *"Sand and gravel shall not be extracted up to a distance of 1 kilometre (1 km) from major bridges and highways on both sides, or five times (5x) of the span (x) of a bridge/public civil structure (including water intake points) on up-stream side and ten times (10x) the span of such bridge on down-stream side, subjected to a minimum of 250 meters on the upstream side and 500 meters on the downstream side"* अनुसार रपटा ब्रिज से निर्धारित दूरी छोडने के पश्चात खनन हेतु क्षेत्र उपलब्ध नहीं होता है। अतः प्रकरण पुनः परीक्षण हेतु SEAC को अग्रेषित किया जाये। तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को सूचित किया जाये।

(मुजीबुर्रहमान खान)	(अनिल कुमार शर्मा)	(अरूण कुमार भट्ट)
सदस्य सचिव	सदस्य	अध्यक्ष

12. **प्रकरण क्र. 10119/2023 परियोजना प्रस्तावक म.प्र. स्टेट माईनिग कार्पोरेशन लि., अधिकृत व्यक्ति श्री ओमकार दुबे, निवासी पर्यावास भवन, ब्लाक ए, द्वितीय तल, जेल रोड़, अरेरा हिल्स, जिला भोपाल (म0प्र0) द्वारा रेत खदान, (ओपनकास्ट मैनुअल विधि), उत्पादन क्षमता 15000 घनमीटर प्रतिवर्ष (SEAC द्वारा अनुशंसित), रकबा 5.00 हे0, खसरा क्रमांक 01, ग्राम मण्डी–केकड़ई, तहसील बरघाट, जिला सिवनी (म.प्र.) की पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के लिये आवेदन।**

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 669वीं बैठक दिनांक 10.08.2023 में उक्त प्रकरण में मानक एवं अन्य शर्तो (परिशिष्ट–बी) सहित पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण में पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत एवं SEAC की 669वीं बैठक दिनांक 10.08.2023 की अनुशंसा को मान्य करते हुए प्रकरण में विशिष्ट शर्तों (परिशिष्ट–2) के साथ निम्नलिखित अतिरिक्त शर्तों सहित पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गयाः–

I. **परियोजना प्रस्तावक द्वारा SEAC की अनुशंसा अनुसार जलमग्न क्षेत्र 2.00 हेक्टेयर को "नो माईनिंग जोन" छोड़ते हुए 3.00 हेक्टेयर क्षेत्र पर ही खनन कार्य किया जायेगा। परियोजना प्रस्तावक द्वारा उपरोक्तानुसार नो माईनिंग जोन का सीमांकन करवाये जाने के उपरांत खनन योग्य उपलब्ध क्षेत्र की पुर्नरीक्षित खनन योजना (रेत पुर्नभरण अध्ययन सहित) तैयार कर सक्षम प्राधिकारी से अनिवार्यतः अनुमोदन प्राप्त करने के पश्चात् ही खनन संक्रिया आरंभ की जाये।**

II. परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन गतिविधि शुरू करने से पहले **पक्के रोड़ ब्रिज से न्यूनतम 600 मीटर तक**" नो माइनिंग जोन" के रूप में हरित क्षेत्र विकसित किया जायेगा एवं उक्त क्षेत्र का सीमांकन राजस्व अधिकारियों द्वारा एवं खनिज अधिकारी की उपस्थिति में किया जायेगा। परियोजना प्रस्तावक द्वारा उपरोक्तानुसार निर्धारित दूरी (नो माईनिंग जोन) का सीमांकन करवाये जाने के उपरांत खनन योग्य उपलब्ध क्षेत्र की पुर्नरीक्षित खनन योजना तैयार कर सक्षम प्राधिकारी से अनिवार्यतः अनुमोदन प्राप्त कर खनन संक्रिया आरंभ की जाये।

III. **परियोजना प्रस्तावक द्वारा Enforcement and Monitoring Guidelines for Sand 2020 की कंडिका नं. 4.3 (p) अनुसार 1000 मीटर के प्रत्येक ब्लॉक के बाद 50 मीटर का बफर अनिवार्यतः रखा जाना सुनिश्चित करें।**

IV. **परियोजना प्रस्तावक द्वारा ग्रामसभा से अनापत्ति मय ठहराव प्रस्ताव के साथ प्राप्त करने के उपरांत ही खनन संक्रिया आरंभ की जाये।**

V. परियोजना प्रस्तावक द्वारा **SEAC की अनुशंसा अनुसार** वृक्षारोपण हेतु निर्धारित कार्य एवं लक्ष्य की पूर्ति संबंधित वनमंडलाधिकारी, वन विभाग के माध्यम से क्रियान्वित करवाई जाये। इस हेतु आवश्यक निर्धारित राशि शासन के नियमानुसार वन विभाग के FDA एकाउंट मे जमा की जाये।

VI. परियोजना प्रस्तावक द्वारा सीईआर गतिविधियों के क्रियान्वयन के संबंध में SEAC द्वारा अनुशंसित गतिविधियों के साथ ही जिला कलेक्टर की अनुशंसा पर संबंधित ग्रामीण क्षेत्र में स्थानीय आवश्यकता के दृष्टिगत जल जीवन मिशन के अंतर्गत पेयजल व्यवस्था, ग्रामीण क्षेत्र में वर्षा जल संचय कार्य, मौजूद जल स्त्रोतों के संरक्षण एवं जीणोद्धार कार्य, शासकीय

(मुजीबुर्रहमान खान)
सदस्य सचिव

(अनिल कुमार शर्मा)
सदस्य

(अरूण कुमार भट्ट)
अध्यक्ष

स्कूल/आंगनबाड़ी की आवश्यकता के अनुरूप पेयजल एवं शौचालय निर्माण के साथ ही **उचित ढांचागत सुविधाएं विकसित करने** इत्यादि कार्य सुनिश्चित किये जायें। **यदि आवश्यक हो तो परियोजना प्रस्तावक द्वारा उपरोक्त शर्तों के परिपालन हेतु नियमानुसार आवश्यक राशि जिला प्रशासन में जमा करवाकर सी.ई.आर. गतिविधियों का क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जाये।**

VII. परियोजना प्रस्तावक द्वारा उपरोक्तानुसार वृक्षारोपण एवं सीईआर गतिविधियों/कार्यों के क्रियान्वयन संबंधित अधिरोपित शर्तों का अनिवार्यतः परिपालन सुनिश्चित करते हुए ईआईए अधिसूचना 2006 में निहित प्रावधान अनुसार पर्यावरण स्वीकृति की समस्त शर्तों का प्रत्येक छः माही अनुपालन प्रतिवेदन फोटोग्राफ सहित क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार, SEIAA, म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण एवं संबंधित जिला कलेक्टर को अनिवार्यतः प्रस्तुत किया जायें।

परियोजना प्रस्तावक म.प्र. स्टेट माईनिग कार्पोरेशन लि., अधिकृत व्यक्ति श्री ओमकार दुबे, **निवासी पर्यावास भवन, ब्लाक ए, द्वितीय** तल, जेल रोड़, अरेरा हिल्स, जिला भोपाल (म0प्र0) द्वारा रेत खदान, (ओपनकास्ट मैनुअल विधि), **उत्पादन क्षमता 15000** घनमीटर प्रतिवर्ष (**SEAC द्वारा अनुशंसित), रकबा 5.00 हे0, खसरा क्रमांक 01, ग्राम मण्डी–केकड़ई,** तहसील बरघाट, जिला सिवनी (म.प्र.) की **पूर्व पर्यावरण स्वीकृति प्रदान की जाती है जिसकी वैधता Sustainable Sand Mining Guidelines 2016 के परिपालन में पर्यावरण स्वीकृति पत्र दिनांक से अधिकतम 5 वर्ष तक वैध मान्य रहेगी।**

13. **प्रकरण क्र. 10148/2023 परियोजना प्रस्तावक म.प्र. स्टेट माईनिग कार्पोरेशन लि., अधिकृत व्यक्ति श्री आशीष सिंह, निवासी पर्यावास भवन, ब्लाक ए, द्वितीय तल, जेल रोड़, अरेरा हिल्स, जिला भोपाल (म0प्र0) द्वारा रेत खदान, (ओपनकास्ट मैनुअल विधि), उत्पादन क्षमता 24,768 घनमीटर प्रतिवर्ष (SEAC द्वारा अनुशंसित), रकबा 4.60 हे0, खसरा क्रमांक 765, 2222, ग्राम रूहेरा, तहसील सेंवढ़ा, जिला दतिया (म.प्र.) की पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के लिये आवेदन।**

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 669वीं बैठक दिनांक 10.08.2023 में उक्त प्रकरण में मानक एवं अन्य शर्तो (परिशिष्ट–बी) सहित पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण में पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत निम्नानुसार निर्णय लिया गयाः–

परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत अनुमोदित खनन योजना के अक्षांश देशांश के आधार गूगल ईमेज के अनुसार खदान क्षेत्र के पूर्व दिशा में 805 मीटर की दूरी पक्का रोड़ ब्रिज परिलक्षित है परंतु SEAC समिति द्वारा प्रकरण में *"यह खदान सिंध नदी में स्थित है तथा खदान क्षेत्र दो भागों में विभक्त है दोनों भाग के बीच मे से एक रोड ब्रिज स्थित है। जिसके संबंध में परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि रोड ब्रिज से दक्षिणी एंव उत्तरी भागों की दूरी क्रमशः 850 एंव 1500 मी. है। खनन कार्य मात्र उत्तरी भाग से किया जावेगा एंव दक्षिणी भाग को गैर खनन क्षेत्र के रूप रखा जायेगा"* **की अनुशंसा की गई है जो कि गूगल ईमेज अनुसार परिलक्षित नहीं है। पर डाउन स्ट्रीम में 187 मीटर पर एक रपटा ब्रिज परिलक्षित है। अतः प्रकरण पुनः परीक्षण हेतु SEAC को अग्रेषित किया जाये। तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को सूचित किया जाये।**

(मुजीबुर्रहमान खान)	(अनिल कुमार शर्मा)	(अरूण कुमार भट्ट)
सदस्य सचिव	सदस्य	अध्यक्ष

14. **प्रकरण क्र. 10149/2023 परियोजना प्रस्तावक म.प्र. स्टेट माईनिंग कार्पोरेशन लि., अधिकृत व्यक्ति श्री आशीष सिंह, निवासी पर्यावास भवन, ब्लाक ए, द्वितीय तल, जेल रोड़, अरेरा हिल्स, जिला भोपाल (म0प्र0) द्वारा रेत खदान, (ओपनकास्ट मैनुअल विधि), उत्पादन क्षमता 27,600 घनमीटर प्रतिवर्ष (SEAC द्वारा अनुशंसित), रकबा 4.60 हे0, खसरा क्रमांक 1/1, ग्राम कुतोली, तहसील भाण्डेर, जिला दतिया (म.प्र.) की पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के लिये आवेदन।**

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 669वीं बैठक दिनांक 10.08.2023 में उक्त प्रकरण में मानक एवं अन्य शर्तो (परिशिष्ट–बी) सहित पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण में पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत एवं SEAC की 669वीं बैठक दिनांक 10.08.2023 की अनुशंसा को मान्य करते हुए प्रकरण में विशिष्ट शर्तों (परिशिष्ट–2) के साथ निम्नलिखित अतिरिक्त शर्तों सहित पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गयाः–

I. **परियोजना प्रस्तावक द्वारा SEAC की अनुशंसा अनुसार जलमग्न क्षेत्र 3.22 हेक्टेयर को "नो माईनिंग जोन" छोड़ते हुए 1.38 हेक्टेयर क्षेत्र पर ही खनन कार्य किया जायेगा। परियोजना प्रस्तावक द्वारा उपरोक्तानुसार नो माईनिंग जोन का सीमांकन करवाये जाने के उपरांत खनन योग्य उपलब्ध क्षेत्र की पुर्नरीक्षित खनन योजना (रेत पुर्नभरण अध्ययन सहित) तैयार कर सक्षम प्राधिकारी से अनिवार्यतः अनुमोदन प्राप्त करने के पश्चात् ही खनन संक्रिया आरंभ की जाये।**

II. **परियोजना प्रस्तावक द्वारा ग्रामसभा से अनापत्ति मय ठहराव प्रस्ताव के साथ प्राप्त करने के उपरांत ही खनन संक्रिया आरंभ की जाये।**

III. परियोजना प्रस्तावक द्वारा SEAC **की अनुशंसा अनुसार** वृक्षारोपण हेतु निर्धारित कार्य एवं लक्ष्य की पूर्ति संबंधित वनमंडलाधिकारी, वन विभाग के माध्यम से क्रियान्वित करवाई जाये। इस हेतु आवश्यक निर्धारित राशि शासन के नियमानुसार वन विभाग के FDA एकाउंट मे जमा की जाये।

IV. परियोजना प्रस्तावक द्वारा सीईआर गतिविधियों के क्रियान्वयन के संबंध में SEAC द्वारा अनुशंसित गतिविधियों के साथ ही जिला कलेक्टर की अनुशंसा पर संबंधित ग्रामीण क्षेत्र में स्थानीय आवश्यकता के दृष्टिगत जल जीवन मिशन के अंतर्गत पेयजल व्यवस्था, ग्रामीण क्षेत्र में वर्षा जल संचय कार्य, मौजूद जल स्त्रोतों के संरक्षण एवं जीणोद्धार कार्य, शासकीय स्कूल/आंगनबाड़ी की आवश्यकता के अनुरूप पेयजल एवं शौचालय निर्माण के साथ ही **उचित ढांचागत सुविधाएं विकसित करने** इत्यादि कार्य सुनिश्चित किये जायें। **यदि आवश्यक हो तो परियोजना प्रस्तावक द्वारा उपरोक्त शर्तों के परिपालन हेतु नियमानुसार आवश्यक राशि जिला प्रशासन में जमा करवाकर सी.ई.आर. गतिविधियों का क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जाये।**

V. परियोजना प्रस्तावक द्वारा उपरोक्तानुसार वृक्षारोपण एवं सीईआर गतिविधियों/कार्यों के क्रियान्वयन संबंधित अधिरोपित शर्तों का अनिवार्यतः परिपालन सुनिश्चित करते हुए ईआईए अधिसूचना 2006 में निहित प्रावधान अनुसार पर्यावरण स्वीकृति की समस्त शर्तों का प्रत्येक छः माही अनुपालन प्रतिवेदन फोटोग्राफ सहित क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन

(मुजीबुर्रहमान खान)	(अनिल कुमार शर्मा)	(अरूण कुमार भट्ट)
सदस्य सचिव	सदस्य	अध्यक्ष

मंत्रालय भारत सरकार, SEIAA, म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण एवं संबंधित जिला कलेक्टर को अनिवार्यतः प्रस्तुत किया जायें।

परियोजना प्रस्तावक म.प्र. स्टेट माईनिग कार्पोरेशन लि., अधिकृत व्यक्ति श्री आशीष सिंह, निवासी पर्यावास भवन, ब्लाक ए, द्वितीय तल, जेल रोड़, अरेरा हिल्स, जिला भोपाल (म0प्र0) द्वारा रेत खदान, (ओपनकास्ट मैनुअल विधि), उत्पादन क्षमता 27,600 घनमीटर प्रतिवर्ष (SEAC द्वारा अनुशंसित), रकबा 4.60 हे0, खसरा क्रमांक 1/1, ग्राम कुतोली, तहसील भाण्डेर, जिला दतिया (म.प्र.) की पूर्व पर्यावरण स्वीकृति प्रदान की जाती है जिसकी वैधता Sustainable Sand Mining Guidelines 2016 के परिपालन में पर्यावरण स्वीकृति पत्र दिनांक से अधिकतम 5 वर्ष तक वैध मान्य रहेगी।

15. **प्रकरण क्र. 10150/2023 परियोजना प्रस्तावक म.प्र. स्टेट माईनिग कार्पोरेशन लि., अधिकृत व्यक्ति श्री आशीष सिंह, निवासी पर्यावास भवन, ब्लाक ए, द्वितीय तल, जेल रोड़, अरेरा हिल्स, जिला भोपाल (म0प्र0) द्वारा रेत खदान, (ओपनकास्ट मैनुअल विधि), उत्पादन क्षमता 44,100 घनमीटर प्रतिवर्ष (SEAC द्वारा अनुशंसित), रकबा 4.90 हे0, खसरा क्रमांक 1048, ग्राम बेरछ, तहसील भाण्डेर, जिला दतिया (म.प्र.) की पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के लिये आवेदन।**

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 669वीं बैठक दिनांक 10.08.2023 में उक्त प्रकरण में मानक एवं अन्य शर्तो (परिशिष्ट–बी) सहित पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण में पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत एवं SEAC की 669वीं बैठक दिनांक 10.08.2023 की अनुशंसा को मान्य करते हुए प्रकरण में विशिष्ट शर्तों (परिशिष्ट–2) के साथ निम्नलिखित अतिरिक्त शर्तों सहित पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया:–

I. परियोजना प्रस्तावक द्वारा SEAC **की** अनुशंसा अनुसार जलमग्न **क्षेत्र 1.96 हेक्टेयर को "नो माईनिंग जोन" छोड़ते हुए 2.94 हेक्टेयर क्षेत्र पर ही** खनन कार्य किया **जायेगा। परियोजना प्रस्तावक द्वारा उपरोक्तानुसार नो माईनिंग जोन का सीमांकन करवाये जाने के उपरांत खनन योग्य उपलब्ध क्षेत्र की पुर्नरीक्षित खनन योजना (रेत पुर्नभरण अध्ययन सहित) तैयार कर सक्षम प्राधिकारी से अनिवार्यतः अनुमोदन प्राप्त करने के पश्चात् ही खनन संक्रिया आरंभ की जाये।**

II. परियोजना प्रस्तावक द्वारा **Enforcement and Monitoring Guidelines for Sand 2020 की कंडिका नं. 4.3 (p) अनुसार 1000 मीटर के प्रत्येक ब्लॉक के बाद 50 मीटर का बफर अनिवार्यतः रखा जाना सुनिश्चित करें।**

III. **परियोजना प्रस्तावक द्वारा ग्रामसभा से अनापत्ति मय ठहराव प्रस्ताव के साथ प्राप्त करने के उपरांत ही खनन संक्रिया आरंभ की जाये।**

IV. परियोजना प्रस्तावक द्वारा SEAC **की अनुशंसा अनुसार** वृक्षारोपण हेतु निर्धारित कार्य एवं लक्ष्य की पूर्ति संबंधित वनमंडलाधिकारी, वन विभाग के माध्यम से क्रियान्वित करवाई जाये। इस हेतु आवश्यक निर्धारित राशि शासन के नियमानुसार वन विभाग के FDA एकाउंट मे जमा की जाये।

V. परियोजना प्रस्तावक द्वारा सीईआर गतिविधियों के क्रियान्वयन के संबंध में SEAC द्वारा अनुशंसित गतिविधियों के साथ ही जिला कलेक्टर की अनुशंसा पर संबंधित ग्रामीण क्षेत्र में

(मुजीबुर्रहमान खान)	(अनिल कुमार शर्मा)	(अरूण कुमार भट्ट)
सदस्य सचिव	सदस्य	अध्यक्ष

स्थानीय आवश्यकता के दृष्टिगत जल जीवन मिशन के अंतर्गत पेयजल व्यवस्था, ग्रामीण क्षेत्र में वर्षा जल संचय कार्य, मौजूद जल स्त्रोतों के संरक्षण एवं जीणोद्धार कार्य, शासकीय स्कूल/आंगनबाड़ी की आवश्यकता के अनुरूप पेयजल एवं शौचालय निर्माण के साथ ही **उचित ढांचागत सुविधाएं विकसित करने** इत्यादि कार्य सुनिश्चित किये जायें। **यदि आवश्यक हो तो परियोजना प्रस्तावक द्वारा उपरोक्त शर्तों के परिपालन हेतु नियमानुसार आवश्यक राशि जिला प्रशासन में जमा करवाकर सी.ई.आर.** गतिविधियेां का क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जाये।

VI. परियोजना प्रस्तावक द्वारा उपरोक्तानुसार वृक्षारोपण एवं सीईआर गतिविधियों/कार्यों के क्रियान्वयन संबंधित अधिरोपित शर्तों का अनिवार्यतः परिपालन सुनिश्चित करते हुए ईआईए अधिसूचना 2006 में निहित प्रावधान अनुसार पर्यावरण स्वीकृति की समस्त शर्तों का प्रत्येक छः माही अनुपालन प्रतिवेदन फोटोग्राफ सहित क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार, SEIAA, म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण एवं संबंधित जिला कलेक्टर को अनिवार्यतः प्रस्तुत किया जायें।

परियोजना प्रस्तावक म.प्र. स्टेट माईनिंग कार्पोरेशन लि., अधिकृत व्यक्ति श्री आशीष सिंह, निवासी पर्यावास भवन, ब्लाक ए, द्वितीय तल, जेल रोड़, अरेरा हिल्स, जिला भोपाल (म0प्र0) द्वारा रेत खदान, (ओपनकास्ट मैनुअल विधि), उत्पादन क्षमता 44,100 घनमीटर प्रतिवर्ष (SEAC द्वारा अनुशंसित), रकबा 4.90 हे0, खसरा क्रमांक 1048, ग्राम बेरछ, तहसील भाण्डेर, जिला दतिया (म.प्र.) की पूर्व पर्यावरण स्वीकृति प्रदान की जाती है जिसकी वैधता Sustainable Sand Mining Guidelines 2016 के परिपालन में पर्यावरण स्वीकृति पत्र दिनांक से अधिकतम 5 वर्ष तक वैध मान्य रहेगी।

16. **प्रकरण क्र. 10151/2023 परियोजना प्रस्तावक म.प्र. स्टेट माईनिंग कार्पोरेशन लि., अधिकृत व्यक्ति श्री आशीष सिंह, निवासी पर्यावास भवन, ब्लाक ए, द्वितीय तल, जेल रोड़, अरेरा हिल्स, जिला भोपाल (म0प्र0) द्वारा रेत खदान, (ओपनकास्ट मैनुअल विधि), उत्पादन क्षमता 18,000 घनमीटर प्रतिवर्ष (SEAC द्वारा अनुशंसित), रकबा 2.00 हे0, खसरा क्रमांक 514, ग्राम अजीतपुरा–2, तहसील भाण्डेर, जिला दतिया (म.प्र.) की पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के लिये आवेदन।**

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 669वीं बैठक दिनांक 10.08.2023 में उक्त प्रकरण में मानक एवं अन्य शर्तो (परिशिष्ट–बी) सहित पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण में पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत एवं SEAC की 669वीं बैठक दिनांक 10.08.2023 की अनुशंसा को मान्य करते हुए प्रकरण में विशिष्ट शर्तों (परिशिष्ट–2) के साथ निम्नलिखित अतिरिक्त शर्तों सहित पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गयाः–

I. **परियोजना प्रस्तावक द्वारा SEAC की अनुशंसा अनुसार जलमग्न क्षेत्र 0.80 हेक्टेयर को "नो माईनिंग जोन" छोड़ते हुए 1.20 हेक्टेयर क्षेत्र पर ही खनन कार्य किया जायेगा। परियोजना प्रस्तावक द्वारा उपरोक्तानुसार नो माईनिंग जोन का सीमांकन करवाये जाने के उपरांत खनन योग्य उपलब्ध क्षेत्र की पुर्नरीक्षित खनन योजना (रेत पुर्नभरण अध्ययन सहित) तैयार कर सक्षम प्राधिकारी से अनिवार्यतः अनुमोदन प्राप्त करने के पश्चात् ही खनन संक्रिया आरंभ की जाये।**

(मुजीबुर्रहमान खान)	(अनिल कुमार शर्मा)	(अरूण कुमार भट्ट)
सदस्य सचिव	सदस्य	अध्यक्ष

II. **परियोजना प्रस्तावक द्वारा ग्रामसभा से अनापत्ति मय ठहराव प्रस्ताव के साथ प्राप्त करने के उपरांत ही खनन संक्रिया आरंभ की जाये।**

III. परियोजना प्रस्तावक द्वारा SEAC **की अनुशंसा अनुसार** वृक्षारोपण हेतु निर्धारित कार्य एवं लक्ष्य की पूर्ति संबंधित वनमंडलाधिकारी, वन विभाग के माध्यम से क्रियान्वित करवाई जाये। इस हेतु आवश्यक निर्धारित राशि शासन के नियमानुसार वन विभाग के FDA एकाउंट मे जमा की जाये।

IV. परियोजना प्रस्तावक द्वारा सीईआर गतिविधियों के क्रियान्वयन के संबंध में SEAC द्वारा अनुशंसित गतिविधियों के साथ ही जिला कलेक्टर की अनुशंसा पर संबंधित ग्रामीण क्षेत्र में स्थानीय आवश्यकता के दृष्टिगत जल जीवन मिशन के अंतर्गत पेयजल व्यवस्था, ग्रामीण क्षेत्र में वर्षा जल संचय कार्य, मौजूद जल स्त्रोतों के संरक्षण एवं जीर्णोद्धार कार्य, शासकीय स्कूल/आंगनबाड़ी की आवश्यकता के अनुरूप पेयजल एवं शौचालय निर्माण के साथ ही **उचित ढांचागत सुविधाएं विकसित करने** इत्यादि कार्य सुनिश्चित किये जायें। **यदि आवश्यक हो तो परियोजना प्रस्तावक द्वारा उपरोक्त शर्तों के परिपालन हेतु नियमानुसार आवश्यक राशि जिला प्रशासन में जमा करवाकर सी.ई.आर. गतिविधियों का क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जाये।**

V. परियोजना प्रस्तावक द्वारा उपरोक्तानुसार वृक्षारोपण एवं सीईआर गतिविधियों/कार्यों के क्रियान्वयन संबंधित अधिरोपित शर्तों का अनिवार्यतः परिपालन सुनिश्चित करते हुए ईआईए अधिसूचना 2006 में निहित प्रावधान अनुसार पर्यावरण स्वीकृति की समस्त शर्तों का प्रत्येक छः माही अनुपालन प्रतिवेदन फोटोग्राफ सहित क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार, SEIAA, म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण एवं संबंधित जिला कलेक्टर को अनिवार्यतः प्रस्तुत किया जायें।

परियोजना प्रस्तावक म.प्र. स्टेट माईनिग कार्पोरेशन लि., अधिकृत व्यक्ति श्री आशीष सिंह, निवासी पर्यावास भवन, ब्लाक ए, द्वितीय तल, जेल रोड़, अरेरा हिल्स, जिला भोपाल (म0प्र0) द्वारा रेत खदान, (ओपनकास्ट मैनुअल विधि), उत्पादन क्षमता 18,000 घनमीटर प्रतिवर्ष (SEAC द्वारा अनुशंसित), रकबा 2.00 हे0, खसरा क्रमांक 514, ग्राम अजीतपुरा–2, तहसील भाण्डेर, जिला दतिया (म.प्र.) की पूर्व पर्यावरण स्वीकृति प्रदान की जाती है जिसकी वैधता Sustainable Sand Mining Guidelines 2016 के परिपालन में पर्यावरण स्वीकृति पत्र दिनांक से अधिकतम 5 वर्ष तक वैध मान्य रहेगी।

17. **प्रकरण क्र. 10152/2023 परियोजना प्रस्तावक म.प्र. स्टेट माईनिग कार्पोरेशन लि., अधिकृत व्यक्ति श्री आशीष सिंह, निवासी पर्यावास भवन, ब्लाक ए, द्वितीय तल, जेल रोड़, अरेरा हिल्स, जिला भोपाल (म0प्र0) द्वारा रेत खदान, (ओपनकास्ट मैनुअल विधि), उत्पादन क्षमता 28,800 घनमीटर प्रतिवर्ष (SEAC द्वारा अनुशंसित), रकबा 4.84 हे0, खसरा क्रमांक 814, ग्राम सलेतरा, तहसील भाण्डेर, जिला दतिया (म.प्र.) की पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के लिये आवेदन।**

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 669वीं बैठक दिनांक 10.08.2023 में उक्त प्रकरण में मानक एवं अन्य शर्तो (परिशिष्ट–बी) सहित पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण में पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत एवं SEAC की 669वीं बैठक दिनांक 10.08.2023 की अनुशंसा को मान्य

(मुजीबुर्रहमान खान)	(अनिल कुमार शर्मा)	(अरूण कुमार भट्ट)
सदस्य सचिव	सदस्य	अध्यक्ष

करते हुए प्रकरण में विशिष्ट शर्तों (परिशिष्ट–2) के साथ निम्नलिखित अतिरिक्त शर्तों सहित पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गयाः–

I. **परियोजना प्रस्तावक द्वारा SEAC की अनुशंसा अनुसार जलमग्न क्षेत्र 1.96 हेक्टेयर को "नो माईनिंग जोन" छोड़ते हुए 2.88 हेक्टेयर क्षेत्र पर ही खनन कार्य किया जायेगा। परियोजना प्रस्तावक द्वारा उपरोक्तानुसार नो माईनिंग जोन का सीमांकन करवाये जाने के उपरांत खनन योग्य उपलब्ध क्षेत्र की पुर्नरीक्षित खनन योजना (रेत पुर्नभरण अध्ययन सहित) तैयार कर सक्षम प्राधिकारी से अनिवार्यतः अनुमोदन प्राप्त करने के पश्चात् ही खनन संक्रिया आरंभ की जाये।**

II. **परियोजना प्रस्तावक द्वारा ग्रामसभा से अनापत्ति मय ठहराव प्रस्ताव के साथ प्राप्त करने के उपरांत ही खनन संक्रिया आरंभ की जाये।**

III. परियोजना प्रस्तावक द्वारा SEAC **की अनुशंसा अनुसार** वृक्षारोपण हेतु निर्धारित कार्य एवं लक्ष्य की पूर्ति संबंधित वनमंडलाधिकारी, वन विभाग के माध्यम से क्रियान्वित करवाई जाये। इस हेतु आवश्यक निर्धारित राशि शासन के नियमानुसार वन विभाग के FDA एकाउंट मे जमा की जाये।

IV. परियोजना प्रस्तावक द्वारा सीईआर गतिविधियों के क्रियान्वयन के संबंध में SEAC द्वारा अनुशंसित गतिविधियों के साथ ही जिला कलेक्टर की अनुशंसा पर संबंधित ग्रामीण क्षेत्र में स्थानीय आवश्यकता के दृष्टिगत जल जीवन मिशन के अंतर्गत पेयजल व्यवस्था, ग्रामीण क्षेत्र में वर्षा जल संचय कार्य, मौजूद जल स्त्रोतों के संरक्षण एवं जीणोद्वार कार्य, शासकीय स्कूल/आंगनबाड़ी की आवश्यकता के अनुरूप पेयजल एवं शौचालय निर्माण के साथ ही **उचित ढांचागत सुविधाएं विकसित करने** इत्यादि कार्य सुनिश्चित किये जायें। **यदि आवश्यक हो तो परियोजना प्रस्तावक द्वारा उपरोक्त शर्तों के परिपालन हेतु नियमानुसार आवश्यक राशि जिला प्रशासन में जमा करवाकर सी.ई.आर. गतिविधियेां का क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जाये।**

V. परियोजना प्रस्तावक द्वारा उपरोक्तानुसार वृक्षारोपण एवं सीईआर गतिविधियों/कार्यों के क्रियान्वयन संबंधित अधिरोपित शर्तों का अनिवार्यतः परिपालन सुनिश्चित करते हुए ईआईए अधिसूचना 2006 में निहित प्रावधान अनुसार पर्यावरण स्वीकृति की समस्त शर्तों का प्रत्येक छः माही अनुपालन प्रतिवेदन फोटोग्राफ सहित क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार, SEIAA, म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण एवं संबंधित जिला कलेक्टर को अनिवार्यतः प्रस्तुत किया जायें।

परियोजना प्रस्तावक म.प्र. स्टेट माईनिग कार्पोरेशन लि., अधिकृत व्यक्ति श्री आशीष सिंह, निवासी पर्यावास भवन, ब्लाक ए, द्वितीय तल, जेल रोड़, अरेरा हिल्स, जिला भोपाल (म0प्र0) द्वारा रेत खदान, (ओपनकास्ट मैनुअल विधि), उत्पादन क्षमता 28,800 घनमीटर प्रतिवर्ष (SEAC द्वारा अनुशंसित), रकबा 4.84 हे0, खसरा क्रमांक 814, ग्राम सलेतरा, तहसील भाण्डेर, जिला दतिया (म.प्र.) की पूर्व पर्यावरण स्वीकृति प्रदान की जाती है जिसकी वैधता Sustainable Sand Mining Guidelines 2016 के परिपालन में पर्यावरण स्वीकृति पत्र दिनांक से अधिकतम 5 वर्ष तक वैध मान्य रहेगी।

(मुजीबुर्रहमान खान)	(अनिल कुमार शर्मा)	(अरूण कुमार भट्ट)
सदस्य सचिव	सदस्य	अध्यक्ष

18. प्रकरण क्र.10139/2023 परियोजना प्रस्तावक मेसर्स श्रीजी स्टोन क्रेशर एण्ड सप्लायर्स, पार्टनर श्री वैभव महाजन, निवासी – 1, न्यू चमेली की बाड़ी, जिला खरगोन (म0प्र0) द्वारा पत्थर एवं एम–सेण्ड खदान, (ओपनकास्ट सेमी मैकेनाइज्ड विधि), उत्पादन क्षमता पत्थर 15,000 घनमीटर प्रतिवर्ष एवं एम–सेंण्ड 5,000 घनमीटर प्रतिवर्ष, रकबा 2.00 हे0, खसरा क्रमांक 223 ग्राम बारसलाय, तहसील कसरावद, जिला खरगौन (म.प्र.) की पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के लिये आवेदन।

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 669वी बैठक दिनांक 10.08.2023 में उक्त प्रकरण में मानक एवं अन्य शर्तो (परिशिष्ट–ए) सहित पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण में पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत SEAC की 669वी बैठक दिनांक 10.08.2023 की अनुशंसा को मान्य करते हुए प्रकरण में विशिष्ट शर्तों (परिशिष्ट–1) के साथ निम्नलिखित अतिरिक्त शर्तों सहित पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया :–

(i) **खरगौन जिले की अनुमोदित नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में विभाग द्वारा निर्धारित प्रक्रिया अनुरूप ही प्रक्रिया अपनाकर उक्त खदान की जानकारी (अक्षांश देशांश सहित) सम्मिलित करवाये जाने के उपरांत ही उत्खनन कार्य प्रारंभ किया जायेगा एवं इस हेतु संबंधित खनिज अधिकारी द्वारा परिपालन सुनिश्चित किया जायेगा।**

(ii) परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन गतिविधि शुरू करने से पहले **कच्ची सड़क से न्यूनतम 50 मीटर तक**" नो माइनिंग जोन" के रूप में हरित क्षेत्र विकसित किया जायेगा एवं उक्त क्षेत्र का सीमांकन राजस्व अधिकारियों द्वारा एवं खनिज अधिकारी की उपस्थिति में किया जायेगा। परियोजना प्रस्तावक द्वारा उपरोक्तानुसार निर्धारित दूरी (नो माईनिंग जोन) का सीमांकन करवाये जाने के उपरांत खनन योग्य उपलब्ध क्षेत्र की पुर्नरीक्षित खनन योजना तैयार कर सक्षम प्राधिकारी से अनिवार्यतः अनुमोदन प्राप्त कर खनन संक्रिया आरंभ की जाये।

(iii) **परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन क्षेत्र में मौजूद वृक्षों को काटा नहीं जायेगा एवं उनका संरक्षण किया जायेगा।**

(iv) परियोजना प्रस्तावक द्वारा SEAC की अनुशंसा अनुसार समस्त वृक्षारोपण कार्यों हेतु निर्धारित लक्ष्य का अनिवार्यतः परिपालन एवं निर्धारित समयावधि में क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जाये।

(v) परियोजना प्रस्तावक द्वारा सीईआर गतिविधियों के क्रियान्वयन के संबंध में SEAC द्वारा अनुशंसित गतिविधियों के साथ ही जिला कलेक्टर की अनुशंसा पर संबंधित ग्रामीण क्षेत्र में स्थानीय आवश्यकता के दृष्टिगत जल जीवन मिशन के अंतर्गत पेयजल व्यवस्था, ग्रामीण क्षेत्र में वर्षा जल संचय कार्य, मौजूद जल स्त्रोतों के संरक्षण एवं जीणोद्धार कार्य, शासकीय स्कूल/आंगनबाड़ी की आवश्यकता के अनुरूप पेयजल एवं शौचालय निर्माण के साथ ही **उचित ढांचागत सुविधाएं विकसित करने** इत्यादि कार्य सुनिश्चित किये जायें।

(vi) परियोजना प्रस्तावक द्वारा उपरोक्तानुसार वृक्षारोपण एवं सीईआर गतिविधियों/कार्यों के क्रियान्वयन संबंधित अधिरोपित शर्तों का अनिवार्यतः परिपालन सुनिश्चित करते हुए ईआईए अधिसूचना 2006 में

(मुजीबुर्रहमान खान)	(अनिल कुमार शर्मा)	(अरूण कुमार भट्ट)
सदस्य सचिव	सदस्य	अध्यक्ष

निहित प्रावधान अनुसार पर्यावरण स्वीकृति की समस्त शर्तों का प्रत्येक छः माही अनुपालन प्रतिवेदन फोटोग्राफ सहित क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार, SEIAA, म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण एवं संबंधित जिला कलेक्टर को अनिवार्यतः प्रस्तुत किया जायें।

परियोजना प्रस्तावक मेसर्स श्रीजी स्टोन क्रेशर एण्ड सप्लायर्स, पार्टनर श्री वैभव महाजन, निवासी – 1, न्यू चमेली की बाड़ी, जिला खरगोन (म0प्र0) द्वारा पत्थर एवं एम–सेण्ड खदान, (ओपनकास्ट सेमी मैकेनाइज्ड विधि), उत्पादन क्षमता पत्थर 15,000 घनमीटर प्रतिवर्ष एवं एम–सेंण्ड 5,000 घनमीटर प्रतिवर्ष, रकबा 2.00 हे0, खसरा क्रमांक 223 ग्राम बारसलाय, तहसील कसरावद, जिला खरगौन(म.प्र.) की पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान की जाती है। कार्यालय कलेकटर (खनिज शाखा) खरगौन के आदेश क्र. 9686 दिनांक 07.03.2023 एवं पत्र क्र. 711 दिनांक 15.06.2023 के अनुसार 10 वर्ष की सैद्धान्तिक सहमति प्रदान की गई है, अतः यह पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति की वैधता दिनांक 06.03.2033 तक वैध मान्य रहेगी।

19. प्रकरण क्र.10140/2023 परियोजना प्रस्तावक श्री ध्रुव कुमार लोधी आत्मज श्री उत्तम लाल लोधी, निवासी –ग्राम व पोस्ट बारी, तहसील रायपुरा थाना सिमरिया, जिला पन्ना (म0प्र0) द्वारा पत्थर खदान, (ओपनकास्ट सेमी मैकेनाइज्ड विधि), उत्पादन क्षमता 10,000 घनमीटर प्रतिवर्श) रकबा 1.60 हे0, खसरा क्रमांक 120/3, ग्राम आमखुआ, तहसील बक्सवाहा, जिला छतरपुर (म.प्र.) की पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के लिये आवेदन।

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 669वी बैठक दिनांक 10.08.2023 में उक्त प्रकरण में मानक एवं अन्य शर्तो (परिशिष्ट–ए) सहित पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण में पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत SEAC की 669वी बैठक दिनांक 10.08.2023 की अनुशंसा को मान्य करते हुए प्रकरण में विशिष्ट शर्तों (परिशिष्ट–1) के साथ निम्नलिखित अतिरिक्त शर्तों सहित पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया :–

(i) **छतरपुर जिले की अनुमोदित नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में विभाग द्वारा निर्धारित प्रक्रिया अनुरूप ही प्रक्रिया अपनाकर उक्त खदान की जानकारी (अक्षांश देशांश सहित) सम्मिलित करवाये जाने के उपरांत ही उत्खनन कार्य प्रारंभ किया जायेगा एवं इस हेतु संबंधित खनिज अधिकारी द्वारा परिपालन सुनिश्चित किया जायेगा।**

(ii) **परियोजना प्रस्तावक द्वारा खदान क्षेत्र में मौजूद 06 वृक्षों में से काटे जाने वाले 03 पेड़ के एवज में क्षतिपूति वृक्षारोपण के तहत रोपित 30 पौधों का सरंक्षण किया जायेगा एवं उक्त पौधो के संरक्षण हेतु ट्री–गार्ड लगाये जायें।**

(iii) परियोजना प्रस्तावक द्वारा SEAC की अनुशंसा अनुसार समस्त वृक्षारोपण कार्यों हेतु निर्धारित लक्ष्य का अनिवार्यतः परिपालन एवं निर्धारित समयावधि में क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जाये।

(iv) परियोजना प्रस्तावक द्वारा सीईआर गतिविधियों के क्रियान्वयन के संबंध में SEAC द्वारा अनुशंसित गतिविधियों के साथ ही जिला कलेक्टर की अनुशंसा पर संबंधित ग्रामीण क्षेत्र में स्थानीय

(मुजीबुर्रहमान खान)	(अनिल कुमार शर्मा)	(अरूण कुमार भट्ट)
सदस्य सचिव	सदस्य	अध्यक्ष

आवश्यकता के दृष्टिगत जल जीवन मिशन के अंतर्गत पेयजल व्यवस्था, ग्रामीण क्षेत्र में वर्षा जल संचय कार्य, मौजूद जल स्त्रोतों के संरक्षण एवं जीणोद्धार कार्य, शासकीय स्कूल/आंगनबाड़ी की आवश्यकता के अनुरूप पेयजल एवं शौचालय निर्माण के साथ ही **उचित ढांचागत सुविधाएं विकसित करने** इत्यादि कार्य सुनिश्चित किये जायें।

(v) परियोजना प्रस्तावक द्वारा उपरोक्तानुसार वृक्षारोपण एवं सीईआर गतिविधियों/कार्यों के क्रियान्वयन संबंधित अधिरोपित शर्तों का अनिवार्यतः परिपालन सुनिश्चित करते हुए ईआईए अधिसूचना 2006 में निहित प्रावधान अनुसार पर्यावरण स्वीकृति की समस्त शर्तों का प्रत्येक छः माही अनुपालन प्रतिवेदन फोटोग्राफ सहित क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार, SEIAA, म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण एवं संबंधित जिला कलेक्टर को अनिवार्यतः प्रस्तुत किया जायें।

परियोजना प्रस्तावक श्री ध्रुव कुमार लोधी आत्मज श्री उत्तम लाल लोधी, निवासी –ग्राम व पोस्ट बारी, तहसील रायपुरा थाना सिमरिया, जिला पन्ना (म0प्र0) द्वारा पत्थर खदान, (ओपनकास्ट सेमी मैकेनाइज्ड विधि), उत्पादन क्षमता 10,000 घनमीटर प्रतिवर्श) रकबा 1.60 हे0, खसरा क्रमांक 120/3, ग्राम आमखुआ, तहसील बक्सवाहा, जिला छतरपुर (म.प्र.) की पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान की जाती है। संचालनालय भौमिकी तथा खनिकर्म भोपाल के पत्र क्र. 1240 दिनांक 25.01.2023 के अनुसार 10 वर्ष की सैद्धान्तिक सहमति प्रदान की गई है, अतः यह पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति की वैधता दिनांक 24.01.2033 तक वैध मान्य रहेगी।

20. **Case No 9954/2023:**Prior Environment Clearance for Karnataka Antibiotics &Pharmaceuticals Limited in an area of 202343 Sqm. (Manufacturing Products - 1000 MT/Year) at Vikram Udyogpuri, DMIC Village-Narwar, Tehsil-Ujjain, DistrictUjjain (MP) Capacity - 7-Aminocephalosporanic acid (7-ACA) - 1000 MT/YearShri Vishal Lele, Sr. RSM, M/s Karnataka Antibiotics and Pharmaceuticals Limited, KAPL House, Arka the Business Centre, Plot No. 37, Site No.34/4, NTTF Main Road, Peenya Industrial Area, 2nd Phase, District-Bengaluru (KA)- 560058. Category -5 (f).

1. प्रस्तावित प्रकरण कर्नाटक एंटीबायोटिक्स एंड फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड विक्रम उद्योगपुरी, डीएमआईसी ग्राम–नरवर, तहसील–उज्जैन, जिला–उज्जैन (मध्य प्रदेश) के 202343 वर्गमीटर क्षेत्र में (विनिर्माण उत्पाद 1000 मीट्रिक टन/वर्ष)के लिए पूर्व पर्यावरण स्वीकृति का है।
2. परियोजना स्थल का कुल भूमि क्षेत्रफल 202343 वर्ग मीटर है। परियोजना हेतु प्लॉट डीएमआईसी–विक्रम उद्योगपुरी, उज्जैन (एमपी) द्वारा आवंटित किया गया है।
3. प्रस्तावित उत्पादन क्षमता :–

Products	Total quantity /Annum
7-Aminocephalosporanic acid (7-ACA)	1000 MT/Year

4. परियोजना प्रस्तावक द्वारा परियोजना क्षेत्र में 41.24 प्रतिशत हरित क्षेत्र विकसित किया जाना प्रस्तावित किया गया है।
5. परियोजना हेतु fresh water की आवश्यकता 2000 केएलडी होगी जो कि डीएमआईसी विक्रम उद्योगपुरी, उज्जैन द्वारा आपूर्ति की जाएगी।

(मुजीबुर्रहमान खान)
सदस्य सचिव

(अनिल कुमार शर्मा)
सदस्य

(अरूण कुमार भट्ट)
अध्यक्ष

6. परियोजना प्रस्तावक द्वारा जेडएलडी संयंत्र प्रस्तावित है, इस प्रकार संयंत्र परिसर से कोई अपशिष्ट पदार्थ उत्पन्न नहीं होगा।
7. परियोजना की कुल लागत 275 करोड़ होगी।
8. परियोजना हेतु SEAC की 669 वीं बैठक दिनांक 10.08.2023 को पर्यावरण स्वीकृति जारी किये जाने की अनुशंसा की गई है, जिसका कार्यवाही विवरण उक्त बैठक के पृष्ठ क्र. 52 से 63 पर अंकित है।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण में पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत एवं SEAC की 669वी बैठक दिनांक 10.08.2023 की अनुशंसा को मान्य करते हुए प्रकरण में निम्नलिखित अतिरिक्त शर्तों सहित पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गयाः—

i. परियोजना में उत्सर्जित खतरनाक अपशिष्टों का प्रबंधन पर विशेष व्यवस्थाओं पर ध्यान रखा जाये। उत्सर्जित खतरनाक अपशिष्ठों का लेखा रखा जाये एवं उनका निष्पादन कैसे हुआ का भी विवरण का रिकार्ड रखें। यह सतत् प्रक्रिया हो जिससे प्रतिदिन संधारित किये जाये एवं उनका विवरण मं.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को अर्ध वार्षिक आधार पर भेजा जाये।
ii. परियोजना में उत्सर्जित अपशिष्ट जैसे Spent HCL, H_2SO_4 को अधिकृत रिसाइकलरों को बेचा जाये।
iii. खतरनाक रसायनों, गैसों के प्रबंधन पर समुचित ध्यान रखा जाये एवं आपदा से निपटने के लिये समय—समय पर माकड्रिल आयोजित की जाये।
iv. परियोजना में ZLD की शर्त अनिवार्य रूप से अधिरोपित है, परियोजना अंतर्गत उच्च COD वाले जल अपशिष्ट के MEE एवं ATFD द्वारा उपचारित किया जायेगा एवं निष्पादन हेतु भेजा जायेगा। निम्न COD वाले जल अपशिष्ट का उपचार ETP से उपचारित कर पुर्न उपयोग किया जायेगा।
v. परियोजना अंतर्गत उत्सर्जित अनुपयोगी (waste heat) उष्मा का समुचित प्रबंधन कर पुर्नउपयोग किया जाये।

प्रकरण से संबंधित परियोजना प्रस्तावक/पर्यावरण सलाहकार द्वारा अभिप्रमाणित दस्तावेजों के आधार पर एवं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की 669वी बैठक दिनांक 10.08.2023 की कार्यवाही विवरण, अनुशंसा एवं अधिरोपित शर्तों को राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा मान्य करते हुए पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत सर्व सम्मति से विशिष्ट शर्तों के साथ उपरोक्त बिंदु i से v एवं परिशिष्ट—5 को शर्तों में शामिल करते हुए परियोजना प्रस्तावक को पूर्व पर्यावरण स्वीकृति प्रदान की जाती है।

अध्यक्ष महोदय की अनुमति से अतिरिक्त एजेण्डा

21. प्रकरण क्र. 9762/2023 परियोजना प्रस्तावक श्री देवराज गूर्जर आत्मज श्री सरजन सिंह गुर्जर, निवासी— छायन, तहसील व जिला राजगढ़ (म0प्र0) द्वारा पत्थर खदान, (ओपनकास्ट सेमी मैकेनाइज्ड विधि), उत्पादन क्षमता 3763 घनमीटर प्रतिवर्ष रकबा 1.00 हे0 खसरा नं0 34, ग्राम— तलावड़ा, तहसील— राजगढ़ जिला राजगढ़ (म0प्र0) की पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के लिये आवेदन।

(मुजीबुर्रहमान खान)	(अनिल कुमार शर्मा)	(अरूण कुमार भट्ट)
सदस्य सचिव	सदस्य	अध्यक्ष

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 654वी बैठक दिनांक 16.06.2023 में उक्त प्रकरण में मानक एवं अन्य शर्तो (परिशिष्ट–1) सहित पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है एवं तदुपरांत **राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा 794वीं बैठक दिनांक 28.06.2023 में निम्नानुसार निर्णय लिया गया**

".......परियोजना प्रस्तावक द्वारा SEAC में प्रस्तुतीकरण के दौरान नॉन ब्लास्टिंग हेतु प्रतिबद्धता प्रस्तुत की गई किन्तु प्रस्तुत अनुमोदित खनन योजना अनुसार प्रस्तावित खदान में ब्लास्टिंग किये जाने का लेख किया गया है। अतः परियोजना प्रस्तावक द्वारा नॉन ब्लास्टिंग हेतु संशोधित खनन योजना SEAC में पुनः परीक्षण हेतु प्रस्तुत की जाये। तबतक प्रकरण को Delist किया जाता है, तदानुसार सर्व संबंधितों को सूचित किया जाये।"

प्राधिकरण के उपरोक्त निर्णय के परिपालन में परियोजना प्रस्तावक द्वारा ईमेल दिनांक 26.08.2023 के माध्यम से प्रकरण में सशर्त पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान किये जाने का अनुरोध किया है।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण में पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत परियोजना प्रस्तावक के अनुरोध एवं SEAC की 654वी बैठक दिनांक 16. 06.2023 की अनुशंसा को मान्य करते हुए प्रकरण में विशिष्ट शर्तो (परिशिष्ट–1) के साथ निम्नलिखित अतिरिक्त शर्तो सहित प्रकरण को Relist करते हुये पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया

(i) **राजगढ़ जिले की अनुमोदित नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में विभाग द्वारा निर्धारित प्रक्रिया अनुरूप ही प्रक्रिया अपनाकर उक्त खदान की जानकारी (अक्षांश देशांश सहित) सम्मिलित करवाये जाने के उपरांत ही उत्खनन कार्य प्रारंभ किया जायेगा एवं इस हेतु संबंधित खनिज अधिकारी द्वारा परिपालन सुनिश्चित किया जायेगा।**

(ii) परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन गतिविधि शुरू करने से पहले **जल रोकने की संरचना से न्यूनतम 100 मीटर एवं प्राकृतिक नाले से न्यूनतम 50 मीटर तक"** नो माइनिंग जोन" के रूप में हरित क्षेत्र विकसित किया जायेगा एवं उक्त क्षेत्र का सीमांकन राजस्व अधिकारियों द्वारा एवं खनिज अधिकारी की उपस्थिति में किया जायेगा। परियोजना प्रस्तावक द्वारा सीमांकन के उपरांत खनन योग्य उपलब्ध क्षेत्र की पुर्नरीक्षित खनन योजना तैयार कर सक्षम प्राधिकारी से अनिवार्यतः अनुमोदन प्राप्त किया जाये।

(iii) **परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन क्षेत्र में ब्लास्टिंग एवं विस्फोटक का प्रयोग नहीं किया जायेगा एवं खनन क्षेत्र में ब्लास्टिंग ना किये जाने का प्रदर्शन डिस्प्ले बोर्ड पर किया जायें। परियोजना प्रस्तावक द्वारा उपरोक्तानुसार नॉन ब्लास्टिंग एवं निर्धारित दूरी (नो माईनिंग जोन) का सीमांकन करवाये जाने के उपरांत खनन योग्य उपलब्ध क्षेत्र की पुर्नरीक्षित खनन योजना तैयार कर सक्षम प्राधिकारी से अनिवार्यतः अनुमोदन प्राप्त करने के पश्चात् ही खनन संक्रिया आरंभ की जाये।**

(iv) **परियोजना प्रस्तावक द्वारा खदान क्षेत्र में मौजूद 02 वृक्षों में से काटे जाने वाले 01 पेड़ के एवज में क्षतिपूति वृक्षारोपण के तहत रोपित 10 पौधों का सरंक्षण किया जायेगा एवं उक्त पौधो के संरक्षण हेतु ट्री–गार्ड लगाये जायें।**

(v) परियोजना प्रस्तावक द्वारा SEAC की अनुशंसा अनुसार समस्त वृक्षारोपण कार्यों हेतु निर्धारित लक्ष्य का अनिवार्यतः परिपालन एवं निर्धारित समयावधि में क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जाये।

(मुजीबुर्रहमान खान)	(अनिल कुमार शर्मा)	(अरूण कुमार भट्ट)
सदस्य सचिव	**सदस्य**	**अध्यक्ष**

(vi) परियोजना प्रस्तावक द्वारा सीईआर गतिविधियों के क्रियान्वयन के संबंध में SEAC द्वारा अनुशंसित गतिविधियों के साथ ही जिला कलेक्टर की अनुशंसा पर संबंधित ग्रामीण क्षेत्र में स्थानीय आवश्यकता के दृष्टिगत जल जीवन मिशन के अंतर्गत पेयजल व्यवस्था, ग्रामीण क्षेत्र में वर्षा जल संचय कार्य, मौजूद जल स्त्रोतों के संरक्षण एवं जीणोद्धार कार्य, शासकीय स्कूल/आंगनबाड़ी की आवश्यकता के अनुरूप पेयजल एवं शौचालय निर्माण के साथ ही **उचित ढांचागत सुविधाएं विकसित करने** इत्यादि कार्य सुनिश्चित किये जायें।

(vii) परियोजना प्रस्तावक द्वारा उपरोक्तानुसार वृक्षारोपण एवं सीईआर गतिविधियों/कार्यों के क्रियान्वयन संबंधित अधिरोपित शर्तों का अनिवार्यतः परिपालन सुनिश्चित करते हुए ईआईए अधिसूचना 2006 में निहित प्रावधान अनुसार पर्यावरण स्वीकृति की समस्त शर्तों का प्रत्येक छः माही अनुपालन प्रतिवेदन फोटोग्राफ सहित क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार, SEIAA, म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण एवं संबंधित जिला कलेक्टर को अनिवार्यतः प्रस्तुत किया जायें।

परियोजना प्रस्तावक श्री देवराज गूर्जर आत्मज श्री सरजन सिंह गुर्जर, निवासी– छायन, तहसील व जिला राजगढ़ (म0प्र0) द्वारा पत्थर खदान, (ओपनकास्ट सेमी मैकेनाइज्ड विधि), उत्पादन क्षमता 3763 घनमीटर प्रतिवर्ष रकबा 1.00 हे0 खसरा नं0 34, ग्राम– तलावड़ा, तहसील– राजगढ़ जिला राजगढ़ (म.प्र.) की पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान की जाती है। कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) राजगढ़ के आदेश क्र. 18 दिनांक 09.01.2023 के अनुसार 10 वर्ष की सैद्धान्तिक सहमति प्रदान की गई है, अतः यह पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति की वैधता दिनांक 08.01.2033 तक वैध मान्य रहेगी।

22. प्रकरण क्र. 10049/2023 परियोजना प्रस्तावक मेसर्स म.प्र. दि स्टेट माईनिंग कार्पोरेशन, श्री रमेश भूमरकर, उप महाप्रबंधक, निवासी– पर्यावास भवन, ब्लाक ए, द्वितीय तल, जेल रोड़, अरेरा हिल्स, जिला भोपाल (म0प्र0) द्वारा रेत खदान, (ओपनकास्ट मैनुअल विधि), उत्पादन क्षमता 7000 घनमीटर प्रतिवर्ष, रकबा 2.90 हेक्टेयर, खसरा 121, ग्राम कल्यापुरा, तहसील कुंदम, जिला जबलपुर (म.प्र.) की पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के लिये आवेदन।

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 662वी बैठक दिनांक 21.07.2023 में उक्त प्रकरण में मानक एवं अन्य शर्तो (परिशिष्ट–1) सहित पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है एवं तदुपरांत **राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा 800वीं बैठक दिनांक 16.08.2023 में निम्नानुसार निर्णय लिया गया**

"........राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण में पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत निम्नानुसार निर्णय लिया गया :–

परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत अनुमोदित खनन योजना के अक्षांश देशांश के आधार गूगल ईमेज के अनुसार खदान क्षेत्र के अपस्ट्रीम में 280 मीटर पर पक्का रोड़ ब्रिज परिलक्षित है।

भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा जारी Sustainable Sand Mining Guidelines 2016 तथा Enforcement and Monitoring Guidelines for Sand 2020 में दिये गये प्रावधान "Sand and gravel shall not be extracted up to a distance of 1 kilometre (1 km) from major bridges and highways on both sides, or five times (5x) of the span (x) of a bridge/public civil structure (including water intake points) on up-stream side and ten times (10x) the span of such bridge on down-stream side" अनुसार पक्का रोड़ ब्रिज से निर्धारित दूरी छोड़ने के पश्चात खनन हेतु क्षेत्र उपलब्ध नहीं होता है। अतः प्रकरण को निरस्त किया जाता है। तदानुसार सर्व संबंधितों को सूचित किया जाये।"

(मुजीबुर्रहमान खान)	(अनिल कुमार शर्मा)	(अरूण कुमार भट्ट)
सदस्य सचिव	सदस्य	अध्यक्ष

परियोजना प्रस्तावक द्वारा उपरोक्त निर्णयानुसार ई–मेल दिनांक 01.09.2023 के माध्यम से ईआईए अधिसूचना 2006 के पैरा–8 *"The regulatory authority shall normally accept the recommendations of the Expert Appraisal Committee or State Level Expert Appraisal Committee concerned. In cases where it disagrees with the recommendations of the Expert Appraisal Committee or State Level Expert Appraisal Committee concerned, the regulatory authority shall request reconsideration by the Expert Appraisal Committee or State Level Expert Appraisal Committee concerned within forty five days of the receipt of the recommendations of the Expert Appraisal Committee or State Level Expert Appraisal Committee concerned while stating the reasons for the disagreement. An intimation of this decision shall be simultaneously conveyed to the applicant. The Expert Appraisal Committee or State Level Expert Appraisal Committee concerned, in turn, shall consider the observations of the regulatory authority and furnish its views on the same within a further period of sixty days. The decision of the regulatory authority after considering the views of the Expert Appraisal Committee or State Level Expert Appraisal Committee concerned shall be final and conveyed to the applicant by the regulatory authority concerned within the next thirty day."* के अनुसार प्रकरण पर पुर्नविचार किये जाने हेतु अनुरोध किया गया है।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण में पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत परियोजना प्रस्तावक के अनुरोध को मान्य करते हुए निर्णय लिया गया कि चूँकि प्रकरण निरस्त किया जा चुका है जिसे परिवेश पोर्टल पर पुनः Re-open नहीं किया जा सकता है। अतः परियोजना प्रस्तावक को सूचित किया जाता है परिवेश पोर्टल पर पुनः पर्यावरण स्वीकृति हेतु ऑनलाईन आवेदन किया जाये जिससे कि प्रकरण को पुनः परीक्षण हेतु SEAC को अग्रेषित किया जा सके।

23. प्रकरण क्र. 10050/2023 परियोजना प्रस्तावक मेसर्स म.प्र. दि स्टेट माईनिंग कार्पोरेशन, श्री रमेश भूमरकर, उप महाप्रबंधक, निवासी– पर्यावास भवन, ब्लाक ए, द्वितीय तल, जेल रोड़, अरेरा हिल्स, जिला भोपाल (म0प्र0) द्वारा रेत खदान, (ओपनकास्ट मैनुअल विधि), उत्पादन क्षमता 4000 घनमीटर प्रतिवर्ष, रकबा 2.0 हेक्टेयर, खसरा 01, ग्राम मालाखुर्द, तहसील पतन, जिला जबलपुर (म.प्र.) की पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के लिये आवेदन।

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 662वी बैठक दिनांक 21.07.2023 में उक्त प्रकरण में मानक एवं अन्य शर्तो (परिशिष्ट–1) सहित पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है एवं तदुपरांत **राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा 800वीं बैठक दिनांक 16.08.2023 में निम्नानुसार निर्णय लिया गया**

".......राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण में पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत निम्नानुसार निर्णय लिया गया :–

परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत अनुमोदित खनन योजना के अक्षांश देशांश के आधार गूगल ईमेज के अनुसार खदान क्षेत्र के अपस्ट्रीम में 400 मीटर पर पक्का रोड़ ब्रिज परिलक्षित है।

भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा जारी Sustainable Sand Mining Guidelines 2016 तथा Enforcement and Monitoring Guidelines for Sand 2020 में दिये गये प्रावधान "Sand and gravel shall not be extracted up to a distance of 1 kilometre (1 km) from major bridges and highways on both sides, or five times (5x) of the span (x) of a bridge/public civil structure (including water intake points) on up-stream side and ten times (10x) the span of such bridge on down-stream side" अनुसार पक्का रोड़ ब्रिज से निर्धारित दूरी छोड़ने के पश्चात खनन हेतु क्षेत्र उपलब्ध नहीं होता है। अतः प्रकरण को निरस्त किया जाता है। तदानुसार सर्व संबंधितों को सूचित किया जाये।"

परियोजना प्रस्तावक द्वारा उपरोक्त निर्णयानुसार ई–मेल दिनांक 01.09.2023 के माध्यम से ईआईए अधिसूचना 2006 के पैरा–8 *"The regulatory authority shall normally accept the recommendations of the Expert Appraisal Committee or State Level Expert Appraisal Committee concerned. In cases where it disagrees with the recommendations of the Expert*

(मुजीबुर्रहमान खान)
सदस्य सचिव

(अनिल कुमार शर्मा)
सदस्य

(अरूण कुमार भट्ट)
अध्यक्ष

Appraisal Committee or State Level Expert Appraisal Committee concerned, the regulatory authority shall request reconsideration by the Expert Appraisal Committee or State Level Expert Appraisal Committee concerned within forty five days of the receipt of the recommendations of the Expert Appraisal Committee or State Level Expert Appraisal Committee concerned while stating the reasons for the disagreement. An intimation of this decision shall be simultaneously conveyed to the applicant. The Expert Appraisal Committee or State Level Expert Appraisal Committee concerned, in turn, shall consider the observations of the regulatory authority and furnish its views on the same within a further period of sixty days. The decision of the regulatory authority after considering the views of the Expert Appraisal Committee or State Level Expert Appraisal Committee concerned shall be final and conveyed to the applicant by the regulatory authority concerned within the next thirty day." के अनुसार प्रकरण पर पुर्नविचार किये जाने हेतु अनुरोध किया गया है।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण में पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत परियोजना प्रस्तावक के अनुरोध को मान्य करते हुए निर्णय लिया गया कि चूँकि प्रकरण निरस्त किया जा चुका है जिसे परिवेश पोर्टल पर पुनः Re-open नहीं किया जा सकता है। अतः परियोजना प्रस्तावक को सूचित किया जाता है परिवेश पोर्टल पर पुनः पर्यावरण स्वीकृति हेतु ऑनलाईन आवेदन किया जाये जिससे कि प्रकरण को पुनः परीक्षण हेतु SEAC को अग्रेषित किया जा सके।

24. प्रकरण क्र. 10062/2023 परियोजना प्रस्तावक दि म.प्र. स्टेट माईनिग कार्पोरेशन लि., श्री रमेश भूमरकर, उप–महाप्रबंधक, निवासी– पर्यावास भवन, ब्लाक ए, द्वितीय तल, जेल रोड़, अरेरा हिल्स, जिला भोपाल (म0प्र0) द्वारा रेत खदान, (ओपनकास्ट मैनुअल विधि), उत्पादन क्षमता 5000 घनमीटर प्रतिवर्ष, रकबा 2. 15 हेक्टेयर, खसरा 300, ग्राम रमखिरिया, तहसील शहपुरा, जिला जबलपुर (म.प्र.) की पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के लिये आवेदन।

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 663वी बैठक दिनांक 27.07.2023 में उक्त प्रकरण में मानक एवं अन्य शर्तो (परिशिष्ट–1) सहित पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है एवं तदुपरांत **राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा 801वीं बैठक दिनांक 17.08.2023 में निम्नानुसार निर्णय लिया गया**

".......राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण में पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत निम्नानुसार निर्णय लिया गया :–

> ***परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत अनुमोदित खनन योजना के अक्षांश देशांश के आधार गूगल ईमेज के अनुसार खदान क्षेत्र से 630 मीटर पर रेल्वे ब्रिज परिलक्षित है।***
>
> ***भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा जारी Sustainable Sand Mining Guidelines 2016 तथा Enforcement and Monitoring Guidelines for Sand 2020 में दिये गये प्रावधान "Sand and gravel shall not be extracted up to a distance of 1 kilometre (1 km) from major bridges and highways on both sides, or five times (5x) of the span (x) of a bridge/public civil structure (including water intake points) on up-stream side and ten times (10x) the span of such bridge on down-stream side" अनुसार रेल्वे ब्रिज से निर्धारित दूरी छोडने के पश्चात खनन हेतु क्षेत्र उपलब्ध नहीं होता है। अतः प्रकरण को निरस्त किया जाता है। तदानुसार सर्व संबंधितों को सूचित किया जाये।"***

परियोजना प्रस्तावक द्वारा उपरोक्त निर्णयानुसार ई–मेल दिनांक 01.09.2023 के माध्यम से ईआईए अधिसूचना 2006 के पैरा–8 *"The regulatory authority shall normally accept the recommendations of the Expert Appraisal Committee or State Level Expert Appraisal Committee concerned. In cases where it disagrees with the recommendations of the Expert Appraisal Committee or State Level Expert Appraisal Committee concerned, the regulatory authority shall request reconsideration by the Expert Appraisal Committee or State Level Expert Appraisal Committee concerned within forty five days of the receipt of the recommendations of the Expert Appraisal Committee or State Level Expert Appraisal Committee concerned while stating the reasons for the disagreement. An intimation of this decision shall be simultaneously conveyed to the applicant. The Expert Appraisal Committee or State Level Expert Appraisal Committee concerned, in turn, shall consider the observations of the regulatory authority and furnish its*

(मुजीबुर्रहमान खान)	(अनिल कुमार शर्मा)	(अरूण कुमार भट्ट)
सदस्य सचिव	सदस्य	अध्यक्ष

views on the same within a further period of sixty days. The decision of the regulatory authority after considering the views of the Expert Appraisal Committee or State Level Expert Appraisal Committee concerned shall be final and conveyed to the applicant by the regulatory authority concerned within the next thirty day." के अनुसार प्रकरण पर पुर्नविचार किये जाने हेतु अनुरोध किया गया है।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण में पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत **परियोजना प्रस्तावक के अनुरोध को मान्य करते हुए निर्णय लिया गया** कि चूँकि प्रकरण निरस्त **किया जा चुका है जिसे परिवेश पोर्टल पर पुनः Re-open नहीं किया जा सकता है। अतः** परियोजना प्रस्तावक को सूचित **किया जाता है परिवेश पोर्टल पर पुनः पर्यावरण स्वीकृति हेतु ऑनलाईन** आवेदन किया जाये जिससे कि **प्रकरण को पुनः परीक्षण हेतु SEAC को अग्रेषित किया जा सके।**

25. **Case No 10191/2023** Prior Environment Clearance for proposed fuel ethanol unit of 45 KLD (B molasses based) / 54 KLD Cane Juice based alongwith co generational plant of 1.5 mw in an area of 2.00 ha. at Khasra No. 144, Village-Jhiri, Tehsil-Burhanpur, District-Burhanpur (MP) by Shri SanjeevSuri, Chief Chemist, M/s Naval singh Sahakari Shakkar Karkhana Maryadit, Navalnagar, Village-Ziri, Tehsil & District-Burhanpur (MP)-450331,

प्रकरण पर 802 *SEIAA* बैठक दिनांक 25.08.23 में विचार विमर्श उपरांत निम्नानुसार निर्णय लिया गया :–

"राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 666 वीं दिनांक 04.08.2023 में उक्त प्रकरण में मानक शर्तो सहित पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण में पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत निर्णय लिया कि चूँकि परियोजना स्थल पर लम्बे समय से शुगर यूनिट संचालित हो रही थी शुगर यूनिट में पूर्व में की गई पर्यावरणीय प्रबंधन एवं एथेनॉल यूनिट के साथ प्रस्तावित पर्यावरणीय प्रबंधन के स्पष्टीकरण हेतु संपूर्ण दस्तवेजो के साथ दोनो यूनिट की संचालन में की गई प्रस्तावित व्यवस्था के स्पष्टीकरण हेतु परियोजना प्रस्तावक प्राधिकरण के समक्ष उपस्थित होवें।

उपरोक्त निर्णयानुसार परियोजना प्रस्तावक के अधिकृति प्रतिनिधि श्री संजीव सूरी (मुख्य कैमिस्ट) एवं परियोजना के सलाहकार श्री उमेश मिश्रा, ***Creative Enviro Services*** भोपाल से प्रस्तुतीकरण हेतु उपस्थित हुए एवं उनके द्वारा विस्तृत रूप से परियोजना सम्बंधित जानकारी प्रस्तुत की गई।

1. उक्त प्रकरण खसरा नंबर 144, ग्राम–झिरी, तहसील–बुरहानपुर, जिला–बुरहानपुर (मध्य प्रदेश) के 2.00 हेक्टेयर क्षेत्र में 1.5 मेगावाट के सह–उत्पादनसंयंत्र के साथ 45 केएलडी (बी Molasses आधारित) / 54 केएलडी Cane Juice आधारित) ईंधन इथेनॉल सम्मिश्रण कार्यक्रम के उद्देश्य से ईंधन इथेनॉल के उत्पादन के लिए इकाई की स्थापना हेतु प्रस्तावित है।
2. कलेक्टर, बुरहानपुर मेसर्स नवल सिंह सहकारी शक्कर कारखाना मर्यादित, नवलनगर के प्रबंध निदेशक हैं।
3. यह प्रक्रिया MEE और स्प्रेड्रायर के बाद बायामेथेनाइजेशन के प्रावधान के साथ जेडएलडी पर आधारित है।सरकार के इथेनॉल सम्मिश्रण कार्यक्रम के उद्देश्य से केवल ईंधन इथेनॉल के निर्माण के लिए बिजली (1.5 मेगावाट) के सह–उत्पादन के साथ ईंधन इथेनॉल इकाई की 45/54

(मुजीबुर्रहमान खान)
सदस्य सचिव

(अनिल कुमार शर्मा)
सदस्य

(अरूण कुमार भट्ट)
अध्यक्ष

केएलडी की शीरा आधारित ईंधन इथेनॉल इकाई भारत सरकर की राजपत्र अधिसूचना एसओ 2339 दिनांक 16 जून 2021 में दी गई शर्त के अनुसार परियोजना जीरो लिक्विड डिस्चार्ज होगी।

4. परियोजना प्रस्तावक द्वारा अधिसूचना दिनांक 16 जून, 2021 के अनुसार, शपथ पत्र के रूप में self – certification प्रस्तुत किया गया है जिसमे प्रस्तावित क्षमता 45 केएलडी बी Molasses आधारित)/54 केएलडी Cane Juice आधारित का उत्पादन केवल ईंधन इथेनॉल निर्माण के लिए करने हेतु घोषणा की गई हैं।
5. यह प्रस्तावित इथेनॉल इकाई MEE और बायो मेथेनाइजेशन के प्रावधान के साथ स्प्रेड्रायर के साथ जेडएलडी (ZLD) आधारित होगी।
6. परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत किया गया है की पूर्व में जनरेटेड baggasse को सेल किया जाता था परन्तु यह यूनिट आरम्भ होने के उपरांत जनरेटेड baggasse का उपयोग पूर्णतः ईंधन के रूप में किया जायेगा।
7. उक्त प्रकरण को राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक 666 वी दिनांक 04.08.2023 में पर्यावरण स्वीकृति हेतु अनुशंसित किया गया,उक्त बैठक की कार्यवाही विवरण पृष्ठ क्र. 01 से11 तक अंकित है।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण में पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत एवं SEAC की 666 वी दिनांक 04.08.2023 की अनुशंसा को मान्य करते हुए प्रकरण में निम्नलिखित अतिरिक्त शर्तों सहित पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गयाः–

(i) दिनांक 16 जून 2021 के अधिसूचना के अनुसार परियोजना श्रेणी बी 2 के अंर्तगत शामिल किया गया है है और 100 केएलपीडी की प्रस्तावित क्षमता का उपयोग केवल परियोजना प्रस्तावक द्वारा शपथ पत्र के रूप में स्व–प्रमाणन के अनुसार ईंधन इथेनॉल निर्माण के लिए किया जाएगा। भविष्य में यदि यह पाया जाता है कि इस व्यवस्था के अनुसार प्रदान की गई ईसी के आधार पर इथेनॉल का उत्पादन नहीं किया जा रहा है और मोलेसिस का उपयोग अलकोहल बनाने हेतु किया जा रहा है तो पर्यावरणीय स्वीकृति निरस्त मानी जायेगी।

(ii) परियोजना प्रस्तावक द्वारा मोलेसिस क्रय विक्रय का पूर्ण विवरण आबकारी आयुक्त को देना होगा।

(iii) प्राधिकरण के समक्ष प्रस्तुत प्रतिबद्धता के अनुसार यूनिट आरम्भ होने के उपरांत जनरेटेड बगास का पूर्णतःउपयोग ईंधन के रूप में किया जाना सुनिश्चित करे।

(iv) जहां भी लागू हो संयंत्र परिसर में फ्लेम प्रूफ विद्युत फिटिंग की व्यवस्था करे।

प्रकरण से संबंधित परियोजना प्रस्तावक/पर्यावरण सलाहकार द्वारा अभिप्रमाणित दस्तावेजों के आधार पर एवं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की 666 वी दिनांक 04.08.2023 की कार्यवाही विवरण, अनुशंसा एवं अधिरोपित शर्तों को राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा मान्य करते हुए पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत सर्व सम्मति से विशिष्ट शर्तों के

(मुजीबुर्रहमान खान)	(अनिल कुमार शर्मा)	(अरूण कुमार भट्ट)
सदस्य सचिव	सदस्य	अध्यक्ष

साथ उपरोक्त बिंदु i से iv एवं परिशिष्ट–6 को शर्तों में शामिल करते हुए परियोजना प्रस्तावक को पूर्व पर्यावरण स्वीकृति प्रदान की जाती है।

A. नीतिगत निर्णय

1. **म.प्र राज्य खनिज निगम द्वारा आवेदित आनलाईन पर्यावर्णीय स्वीकृति हस्तांतरण के प्रकरणों की समीक्षा एवं निराकरण के संबंध मे :–**

म.प्र राज्य खनिज निगम द्वारा रेत उत्खनन हेतु परिवेश पोर्टल पर आनलाईन दिनांक 05.09.2023 तक पर्यावर्णीय स्वीकृति हस्तांतरण हेतु प्राप्त आवेदनों की समीक्षा की गई। अभी तक कुल 75 आवेदन प्राप्त हुये है।

इन रेत उत्खनन के प्रकरणों को माननीय एनजीटी स्पेशल बेन्च के आदेश दिनांक 22.02.2022 एवं 04.03.2022 के परिपालन में SEIAA द्वारा 717वी बैठक दिनांक 08.04.2022 लिये गये नीतिगत निर्णय एवं **Sustainable Sand Mining Guidelines 2016** व **Enforcement and Monitoring Guidelines for Sand 2020** तथा पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जारी ई.आई.ए. अधिसूचना 2006 के पैरा–11 अनुसार पर्यावरण स्वीकृति हस्तांतरण किया जाना प्रावधानित है।

ईआईए अधिसूचना 2006 के पैरा –11 में पर्यावरण मंजूरी (ईसी) को हस्तांतरित का प्रावधान

> ***Para-11:- A prior environmental clearance granted for a specific project or activity to an applicant may be transferred during its validity to another legal person entitled to undertake the project or activity on application by the transferor, or by the transferee with a written "no objection" by the transferor, to, and by the regulatory authority concerned, on the same terms and conditions under which the prior environmental clearance was initially granted, and for the same validity period. No reference to the Expert Appraisal Committee or State Level Expert Appraisal Committee concerned is necessary in such cases.***

उल्लेखनीय है कि साथ ही माननीय एनजीटी के ओ.ऐ. क. 90/2022 में रेत खनन के प्रकरणों पर पारित आदेश दिनांक 02.08.2023 के पैरा 3 एवं 4 में निम्नानुसार कार्यवाही निर्णित है :–

> ***3. The said leases were only upto 30.06.2023. Since that period has already expired, learned counsel for applicant pointed out that OA as it stands today has rendered infructuous.***
>
> ***4. It is accordingly dismissed, as infuctuous.***

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा रेत खनन हेतु पर्यावरण स्वीकृति हस्तांतरण के लिये परिवेश पोर्टल पर आवेदित प्रकरणों के संबंध में विस्तृत चर्चा एवं विचार विमर्श उपरांत निर्णय लिया गया कि **पर्यावरणीय स्वीकृति के ऐसे प्रकरण जिनमे पर्यावरणीय स्वीकृति की वैद्यता दिनांक 30.06.2023 को समाप्त हो गई है उन प्रकरणों मे परियोजना प्रस्तावक द्वारा परिवेश पोर्टल पर नवीन आवेदन प्रस्तुत किये जाये तदानुसार संर्वसंबधितों को सूचित किया जाये।**

2. **राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) द्वारा पत्र क्र. 488 दिनांक 23.08.2023 के साथ संलग्न म.प्र. स्टोन क्रेशर इण्डस्ट्रीज एसोसियशन सागर के अभ्यावेदन में उल्लेखित निम्नानुसार बिन्दुओ पर कार्यवाही हेतु प्रेषित किया गया है :–**

   1. माननीय एनजीटी नई दिल्ली द्वारा ओ.ए. नम्बर 304/2019 (एम.हरिदशन व अन्य विरूद्ध केरला शासन) में पारित आदेश दिनांक 21.07.2020 में पत्थर खदान के लिये *Residential/ Public buildings, Inhabited sites, Protected locations to be considered by States* से ब्लास्टिंग हेतु

(मुजीबुर्रहमान खान)
सदस्य सचिव

(अनिल कुमार शर्मा)
सदस्य

(अरूण कुमार भट्ट)
अध्यक्ष

200 मीटर एवं नॉन ब्लास्टिंग हेतु 100 मीटर की दूरी निर्धारित की गई है। जबकि उल्लेखनीय है कि एनजीटी का उक्त आदेश दिनांक 21.07.2020 को माननीय उच्च न्यायालय केरला द्वारा याचिका क्र. 15962/2020 में पारित आदेश दिनांक 25.10.2021 से सेट असाइड (रद्द) कर दिया गया है, उक्त एनजीटी के आदेश के सेट असाइड होने के बावजूद भी राज्य स्तरीय सिया कमेटी म.प्र. द्वारा ईसी जारी करते हुए हवाला दिया जा रहा है जबकि वर्तमान में उक्त आदेश प्रचलन में नहीं है। अतः मानीय एनजीटी के आदेश का हवाला देते हुए खनन क्षेत्र से प्रतिबंधित दूरी का निर्धारण किया गया वह वैधानिक रूप से मान्य नहीं किया जाना उल्लेखित है।

2. **MP-SEIAA** द्वारा 766वी बैठक दिनांक 11.01.2023 में नीतिगत निर्णय लेते हुए माननीय एनजीटी नई दिल्ली द्वारा ओए नं. **142/2022 में पारित आदेश दिनांक 07.12.2022 के अनुपालन में लेख किया गया है कि समस्त पट्टेदार जिनको DEIAA द्वारा पर्यावरण स्वीकृति जारी की गई है उनको पर्यावरण स्वीकृति के लिये नवीन आवेदन प्रस्तुत किया जाना है, जबकि भारत सरकार पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा** माननीय एनजीटी नई दिल्ली द्वारा ओए नं. **142/2022** में **पारित आदेश दिनांक 07.12.2022 के परिपालन में परिपत्र दिनांक 28.04.2023 जारी कर स्पष्ट किया गया है कि जिन प्रकरणों में DEIAA द्वारा अनुमति प्राप्त है उनके केवल SEIAA द्वारा पुर्नमूल्यांकन किया जाना है, MP-SEIAA** द्वारा दिनांक 11.01.023 में जो शब्द लिया गया है व पुर्नपरीक्षण (**Re-visit**) जबकि एनजीटी के आदेश में शब्द (**Re-appraisal**) जिससे दोनो में भिन्नता है, उक्त बावत् भारत सरकार द्वारा जारी परिपत्र से स्पष्ट है कि **DEIAA** द्वारा अनुमति प्राप्त प्रकरणों में पुर्नमूल्यांकन किये जाने की कार्यवाही की जानी है, जबकि **SEIAA** द्वारा नवीन आवेदन प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया है, इस प्रकार **MP-SEAA** द्वारा एनजीटी के आदेश की गलत व्याख्या के आधार पर जारी परिपत्र वैधानिक रूप से मान्य नहीं किया जाना उल्लेखित है।

3. **DEIAA** द्वारा दी गई पर्यावरण स्वीकृति के समय 500 मीटर की परिधि में भारत सरकार द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 15.01.2016 अनुसार 25 हेक्टेयर तक के कलस्टर को बी–2 श्रेणी मान्य किया गया, परंतु नये आदेश अनुसार 500 मीटर की परिधि में 05 हेक्टेयर से अधिक में कलस्टर बनता है जो बी–1 श्रेणी में मान्य किया गया है। **DEIAA** द्वारा स्वीकृत प्रकरण में उक्त आदेश पूर्वव्यापी (**Retro Prospective**) है जिसे परिवर्तन करना नैसर्गिक न्याय के विरूद्ध है। अतः **DEIAA** द्वारा स्वीकृत पर्यावरण स्वीकृति के प्रकरणों पर कलस्टर की नई नीति लागू नहीं होनी चाहिए।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा म.प्र. स्टोन क्रेशर इण्डस्ट्रीज एसोसियशन सागर द्वारा दिये गये अभ्यावेदन पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत निर्णय लिया गया कि प्रस्तुत अभ्यावेदन के उपरोक्त बिन्दु क्रं. 1 से 3 तक के संबंध में भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय से यथोचित दिशा निर्देश एवं मार्गदर्शन प्राप्त किये जाने हेतु पत्र प्रेषित किया जाये साथ SEIAA द्वारा उपरोक्त बिन्दुओं के संबंध में लिये गये नीतिगत निर्णय की प्रति भी पत्र के साथ संलग्न की जाये। तदानुसार प्रमुख सचिव, पर्यावरण विभाग, सदस्य सचिव, SEAC एवं म.प्र. स्टोन क्रेशर इण्डस्ट्रीज एसोसिय शन सागर को भी सूचित किया जाये।

B. Compliance of order in execution application no. 07/2023(CZ) titled as Dharmendra Gayakwad Vs. MPIDC Ltd. & Ors. Related to Original Application No.22/2022(CZ)

(मुजीबुर्रहमान खान)
सदस्य सचिव

(अनिल कुमार शर्मा)
सदस्य

(अरूण कुमार भट्ट)
अध्यक्ष

1.. उक्त सम्बंधित प्रकरण SEIAA द्वारा प्रकरण क्र. 8755/2021 जे.आर.आर. वेस्ट मैनेजमेंट प्रा. लि., एवं VNS सोलूशन्स प्रा. लि., को एम.आई.डी.सी. मालनपुर, घिरोंगी, जिला भिंड (म.प्र.) में प्रस्तावित कॉमन वेस्ट ट्रीटमेंट फेसीलिटी (CBWTF), के स्थापना हेतु जारी पर्यावरणी स्वीकृति से सम्बंधित है।

2. Original Application No.22/2022(CZ)में माननीय राष्ट्रीय हरित अभिकरण द्वारा जारी आदेश दिनांक 23.08.2022. के अनुसारः–

"Para 22: Accordingly, we direct the State Pollution Control Board to submit the report with regard to the Gap analysis (generation and disposal) and on the basis of fresh gap analysis report, the MPSELAA will take appropriate decision within a time frame.

We further direct the Madhya Pradesh Pollution Control Board to ensure that the facility operates as per environmental norms and must ensure compliances of conditions mentioned above and all other environmental norms and maintain vigil on a regular basis. It must conduct inspection when the unit is functional. If any violation is found, action may be taken as per law. In case any grievances survives, it is open to the aggrieved party to make appropriate application before the State Pollution Control Board in calculating the number of beds and the State Pollution Control Board has to take a decision in accordance with law. The Original Application No. 22/2022 along with I.A. are disposed of accordingly."

3. उपरोक्तानुसार gap analysis रिपोर्ट के आज दिनांक तक submit नहीं होने के कारण याचिकाकर्ता द्वारा EA–7 दायर की गई है जिसमे माननीय राष्ट्रीय हरित अभिकरण द्वारा जारी आदेश दिनांक 09.08.2023 मेंनिम्नानुसार निर्देशित किया गया है :–

"It is said that neither the report as directed by Tribunal with regard to gap analysis (generation and disposal) has been submitted by Madhya Pradesh Pollution Control Board (hereinafter referred to as 'MPPCB') nor Madhya Pradesh State Environment Impact Assessment Authority (hereinafter referred to as 'MP SEIAA') has taken decision accordingly.

4. *It appears that since no time was prescribed by Tribunal, the concerned authorities have not acted in the manner as directed by this Tribunal as above.*

5. Learned Counsel for applicant stated that the above authorities be directed to comply their part of action within specified time.

6. We, therefore, dispose of this EA by directing MPPCB to submit report with regard to gap analysis (generation and disposal), as directed by this Tribunal by order dated 23.08.2022, within two months. Thereafter on the basis of fresh gap analysis report, MP SEIAA will take appropriate decision within one month.

उपरोक्त निर्णयानुसार MPPCB को gap analysis रिपोर्ट भेजने हेतु पत्र लिखा जाये ताकि प्राधिकरण द्वारा शीघ्र निर्णय ली जा सके।

(मुजीबुर्रहमान खान)	(अनिल कुमार शर्मा)	(अरूण कुमार भट्ट)
सदस्य सचिव	सदस्य	अध्यक्ष

परिशिष्ट–1

गौण खनिज (रेत खनिज के अतिरिक्त) श्रेणी की विशिष्ट शर्तेः

1. **परियोजना प्रस्तावक द्वारा पर्यावरण स्वीकृति में निहित समस्त विशिष्ट एवं साधारण शर्तों अनिवार्यतः परिपालन सुनिश्चित किया जाये एवं भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की ईआईए अधिसूचना 2006 एवं कार्यालयीन ज्ञापन दिनांक 26.09.2022 में निहित प्रावधान अनुसार शर्तों का छःमाही अनुपालन प्रतिवेदन अनिवार्य रूप से परिवेश पोर्टल अपलोड किया जाये एवं क्षेत्रीय कार्यालय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय को भी प्रेषित किया जाये।**
2. **संबंधित जिले के जिला खनिज अधिकारी यह सुनिश्चित करें कि अनुमोदित जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में प्रस्तावित खदान हेतु उल्लेखित खनिज की कुल मात्रा से अधिक का उत्खनन न हो।**
3. SEIAA द्वारा प्रकरण में जारी पर्यावरण स्वीकृति माननीय सर्वोच्च न्यायालय, माननीय उच्च न्यायालय, माननीय एन.जी.टी. एवं अन्य न्यायालयों के आदेशों/दिशा निर्देशों के अधीन मान्य रहेंगी तथा माननीय सर्वोच्च न्यायालय, माननीय उच्च न्यायालय, माननीय एन.जी.टी. एवं अन्य न्यायालयों द्वारा जारी सभी निर्देशों/निर्णयों का अनुपालन परियोजना प्रस्तावक के लिये बाध्यकारी होगा।
4. परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनिज परिवहन हेतु अधिकतम 20 टन भार के डम्पर/ट्रक ही उपयोग में लिये जायें।
5. परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन क्षेत्र के पहुंच मार्ग को पक्की सड़क (टॉर रोड़) बनाया जाये, जिससे 20 टन भार (डम्पर/ट्रक्स खनिज सहित) का परिवहन किया जा सके।
6. परियोजना प्रस्तावक द्वारा परंपरागत उर्जा स्त्रोत की जगह नवकरणीय उर्जा का अधिकतम उपयोग सुनिश्चत किया जाये।
7. परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन गतिविधि शुरू करने से पहले प्रमुख हवा की दिशा की ओर घने वनीकरण (तेजी से बढ़ने वाली पेड़ प्रजातियों) के साथ विंड ब्रेकिंग वॉल जी.आई. शीट (4 मीटर ऊंचाई तक) की स्थापना खनन क्षेत्र के चारो ओर की जाये।
8. परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन गतिविधि शुरू करने से पूर्व पट्टा क्षेत्र के चारों ओर फेसिंग की जाएगी। आमजन और पशुओं के साथ किसी भी प्रकार की संभावित अप्रिय घटना से बचने के लिए पट्टा क्षेत्र के चार कोनों पर चेतावनी संकेतकों की स्थापना के साथ उचित निगरानी और सुरक्षागार्ड की व्यवस्था की जायेगी।
9. परियोजना क्षेत्र एवं अन्य प्रस्तावित क्षेत्रों में वृक्षारोपण संबंधित कार्यों में संबंधित क्षेत्र के वनमंडलाधिकारी के परामर्श अनुसार संयुक्त/सामुदायिक वन प्रबंधन समितियों के माध्यम से CSR/CER एवं अशासकीय निधियों के उपयोग हेतु राज्य शासन द्वारा निर्धारित वृक्षारोपण नीति का परिपालन सुनिश्चित किया जाये।
10. परियोजना प्रस्तावक कच्ची सड़क के स्थान पर पक्का पहुंच मार्ग का निर्माण सुनिश्चित करेगा और खनिज के परिवहन हेतु ग्राम क्षेत्र के बाहर से वैकल्पिक मार्ग की योजना तैयार करेगा।
11. परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन पट्टा क्षेत्र की परिधि में 7.5 मीटर के परिधि क्षेत्र को "नो माइनिंग जोन" के रूप में सीमांकित करेगा और हरित पट्टी विकसित करने के उद्देश्य से तीन पंक्तियों में पौधरोपण किया जायेगा तथा वृक्षारोपण हेतु पानी की समुचित व्यवस्था भी की जायेगी।

(मुजीबुर्रहमान खान)	(अनिल कुमार शर्मा)	(अरूण कुमार भट्ट)
सदस्य सचिव	**सदस्य**	**अध्यक्ष**

12. खनन कार्य भूजल स्तर से ऊपर तक ही सीमित रहेगा। भूजल स्तर के नीचे कार्य करने की दशा में केन्द्रीय भूजल बोर्ड का अनुमोदन प्राप्त करना होगा।
13. परियोजना प्रस्तावक द्वारा दुर्घटनाओं से बचने के लिए परिवहन मार्गों पर चेतावनी संकेतों की स्थापना की जायेगी।
14. परियोजना प्रस्तावक द्वारा पट्टा क्षेत्र का उचित भू–दृश्य विकास एवं इस योजना का सफल क्रियान्वयन किया जायेगा।
15. परियोजना प्रस्तावक स्वीकृत खनिपट्टा/पर्यावरणीय स्वीकृति अनुसार खनि पट्टे की जानकारी संचालनालय भौमिकी तथा खनिकर्म से अनुमोदित नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में शामिल करवायेगा, ऐसा ना करने पर पर्यावरणीय स्वीकृति निरस्त कर दी जायेगी।
16. परियोजना प्रस्तावक पट्टा क्षेत्र के चारों ओर गारलैण्ड ड्रेन के निर्माण के साथ साथ सेटलिंग टैंक का निर्माण सुनिश्चित करेगा और उसकी नियमित सफाई और रखरखाव किया जाएगा।
17. माईनिंग लीज क्षेत्र के अंदर खनन के दौरान निकलने वाले ओवरबर्डन और अपशिष्ट को वृक्षारोपण हेतु खनन क्षेत्र में वापस भरा जाएगा।
18. परियोजना प्रस्तावक यह सुनिश्चित करेगा कि अपशिष्ट सामग्री को माईनिंग लीज क्षेत्र में तथा खनि पट्टा क्षेत्र के बाहर कोई भी ओवरबर्डन एकत्र नहीं किया जावेगा।
19. परियोजना प्रस्तावक द्वारा धूल दमन हेतु नियमित रूप से पानी का छिड़काव किया जायेगा तथा वृक्षारोपण व पीने के लिये (विशेष रूप से गर्मी के मौसम में) उचित जलापूर्ति की व्यवस्था सुनिश्चित करेगा।
20. परियोजना प्रस्तावक प्राथमिकता के आधार पर आसपास के ग्रामीणों को रोजगार के अवसर प्रदान करेगा।
21. परियोजना प्रस्तावक द्वारा पर्यावरण प्रबंधन योजना अनुसार वृक्षारोपण, धूल दमन, पहुंच सड़क के निर्माण और मौजूदा पक्की सड़क के रखरखाव के उचित कार्यान्वयन को सुनिश्चित करेगा। इस हेतु पर्यावरण प्रबंधन योजना में अतिरिक्त बजट प्रावधान किया जाएगा।
22. परियोजना प्रस्तावक द्वारा वृक्षारोपण, सीईआर एवं सभी गतिविधियों के फोटोग्राफ अर्धवार्षिक अनुपालन रिपोर्ट के साथ एमपी–एसईआईएए को प्रस्तुत करेगा। यदि परियोजना प्रस्तावक अर्धवार्षिक अनुपालन रिपोर्ट को अपलोड करने में विफल रहता है या संबंधित प्राधिकरण (एसईआईएए और क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, भोपाल) को पर्यावरणीय स्वीकृति की शर्तों की लगातार दो छमाही अनुपालन रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं करता है, तो परियोजना प्रस्तावक को जारी की गई पूर्व पर्यावरण मंजूरी निरस्त की जायेगी।
23. यदि माईनिंग लीज का स्वामित्व बदल जाता है, तो नवीन परियोजना प्रस्तावक को एसईआईएए को पर्यावरण स्वीकृति हस्तांतरण के लिए तुरंत आवेदन करना होगा। बिना पर्यावरण स्वीकृति हस्तांतरण तक परियोजना प्रस्तावक उक्त खदान में तब तक खनन स्थगित रखेगा, जब तक कि एसईआईएए द्वारा उक्त पर्यावरण स्वीकृति नवीन परियोजना प्रस्तावक के नाम हस्तांतरित ना हो जाये।
24. खनि पट्टा क्षेत्र के अंदर किये गये सभी कार्य जैसे फेंसिंग, वृक्षारोपण और सीईआर गतिविधियों के तहत किए जाने वाले सभी कार्यों को जिला प्रशासन के परामर्श से आगे के रखरखाव के लिए ग्राम पंचायत

(मुजीबुर्रहमान खान)	(अनिल कुमार शर्मा)	(अरूण कुमार भट्ट)
सदस्य सचिव	सदस्य	अध्यक्ष

को सौंपा जायेगा। परियोजना प्रस्तावक पटवारी रजिस्टर में सभी सूचनाओं को दर्ज करना भी सुनिश्चित करे।

खनन के ऐसे प्रकरण जिनमें ब्लास्टिंग प्रस्तावित है में निम्नानुसार शर्तें लागू होंगी :–

25. परियोजना प्रस्तावक द्वारा एल तरंगों (L Wave) के कंपन प्रभाव को कम करने के लिए विलंबित डेटोनेटर (Delayed Detonator) का उपयोग करके ब्लास्टिंग प्रक्रिया करेगा एवं बोर हेतु 34 मिमी और 83 मिमी ब्लास्टिंग की प्रक्रिया का सख्ती से पालन किया जायेगा
26. अधिकृत विशेषज्ञ संस्था के माध्यम से रॉक लाइमस्टोन/बलुआ पत्थर/ग्रेनाइट/स्टोन आदि का प्रमाणन/अध्ययन प्रतिवेदन प्रस्ताव के साथ आवश्यक रूप से संलग्न करें जिसमें कि यह प्रतिपादित हो सके कि खनिज रासायनिक, सीमेंट और फर्श आदि जैसे अन्य उद्योगों के लिए अनुपयुक्त है एवं इसे गिट्टी एवं कंकरी बनाने के लिए उपयोग किया जा सकता है।
27. परियोजना प्रस्तावक द्वारा स्टोन क्रेशर इकाई में शामिल मशीनरी के रखरखाव हेतु उचित योजना सुनिश्चित की जायेगी।

परिशिष्ट–2

गौण खनिज (रेत खनिज) श्रेणी की विशिष्ट शर्तें:

1. **परियोजना प्रस्तावक द्वारा पर्यावरण स्वीकृति में निहित समस्त विशिष्ट एवं साधारण शर्तों अनिवार्यतः परिपालन सुनिश्चित किया जाये एवं भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की ईआईए अधिसूचना 2006 एवं कार्यालयीन ज्ञापन दिनांक 26.09.2022 में निहित प्रावधान अनुसार शर्तों का छःमाही अनुपालन प्रतिवेदन अनिवार्य रूप से परिवेश पोर्टल अपलोड किया जाये एवं क्षेत्रीय कार्यालय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय को भी प्रेषित किया जाये।**
2. **परियोजना प्रस्तावक द्वारा रेत उत्खनन संक्रिया हेतु Sustainable Sand Mining Guidelines 2016 तथा Enforcement and Monitoring Guidelines for Sand 2020 के दिशा निर्देशो का अनिवार्यतः परिपालन सुनिश्चित किया जायें।**
3. **परियोजना प्रस्तावक द्वारा रेत का उत्खनन जिले की अनुमोदित जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट को निर्धारित प्रक्रिया अनुसार अद्यतन कराकर SEIAA एवं SEAC के अनुमोदन उपरांत ही किया जायेगा इस हेतु संबंधित जिला खनिज अधिकारी द्वारा परिपालन सुनिश्चित किया जायेगा।**
4. **म.प्र. राज्य खनिज निगम लि. द्वारा जिले की स्वीकृत रेत खदानों की निविदत्त मात्रा से अधिक उत्पादन मात्रा का उत्खनन परियोजना प्रस्तावक द्वारा नहीं किया जायेगा एवं इस हेतु संबंधित जिला खनिज अधिकारी द्वारा परिपालन सुनिश्चित किया जाये।**
5. **परियोजना प्रस्तावक नदी के जल प्रभाव एवं भराव वाले क्षेत्र में खनन कार्य नहीं करेगा एवं जिला खनिज अधिकारी द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि केवल नदी के सूखे हिस्से में जहां रेत की उपलब्धता हो वही तक खनन गतिविधिया सीमित की जावे।**
6. **परियोजना प्रस्तावक द्वारा जलभराव क्षेत्र को गैर–खनन क्षेत्र के रूप में संरक्षित रखा जायेगा।**
7. **SEIAA द्वारा रेत खनन के प्रकरणों में जारी की जाने वाली समस्त पर्यावरण स्वीकृति माननीय सर्वोच्च न्यायालय, माननीय उच्च न्यायालय, माननीय एन.जी.टी. एवं अन्य न्यायालयों के आदेशों/दिशा निर्देशों**

(मुजीबुर्रहमान खान) सदस्य सचिव	(अनिल कुमार शर्मा) सदस्य	(अरूण कुमार भट्ट) अध्यक्ष

के अधीन मान्य रहेंगी तथा माननीय सर्वोच्च न्यायालय, माननीय उच्च न्यायालय, माननीय एन.जी.टी. एवं अन्य न्यायालयों द्वारा जारी सभी निर्देशों/निर्णयों का अनुपालन परियोजना प्रस्तावक के लिये बाध्यकारी होगा।

8. परियोजना प्रस्तावक द्वारा अनुमोदित जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में उल्लेखित **उत्पादन क्षमता 60 प्रतिशत** माईनेवल मिनरल पोटेंशियल, अनुमोदित खनन योजना, निविदत्त मात्रा एवं **SEAC** द्वारा अनुशंसित मात्रा में से जो भी न्यूनतम हो से अधिक का उत्पादन नहीं किया जायेगा।
9. परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन गतिविधि शुरू करने से पहले **प्रस्तावित खदान से नदी के दोनों किनारे (न्यूनतम 25 मीटर एक तरफ) की दूरी तक हरित क्षेत्र विकसित किया जायेगा** एवं उक्त क्षेत्र का सीमांकन राजस्व अधिकारियों द्वारा एवं खनिज अधिकारी की उपस्थिति में किया जायेगा।
10. परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन गतिविधि शुरू करने से पूर्व प्रस्तावित हरित संरक्षण हेतु फेंसिंग लगाई जाये एवं पट्टा क्षेत्र के चार कोनों पर चेतावनी संकेतकों की स्थापना के साथ उचित निगरानी और सुरक्षागार्ड की व्यवस्था की जायेगी।
11. परियोजना क्षेत्र एवं अन्य प्रस्तावित क्षेत्रों में वृक्षारोपण संबंधित कार्यों में संबंधित क्षेत्र के वनमंडलाधिकारी के परामर्श अनुसार संयुक्त/सामुदायिक वन प्रबंधन समितियों के माध्यम से CSR/CER एवं अशासकीय निधियों के उपयोग हेतु राज्य शासन द्वारा निर्धारित वृक्षारोपण नीति का परिपालन सुनिश्चित किया जाये।
12. परियोजना प्रस्तावक द्वारा विभाग से खनन अनुबंध निष्पादित होने के उपरांत ही खनन कार्य प्रारंभ किया जायेगा।
13. परियोजना प्रस्तावक यह सुनिश्चित करेगा कि अनुमोदित खनन योजना में उल्लेखित अनुसार ही खनन पट्टा क्षेत्र में वार्षिक रेत पुर्नभरण की पूर्ति निर्धारित स्तरों पर खनन कार्यों को बनाए रखने के लिए पर्याप्त है।
14. परियोजना प्रस्तावक नदी के बेसिन के भीतर किसी भी प्रकार का रैंप स्थापित नहीं करेगा तथा जिस किनारे पर रेत उपलब्ध है उसी किनारे से परिवहन की अनुमति कार्य किया जायेगा।
15. परियोजना प्रस्तावक यह सुनिश्चित करेगा कि रेत के गड्ढे की गहराई स्वीकृत अनुमोदित खनन योजना के अनुसार ही हो।
16. परियोजना प्रस्तावक कच्ची सड़क के स्थान पर पक्का पहुंच मार्ग का निर्माण सुनिश्चित करेगा और खनिज के परिवहन हेतु ग्राम क्षेत्र के बाहर से वैकल्पिक मार्ग की योजना तैयार ग्राम पंचायत के परामर्श अनुसार करेगा।
17. परियोजना प्रस्तावक पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जारी रेत उत्खनन सतत रेत खनन प्रबंधन दिशानिर्देश, 2016 एवं प्रवर्तन और निगरानी दिशानिर्देश, 2020 का सख्ती से परिपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
18. परियोजना प्रस्तावक म.प्र. खनिज संसाधन विभाग, मध्यप्रदेश शासन द्वारा जारी अधिसूचना 30.08.2019 के अनुसार 5 हेक्टेयर पट्टा क्षेत्र तक रेत खनन पद्धति के लिए दिये गये निर्देश एवं प्रावधान का अनुपालन सुनिश्चित करेंगे।

(मुजीबुर्रहमान खान)
सदस्य सचिव

(अनिल कुमार शर्मा)
सदस्य

(अरूण कुमार भट्ट)
अध्यक्ष

19. परियोजना प्रस्तावक द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि यदि धारा सूखी है, तो उत्खनन धारा की सबसे कम अबाधित एलिवेशन से आगे नहीं बढ़ेगा, जो कि स्थानीय हाइड्रोलिक्स, जल विज्ञान और भू–आकृति विज्ञान का एक कार्य है।
20. परियोजना प्रस्तावक द्वारा मानसून अवधि में कोई खनन नहीं किया जाएगा।
21. खनिज की ओवरलोडिंग परिवहन पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगी।
22. परियोजना प्रस्तावक द्वारा दुर्घटनाओं से बचने के लिए परिवहन मार्गों पर चेतावनी संकेतों की स्थापना की जायेगी।
23. परियोजना प्रस्तावक द्वारा पहुंच मार्ग के धूल दमन हेतु नियमित रूप से पानी का छिड़काव किया जायेगा तथा वृक्षारोपण व पीने के लिये (विशेष रूप से गर्मी के मौसम में) उचित जलापूर्ति की व्यवस्था सुनिश्चित करेगा।
24. परियोजना प्रस्तावक प्राथमिकता के आधार पर आसपास के ग्रामीणों को रोजगार के अवसर प्रदान करेगा।
25. परियोजना प्रस्तावक द्वारा पर्यावरण प्रबंधन योजना अनुसार वृक्षारोपण, धूल दमन, पहुंच सड़क के निर्माण और मौजूदा पक्की सड़क के रखरखाव के उचित कार्यान्वयन को सुनिश्चित करेगा। इस हेतु पर्यावरण प्रबंधन योजना में अतिरिक्त बजट प्रावधान किया जाएगा।
26. परियोजना प्रस्तावक द्वारा वृक्षारोपण, सीईआर एवं सभी गतिविधियों के फोटोग्राफ अर्धवार्षिक अनुपालन रिपोर्ट के साथ एमपी–एसईआईएए को प्रस्तुत करेगा। यदि परियोजना प्रस्तावक अर्धवार्षिक अनुपालन रिपोर्ट को अपलोड करने में विफल रहता है या संबंधित प्राधिकरण (एसईआईएए और क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, भोपाल) को पर्यावरणीय स्वीकृति की शर्तों की लगातार दो छमाही अनुपालन रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं करता है, तो परियोजना प्रस्तावक को जारी की गई पूर्व पर्यावरण मंजूरी निरस्त की जायेगी।
27. यदि माईनिंग लीज का स्वामित्व बदल जाता है, तो नवीन परियोजना प्रस्तावक को एसईआईएए को पर्यावरण स्वीकृति हस्तांतरण के लिए तुरंत आवेदन करना होगा। बिना पर्यावरण स्वीकृति हस्तांतरण तक परियोजना प्रस्तावक उक्त खदान में तब तक खनन स्थगित रखेगा, जब तक कि एसईआईएए द्वारा उक्त पर्यावरण स्वीकृति नवीन परियोजना प्रस्तावक के नाम हस्तांतरित ना हो जाये।
28. खनि पट्टा क्षेत्र के अंदर किये गये सभी कार्य जैसे फेंसिंग, वृक्षारोपण और सीईआर गतिविधियों के तहत किए जाने वाले सभी कार्यों को जिला प्रशासन के परामर्श से आगे के रखरखाव के लिए ग्राम पंचायत को सौंपा जायेगा। परियोजना प्रस्तावक पटवारी रजिस्टर में सभी सूचनाओं को दर्ज करना भी सुनिश्चित करे।

<u>SEAC द्वारा अनुशंसित अतिरिक्त विशिष्ट शर्तें :–</u>

29. The monitoring of the compliance of the conditions incorporated in the Environmental Clearance issued prior to the State Mining Corporation shall be carried out through the District mining office at District level and compliances be communicated to SEIAA within 06 months.
30. Riparian habitat including vegetative cover on and adjacent to the river bank controls erosion, provide nutrient inputs into the stream and prevent intrusion of pollutatns in the stream through

(मुजीबुर्रहमान खान)
सदस्य सचिव

(अनिल कुमार शर्मा)
सदस्य

(अरूण कुमार भट्ट)
अध्यक्ष

runoff. Bank erosion and change of morphology of the river can destroy the riparian vegetative cover should be protected.

31. Demarcation of mining area with pillars and geo-referencing should be done prior to start of mining.
32. The State Mining Corporation shall constitute an Environmental Cell including minimum of three persons qualified in the field to ensure the compliance of EC conditions.
33. The State Mining Corporation shall ensure the compliance of the different provision made in the Sand Mining Management Guidelines-2016 & Enforcement & Monitoring Guidelines for Sand Mining 2020, with Special reference to the para 4.3 and para-8 at page no. 45 of the said Guidelines.
34. Sand and gravel shall not be allowed to be extracted where erosion may occur, such as at the concave bank.
35. The slope of mining area adjacent to agricultural fields should be proper (preferably 45 degree) and adequate gap (minimum 10 feet) be left from adjacement agricultural field to avoid erosion and scouning.
36. In sand mining over other areas apart from river bed replenishment study in the said area be carriedout every year by Mining Officer and subject to availability of sand quantity mining should allowed by Mining Officer during EC period as Sand replacement in such areas are subject to certain conditions and not a regular feature.

मुख्य खनिज श्रेणी की विशिष्ट शर्तें: **परिशिष्ट–3**

1. परियोजना प्रस्तावक द्वारा पर्यावरण स्वीकृति में निहित समस्त विशिष्ट एवं साधारण शर्तों अनिवार्यतः परिपालन सुनिश्चित किया जाये एवं भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की ईआईए अधिसूचना 2006 एवं कार्यालयीन ज्ञापन दिनांक 26.09.2022 में निहित प्रावधान अनुसार शर्तो का छःमाही अनुपालन प्रतिवेदन अनिवार्य रूप से परिवेश पोर्टल अपलोड किया जाये एवं क्षेत्रीय कार्यालय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय को भी प्रेषित किया जाये।
2. संबंधित जिले के जिला खनिज अधिकारी यह सुनिश्चित करें कि अनुमोदित जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में प्रस्तावित खदान हेतु उल्लेखित खनिज की कुल मात्रा से अधिक का उत्खनन न हो।
3. SEIAA द्वारा प्रकरण में जारी पर्यावरण स्वीकृति माननीय सर्वोच्च न्यायालय, माननीय उच्च न्यायालय, माननीय एन.जी.टी. एवं अन्य न्यायालयों के आदेशों/दिशा निर्देशों के अधीन मान्य रहेंगी तथा माननीय सर्वोच्च न्यायालय, माननीय उच्च न्यायालय, माननीय एन.जी.टी. एवं अन्य न्यायालयों द्वारा जारी सभी निर्देशों/निर्णयों का अनुपालन परियोजना प्रस्तावक के लिये बाध्यकारी होगा।
4. परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनिज परिवहन हेतु अधिकतम 20 टन भार के डम्पर/ट्रक ही उपयोग में लिये जायें।
5. परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन क्षेत्र के पहुंच मार्ग को पक्की सड़क (टॉर रोड़) बनाया जाये, जिससे 20 टन भार (डम्पर/ट्रक्स खनिज सहित) का परिवहन किया जा सके।

(मुजीबुर्रहमान खान)
सदस्य सचिव

(अनिल कुमार शर्मा)
सदस्य

(अरूण कुमार भट्ट)
अध्यक्ष

6. परियोजना प्रस्तावक द्वारा परंपरागत उर्जा स्त्रोत की जगह नवकरणीय उर्जा का अधिकतम उपयोग सुनिश्चत किया जाये।

7. परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन गतिविधि शुरू करने से पहले प्रमुख हवा की दिशा की ओर घने वनीकरण (तेजी से बढ़ने वाली पेड़ प्रजातियों) के साथ विंड ब्रेकिंग वॉल जी.आई. शीट (4 मीटर ऊंचाई तक) की स्थापना खनन क्षेत्र के चारो ओर की जाये।

8. परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन गतिविधि शुरू करने से पूर्व पट्टा क्षेत्र के चारों ओर फेसिंग की जाएगी। आमजन और पशुओं के साथ किसी भी प्रकार की संभावित अप्रिय घटना से बचने के लिए पट्टा क्षेत्र के चार कोनों पर चेतावनी संकेतकों की स्थापना के साथ उचित निगरानी और सुरक्षागार्ड की व्यवस्था की जायेगी।

9. परियोजना क्षेत्र एवं अन्य प्रस्तावित क्षेत्रों में वृक्षारोपण संबंधित कार्यों में संबंधित क्षेत्र के वनमंडलाधिकारी के परामर्श अनुसार संयुक्त/सामुदायिक वन प्रबंधन समितियों के माध्यम से CSR/CER एवं अशासकीय निधियों के उपयोग हेतु राज्य शासन द्वारा निर्धारित वृक्षारोपण नीति का परिपालन सुनिश्चित किया जाये।

10. परियोजना प्रस्तावक कच्ची सड़क के स्थान पर पक्का पहुंच मार्ग का निर्माण सुनिश्चित करेगा और खनिज के परिवहन हेतु ग्राम क्षेत्र के बाहर से वैकल्पिक मार्ग की योजना तैयार करेगा।

11. परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन पट्टा क्षेत्र की परिधि में 7.5 मीटर के परिधि क्षेत्र को "नो माइनिंग जोन" के रूप में सीमांकित करेगा और हरित पट्टी विकसित करने के उद्देश्य से तीन पंक्तियों में पौधरोपण किया जायेगा तथा वृक्षारोपण हेतु पानी की समुचित व्यवस्था भी की जायेगी।

12. खनन कार्य भूजल स्तर से ऊपर तक ही सीमित रहेगा। भूजल स्तर के नीचे कार्य करने की दशा में केन्द्रीय भूजल बोर्ड का अनुमोदन प्राप्त करना होगा।

13. परियोजना प्रस्तावक द्वारा दुर्घटनाओं से बचने के लिए परिवहन मार्गों पर चेतावनी संकेतों की स्थापना की जायेगी।

14. परियोजना प्रस्तावक द्वारा पट्टा क्षेत्र का उचित भू-दृश्य विकास एवं इस योजना का सफल क्रियान्वयन किया जायेगा।

15. परियोजना प्रस्तावक स्वीकृत खनिपट्टा/पर्यावरणीय स्वीकृति अनुसार खनि पट्टे की जानकारी संचालनालय भौमिकी तथा खनिकर्म से अनुमोदित नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में शामिल करवायेगा, ऐसा ना करने पर पर्यावरणीय स्वीकृति निरस्त कर दी जायेगी।

16. परियोजना प्रस्तावक पट्टा क्षेत्र के चारों ओर गारलैण्ड ड्रेन के निर्माण के साथ साथ सेटलिंग टैंक का निर्माण सुनिश्चित करेगा और उसकी नियमित सफाई और रखरखाव किया जाएगा।

17. खनि पट्टा क्षेत्र के अंदर किये गये सभी कार्य जैसे फेंसिंग, वृक्षारोपण और सीईआर गतिविधियों के तहत किए जाने वाले सभी कार्यों को जिला प्रशासन के परामर्श से आगे के रखरखाव के लिए ग्राम पंचायत को सौंपा जायेगा। परियोजना प्रस्तावक पटवारी रजिस्टर में सभी सूचनाओं को दर्ज कराना भी सुनिश्चित करेगा।

18. परियोजना प्रस्तावक द्वारा किन्हीं भी परिस्थितियों में अपशिष्ठ द्रव्य (Waste Water) का बहाव खदान क्षेत्र के बाहर नहीं किया जायेगा।

(मुजीबुर्रहमान खान) सदस्य सचिव	(अनिल कुमार शर्मा) सदस्य	(अरूण कुमार भट्ट) अध्यक्ष

19. परियोजना प्रस्तावक खदान के समीपस्थ (1 किलोमीटर की परिधि में) क्षेत्र में स्थित ट्यूबवैल, बोरवैल, कुओं/बावड़ीयों के जल की गुणवत्ता का प्रत्येक छः माह में आकलन कर प्रतिवेदन क्षेत्रीय अधिकारी, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को प्रस्तुत करेगा।

20. परियोजना प्रस्तावक द्वारा समुचित पर्यावरण प्रबंधन के दृष्टिगत Zero Discharge पद्धति आधारित खनन गतिविधि का संचालन किया जायेगा।

21. परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनिज का परिवहन विशेष रूप से तिरपाल से ढके हुए वाहनों से किया जायेगा एवं आबादी क्षेत्र से परिवहन प्रतिबंधित रहेगा।

22. परियोजना प्रस्तावक द्वारा जल, वायु एवं ध्वनि प्रदूषण का आकलन प्रत्येक छः माह में किया जाकर प्रतिवेदन क्षेत्रीय अधिकारी, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को प्रस्तुत करेगा।

23. परियोजना प्रस्तावक द्वारा खदान परिसर एवं परिवहन/पहुंच मार्ग पर प्रतिदिन दो बार पानी का छिड़काव किया जायेगा।

24. परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रत्येक वर्ष में दो बार खदान में कार्यरत श्रमिकों एवं कर्मचारियों का शासकीय चिकित्सालय से समन्वय कर चिकित्सा परीक्षण करवाया जायेगा।

25. माईनिंग लीज क्षेत्र के अंदर खनन के दौरान निकलने वाले ओवरबर्डन और अपशिष्ट को वृक्षारोपण हेतु खनन क्षेत्र में वापस भरा जाएगा।

26. परियोजना प्रस्तावक यह सुनिश्चित करेगा कि अपशिष्ट सामग्री को माईनिंग लीज क्षेत्र में तथा खनि पट्टा क्षेत्र के बाहर कोई भी ओवरबर्डन एकत्र नहीं किया जावेगा।

27. परियोजना प्रस्तावक द्वारा धूल दमन हेतु नियमित रूप से पानी का छिड़काव किया जायेगा तथा वृक्षारोपण व पीने के लिये (विशेष रूप से गर्मी के मौसम में) उचित जलापूर्ति की व्यवस्था सुनिश्चित करेगा।

28. परियोजना प्रस्तावक प्राथमिकता के आधार पर आसपास के ग्रामीणों को रोजगार के अवसर प्रदान करेगा।

29. परियोजना प्रस्तावक द्वारा पर्यावरण प्रबंधन योजना अनुसार वृक्षारोपण, धूल दमन, पहुंच सड़क के निर्माण और मौजूदा पक्की सड़क के रखरखाव के उचित क्रियान्वयन को सुनिश्चित करेगा। इस हेतु पर्यावरण प्रबंधन योजना में अतिरिक्त बजट प्रावधान किया जाएगा।

30. परियोजना प्रस्तावक द्वारा वृक्षारोपण, सीईआर एवं सभी गतिविधियों के फोटोग्राफ अर्धवार्षिक अनुपालन रिपोर्ट के साथ एमपी–एसईआईएए को प्रस्तुत करेगा। यदि परियोजना प्रस्तावक अर्धवार्षिक अनुपालन रिपोर्ट को अपलोड करने में विफल रहता है या संबंधित प्राधिकरण (एसईआईएए और क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, भोपाल) को पर्यावरणीय स्वीकृति की शर्तों की लगातार दो छमाही अनुपालन रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं करता है, तो परियोजना प्रस्तावक को जारी की गई पूर्व पर्यावरण मंजूरी निरस्त की जायेगी।

31. यदि माईनिंग लीज का स्वामित्व बदल जाता है, तो नवीन परियोजना प्रस्तावक को एसईआईएए को पर्यावरण स्वीकृति हस्तांतरण के लिए तुरंत आवेदन करना होगा। बिना पर्यावरण स्वीकृति हस्तांतरण तक परियोजना प्रस्तावक उक्त खदान में तब तक खनन स्थगित रखेगा, जब तक कि

(मुजीबुर्रहमान खान)	(अनिल कुमार शर्मा)	(अरूण कुमार भट्ट)
सदस्य सचिव	सदस्य	अध्यक्ष

एसईआईएए द्वारा उक्त पर्यावरण स्वीकृति नवीन परियोजना प्रस्तावक के नाम हस्तांतरित ना हो जाये।

32. खनि पट्टा क्षेत्र के अंदर किये गये सभी कार्य जैसे फेंसिंग, वृक्षारोपण और सीईआर गतिविधियों के तहत किए जाने वाले सभी कार्यों को जिला प्रशासन के परामर्श से आगे के रखरखाव के लिए ग्राम पंचायत को सौंपा जायेगा। परियोजना प्रस्तावक पटवारी रजिस्टर में सभी सूचनाओं को दर्ज कराना भी सुनिश्चित करेगा।

परिशिष्ट–4

1. MPSEIAA द्वारा जारी कार्यालयीन ज्ञापन दिनांक 19.06.23 के अनुसार यदि परियोजना में भू जल निकासी की जाती है तो निम्नानुसार निर्देशों का पालन किया जाना सुनिश्चित करे :–

   a. जिन मामलों में पानी की आपूर्ति पानी के टैंकरों के माध्यम से की जानी है, उन परियोजनाओं में परियोजना प्रस्तावक द्वारा पानी की आवश्यकता को केवल लाइसेंस प्राप्त टैंकर जल आपूर्तिकर्ताओं के माध्यम से पूरा किया जाना सुनिश्चित किया जाये।

   b. सक्षम प्राधिकारी (सीजीडब्ल्यूबी/सीजीडब्ल्यूए) की पूर्व अनुमति के बिना भूजल निकासी की अनुमति नहीं दी जाएगी। तदानुसार, भूजल निकासी के लिए एन.ओ.सी की प्रति सभी नियामक प्राधिकरणों, अर्थात् प्राधिकरण (राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण), क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन भारत सरकार, भोपाल, मध्य प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को प्रस्तुत की जाएगी।

   c. परियोजना प्रस्तावक भूजल निकासी के लिए एन.ओ.सी में किए गए अनुबंधों का अनिवार्य रूप से अनुपालन सुनिश्चित करेंगे और इसकी स्थिति छह मासिक अनुपालन रिपोर्ट के एक भाग के रूप में प्रस्तुत करेंगे।

2. उद्योग से उत्पन्न Waste Heat का अधिकतम पुर्नउपयोग उर्जा उत्पादन (Waste Heat Recovery Plant) के माध्यम से उद्योग में ही किया जाना सुनिश्चित किया जाये। इसी तरह उद्योग से उत्पन्न कार्बनडाई ऑक्साईड को खुले में न छोड़ा जाये तथा इसका पुर्न उपयोग सुनिश्चित करें।

3. रिसाव का पता लगाने के लिए मशीनरी के संचालन के दौरान सभी ईंधन, तेल, या द्रव युक्त फिटिंग, होसेस और सील का निरीक्षण नियमित रूप से किया जाना चाहिए एवं इसका रिकार्ड भी रखा जाये।

4. परियोजना प्रस्तावक द्वारा लोडिंग–अनलोडिंग क्षेत्र में वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु आवश्यक प्रावधान जैसे इस क्षेत्र के भू स्थल/ठोस सरफेस का विकास, क्षेत्र की साफ सफाई, इस क्षेत्र के अपशिष्ट का पर्यावरणीय दृष्टिकोण से निष्पादन एवं अन्य उपाय किए जाए।

5. अपशिष्ट जल के संबंध में परियोजना प्रस्तावक को निम्नानुसार कार्यवाही सुनिश्चित करना चाहिए:

(मुजीबुर्रहमान खान)	(अनिल कुमार शर्मा)	(अरूण कुमार भट्ट)
सदस्य सचिव	सदस्य	अध्यक्ष

- Effluent को त्रिस्तरीय उपचार प्रणाली तक उपचारित करने के लिए प्रस्तावनानुसार ETP अनिवार्य रूप से नियोजन किया जाये। प्रक्रिया में विभिन्न इकाइयों से पुनः प्राप्त अपशिष्ट जल का पुनः उपयोग किया जाये ।
- विभिन्न प्रसंस्करण इकाइयों, उपकरणों की सफाई, फर्श की धुलाई आदि से निकली अपशिष्ट जल को सेटलिंग टैंक में एकत्र किया जाना चाहिए और पुनः उपयोग किया जाना सुनिश्चित करे।
- उपचारित अपशिष्ट जल का 100% पुनर्चक्रण होना चाहिए और उद्योग इकाई से "शून्य तरल निर्वहन" (ZLD) सुनिश्चित करे।
- बारिश के पानी की निकासी के लिए स्टॉर्म वाटर निकासी की व्यवस्था की जानी चाहिए। प्रक्रिया अपशिष्ट जल को स्टॉर्म वाटर के साथ मिश्रित नहीं होने देना चाहिए।
- परियोजना प्रस्तावक को उपचारित अपशिष्ट जल की नियमित निगरानी सुनिश्चित करनी चाहिए ताकि एमपीपीसीबी/सीपीसीबी के निर्धारित मानदंडों की पुष्टि की जा सके।

6. परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तावित वृक्षारोपण के साथ ही प्लांट के चारों ओर बाउन्ड्री के किनारे तीन कतारों में वृक्षों की उन प्रजाति का चयन कर सघन वृक्षारोपण किया जावें, जिनमें प्रदूषण को अवशोषित करने की क्षमता हो।

7. सघन हरित क्षेत्र (33% से कम नहीं) साइट के चारों ओर विशेष रूप से प्रमुख हवा की दिशा में विकसित किया जाना चाहिए।

8. संयंत्र उत्पाद परिवहन हेतु ई–वाहनों की संभावनाओं को भी तलाशा जावें।

9. ईकाई से निकलने वाली दुर्गन्ध के शमन के लिये Guidelines on Odour Pollution & Its Control, May 2008, Central Pollution Board, Ministry of Environment Govt. of India यथा संशोधित यदि हो तो सुझाये उपायों के अनुकुल व्यवस्था की ज़ाये।

   a. दुर्गन्ध उत्पन्न करने वाले घटकों को चिहिन्त कर उनके लिये पर्याप्त तकनीकी दृष्टि से नियंत्रण की सक्षम कार्यवाही किया जाये। ETP के आस पास भूदृश्यीकरण कर उसे सुसज्जित करे साथ ही सुगंध उत्पन्न करने वाले पौधों/झाड़ियों का रोपण इस क्षेत्र में करे।

   b. दुर्गन्ध वाले क्षेत्रों की सीमा रेखा पर नोजल स्प्रेयर एवं एटलाइजर का निरंतर छिड़काव की व्यवस्था की जाये।

   c. उपाय जैसे मिस्ट फिल्टरेशन, वेट स्क्रबिंग, केमिकल उपचार एवं ग्रीन बेल्ट जैसे अन्य उपायों से दुर्गन्ध शमन पर प्रभावी कदम उढ़ाये जाये।

10. परियोजना अंतर्गत कार्बन फुट प्रिंट को कम करने के लिये गैर पांरपरिक ऊर्जा का उपयोग किया जाये एवं CO_2 उत्सर्जन पर नियंत्रण के उपायों पर भी व्यापक कार्य योजना बनाकर इसे कम करने हेतु सभी संभावित कार्य अनिवार्य रूप से किये जाये।

11. **Waste Water Disposal:**

(मुजीबुर्रहमान खान)
सदस्य सचिव

(अनिल कुमार शर्मा)
सदस्य

(अरूण कुमार भट्ट)
अध्यक्ष

a. Industry shall install Multi Effective Evaporator (MEE) and adequate ETP for treatment and disposal of effluent. Zero discharge shall be maintained.

b. The process condensate, boiler blow down, cooling tower blow down, spent lees after cooling should be treated in **condensate polishing unit.**

c. Spent wash should be stored in MS/SS tank. The storage of spent wash shall not exceed 5 days capacity.

d. Process effluent/any waste water should not be allowed to mix with storm water. Storm water drain should be passed through guard pond.

12. **Solid & hazardous waste :-**

a. PP should obtain authorization from MPPCB regarding hazardous waste disposal. PP should ensure disposal of hazardous waste/ by products regularly through sale or in TSDF site and there should be no dumping of these materials in the premises/outside. PP should also ensure handling, disposal and management of hazardous waste as per the Hazardous waste (Management & Handling) Rules 2000.

b. Other solid waste generated from the process shall be used as cattle-feed. Industry shall explore the possibility to make it available to the local farmers.

13. **Air Pollution Control measures :**

a. PP should provide fogging system for dust suppression.

b. PP should ensure installation of DG sets with canopy and the stack height should be as per the MPPCB norms.

c. PP should install continuous air quality monitoring station in coordination with MPPCB.

d. Industry shall install bag-house in boiler to maintain the emission level of particulate matter as per MPPCB/CPCB prescribed norms.

e. Boiler ash shall be stored separately as per CPCB guidelines So that it shall not adversely affect the air quality, becoming air borne by wind or water regime during rainy season by flowing along with storm water.

f. Bagasse ash and coal ash should be stored separately and reuse/recycle properly.

14. **Noise & Odor Environment & Management**

a. Walls and ceilings of the concerned buildings should be lined with sound absorbing materials.

b. Noise attenuating devices like ear plugs and ear muffs should be provided to the workers exposed to high noise level.

(मुजीबुर्रहमान खान)
सदस्य सचिव

(अनिल कुमार शर्मा)
सदस्य

(अरूण कुमार भट्ट)
अध्यक्ष

c. Vehicles should not be allowed to queue outside the plant on the highway. Vehicle and people flow during shift changes should be regulated by allowing exits in a phased manner.

d. D.G. Set should be enclosed in a proper acoustic enclosure to reduce the noise emanating from it.

e. Use of efficient biocides to control bacterial contamination.

f. Control of temperature during fermentation to avoid in-activation / killing of yeast.

g. Avoiding storage of fermented wash.

h. Regular use of bleaching powder in the drains to avoid growth of putrefying micro-organisms.

i. Closed operation of the process to avoid odour nuisance.

15. **Energy Conservation:**

PP should ensure installation of photovoltaic cells (solar energy) for lighting in common areas, LED light fixtures, and other energy efficient plant machineries and equipments.

16. **Disaster management:**

a. Prepare the onsite & offsite risk / disaster management plan, health and safety management plan and duly approved by the Competent Authority.

b. Fire fighting system shall be as per the norms and cover all areas where alcohol is produced, handled and stored. Provision of foam system for firefighting shall be made to control fire from made to control fire from the alcohol storage tank. DMP shall be implemented.

17. **Green Area :-**

a. PP should develop 15 m wide green belt with four rows of trees all along the periphery.

b. The plant species selection should be as per CPCB guidelines for plantation in industrial area.

c. Every effort should be made to conserve the existing trees in the project area.

d. Dense plantation shall be taken up in at least 33% of total plot area.

18. PP should make provision for MS tank for storage of finished product.

19. PP should ensure the traffic movement plan, parking facilities and road width.

(मुजीबुर्रहमान खान)
सदस्य सचिव

(अनिल कुमार शर्मा)
सदस्य

(अरूण कुमार भट्ट)
अध्यक्ष

20. PP should make a Environmental Management Cell under the guidance of MPPCB to maintain the environmental condition of the project.

21. Dedicated parking facility for loading and unloading of materials shall be provided in the factory premises. Unit shall develop the implement good traffic management system for their incoming and outgoing vehicles to avoid congestion on the public road.

परिशिष्ट–5

1. MPSEIAA द्वारा जारी कार्यालयीन ज्ञापन दिनांक 19.06.23 के अनुसार यदि परियोजना में भू जल निकासी की जाती है तो निम्नानुसार निर्देशों का पालन किया जाना सुनिश्चित करे :–

   a. जिन मामलों में पानी की आपूर्ति पानी के टैंकरों के माध्यम से की जानी है, उन परियोजनाओं में परियोजना प्रस्तावक द्वारा पानी की आवश्यकता को केवल लाइसेंस प्राप्त टैंकर जल आपूर्तिकर्ताओं के माध्यम से पूरा किया जाना सुनिश्चित किया जाये।
   b. सक्षम प्राधिकारी (सीजीडब्ल्यूबी/सीजीडब्ल्यूए) की पूर्व अनुमति के बिना भूजल निकासी की अनुमति नहीं दी जाएगी। तदानुसार, भूजल निकासी के लिए एन.ओ.सी की प्रति सभी नियामक प्राधिकरणों, अर्थात् प्राधिकरण (राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण), क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन भारत सरकार, भोपाल, मध्य प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को प्रस्तुत की जाएगी।
   c. परियोजना प्रस्तावक भूजल निकासी के लिए एन.ओ.सी में किए गए अनुबंधों का अनिवार्य रूप से अनुपालन सुनिश्चित करेंगे और इसकी स्थिति छह मासिक अनुपालन रिपोर्ट के एक भाग के रूप में प्रस्तुत करेंगे।

2. संयंत्र उत्पाद परिवहन हेतु ई–वाहनों की संभावनाओं को भी तलाशा जावें।

3. ईकाई से निकलनेवालीदुर्गन्ध के शमन के लिये Guidelines on Odour Pollution & Its Control, May 2008, Central Pollution Board, Ministry of Environment Govt. of India के सुझाये उपायों के अनुकुल व्यवस्था की जाये।

   a. दुर्गन्ध उत्पन्न करनेवाले घटकों को चिहिन्त कर उनके लिये पर्याप्त बफर जोन रखा जाये। ETP के आसपास भूदृश्यीकरण कर उसे सुसज्जित करे साथ ही सुगंध उत्पन्न करने वाले पौधों /झाड़ियोंका रोपण इस क्षेत्र में करे।
   b. दुर्गन्ध वाले क्षेत्रों की सीमा रेखा पर नोजल स्प्रेयर एवं एटलाइजर का निरंतर छिड़काव की व्यवस्था की जाये।
   c. उपाय जैसे मिस्ट फिल्टरेशन, वेटस्क्रबिंग, केमिकल उपचार एवं ग्रीनबेल्ट जैसे अन्य उपायों से दुर्गन्ध शमन पर प्रभावी कदम उढ़ाये जाये।

4. परियोजना अंतर्गत कार्बन फुटप्रिंट को कम करने के लिये गैर पांरपरिक ऊर्जा का उपयोग किया जाये एवं CO_2 उत्सर्जन पर नियंत्रण के उपायों पर भी व्यापक कार्य योजना बनाकर लक्ष्य प्राप्ति हेतु सतत् प्रयत्न अनिवार्य रूप से किया जाये।

(मुजीबुर्रहमान खान)	(अनिल कुमार शर्मा)	(अरूण कुमार भट्ट)
सदस्य सचिव	सदस्य	अध्यक्ष

5. PP should ensure zero waste water discharge from the process. As per the proposal submitted 100% waste water shall be re-cycled in the process. No water shall be discharged outside the premises.

6. The acidic liquid from the scrubbing system shall be used in the process.

7. Silica sludge from SSP manufacturing process shall be stored in designated covered and lined yard and the same shall be used as filler for the fertilizer. A logbook of the same shall be maintained.

8. The gases from the den conveyor will be separated by scrubber fan Ventury, Cyclone separator and cyclonic scrubbers.

9. PP should ensure air pollution control measure as proposed in EMP and should conduct regular monitoring of stack emissions and ambient air as per MPPCB / CPCB norms. For regular monitoring of air emission PP should installed ambient air monitoring stations.

10. PP should ensure the disposal of hazardous waste through authorized agencies and obtained consents from competent Authorities.

11. PP should ensure all the raw material shall be stored separately in designated place.

12. Garland drain surrounding the raw material storage area has to be constructed which shall be connected to the recycling system.

13. Scrubber system adequate capacity shall be installed to control fluorine and hydrogen fluoride gas emission from the stack so as to keep the values as per the norms of MPPCB.

14. Concentration of fluoride has to be monitored in the ground water on regular basis.

15. PP should obtain NOC for fire and approval for onsite offsite emergency plan, health and safety plan from the Competent Authorities.

16. Regular monitoring of influent and effluents surface, sub-surface and ground water shall be ensured and treated waste water shall be re-cycled in the process. Leachate study for effluent generated & analyses should also be regularly carried out and report submitted to ministry and MPPCB.

17. All types of solid wastes shall be handled and managed as per the prescribed norms.

18. In view of use of concentrated sulphuric acid in the process industry shall take all precautions to avoid accidents from spillage/storage/ handling etc.

19. Production of the sulphuric acid will be not allowed within the premises.

(मुजीबुर्रहमान खान)	(अनिल कुमार शर्मा)	(अरूण कुमार भट्ट)
सदस्य सचिव	सदस्य	अध्यक्ष

20. Risk & Disaster Management Plan along with the mitigation measures should be prepared and copy shall be submitted to Ministry of Environment & Forests, GoI& MPPCB.

21. Under green area development PP should ensure : -

 a) Plantation of the trees of indigenous local varieties like Neem, FicusBenjamina, Ashok, Amaltas, Canocarpus etc. Periphery Plantation should be completed within one year within the plant premises.

 b) Every effort should be made to protect the existing trees on the plot.

 c) At least 33% of the total plot area including the thick green belt shall be developed as green area through tree plantation.

22. Monthly monitoring should be done of all the environmental parameters and Environmental Management Cell meeting should be carried out every month.

23. Secondary fugitive emissions from all sources shall be controlled within latest permission limits issued by the Ministry and regularly monitored. Guidelines / Code or practice issued by CPCB shall be followed.

24. PP should ensure implementation of CER activities in consultation with District Collector/gram Panchyat of nearby villages.

परिशिष्ट–6

1. MPSEIAA द्वारा जारी कार्यालयीन ज्ञापन दिनांक 19.06.23 के अनुसार यदि परियोजना में भू जल निकासी की जाती है तो निम्नानुसार निर्देशों का पालन किया जाना सुनिश्चित करे :–

 a. जिन मामलों में पानी की आपूर्ति पानी के टैंकरों के माध्यम से की जानी है, उन परियोजनाओं में परियोजना प्रस्तावक द्वारा पानी की आवश्यकता को केवल लाइसेंस प्राप्त टैंकर जल आपूर्तिकर्ताओं के माध्यम से पूरा किया जाना सुनिश्चित किया जाये।
 b. सक्षम प्राधिकारी (सीजीडब्ल्यूबी/सीजीडब्ल्यूए) की पूर्व अनुमति के बिना भूजल निकासी की अनुमति नहीं दी जाएगी। तदानुसार, भूजल निकासी के लिए एन.ओ.सी की प्रति सभी नियामक प्राधिकरणों, अर्थात् प्राधिकरण (राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण), क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन भारत सरकार, भोपाल, मध्य प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को प्रस्तुत की जाएगी।
 c. परियोजना प्रस्तावक भूजल निकासी के लिए एन.ओ.सी में किए गए अनुबंधों का अनिवार्य रूप से अनुपालन सुनिश्चित करेंगे और इसकी स्थिति छह मासिक अनुपालन रिपोर्ट के एक भाग के रूप में प्रस्तुत करेंगे।

2. संयंत्र उत्पाद परिवहन हेतु ई–वाहनों की संभावनाओं को भी तलाशा जावें।

(मुजीबुर्रहमान खान)	(अनिल कुमार शर्मा)	(अरूण कुमार भट्ट)
सदस्य सचिव	सदस्य	अध्यक्ष

3. ईकाई से निकलने वाली दुर्गन्ध के शमन के लिये Guidelines on Odour Pollution & Its Control, May 2008, Central Pollution Board, Ministry of Environment Govt. of India के सुझाये उपायों के अनुकूल व्यवस्था की जाये।

   a. दुर्गन्ध उत्पन्न करने वाले घटकों को चिहिन्त कर उनके लिये पर्याप्त बफर जोन रखा जाये। ETP के आस पास भूदृश्यीकरण कर उसे सुसज्जित करे साथ ही सुगंध उत्पन्न करने वाले पौधों /झाड़ियों का रोपण इस क्षेत्र में करे।
   b. दुर्गन्ध वाले क्षेत्रों की सीमा रेखा पर नोजल स्प्रेयर एवं एटलाइजर का निरंतर छिड़काव की व्यवस्था की जाये।
   c. उपाय जैसे मिस्ट फिल्टरेथन, वेट स्क्रबिंग, केमिकल उपचार एवं ग्रीन बेल्ट जैसे अन्य उपायों से दुर्गन्ध शमन पर प्रभावी कदम उढ़ाये जाये।

4. परियोजना अंतर्गत कार्बन फुट प्रिंट को कम करने के लिये गैर पांरपरिक ऊर्जा का उपयोग किया जाये एवं CO_2 उत्सर्जन पर नियंत्रण के उपायों पर भी व्यापक कार्य योजना बनाकर लक्ष्य प्राप्ति हेतु सतत् प्रयत्न अनिवार्य रूप से किया जाये।

5. सघन हरित क्षेत्र (33% से कम नहीं) साइट के चारों ओर विशेष रूप से प्रमुख हवा की दिशा में विकसित किया जाना चाहिए। इकाई को प्रदुषण नियंत्रण के दृष्टिगत प्रभावी लैंडस्केपिंग की योजना बनाकर उसका परिपालन किया जाना सुनिश्चित करे।

6. Effluent को त्रिस्तरीय उपचार प्रणाली तक उपचारित करने के लिए प्रस्तावनानुसार ETP अनिवार्य रूप से नियोजन किया जाये ।

7. **Waste water Management:**

   (a) PP should maintain zero discharge from the Industry as proposed.
   (b) Separation of High & Low COD values effluent for better management of process effluent.
   (c) RO treated water will be recycle for the process and High COD effluent generation shall be completely evaporated with help of MEE so as to achieve zero discharge.
   (d) There shall be no industrial effluent discharge from the unit.

8. **For Air Pollution:**

   (a) PP should ensure air pollution control measures and stack height as proposed in the EIA/ EMP.
   (b) The performance of air pollution control system should be regularly monitored and maintained.
   (c) PP should ensure regular stack monitoring & ambient air quality monitoring and should be carried out as per the guidelines/norms of MPPCB/CPCB.
   (d) In plant control measures for checking fugitive emission from all the vulnerable sources shall be provided. Fugitive emission shall be controlled by providing closed

(मुजीबुर्रहमान खान)	(अनिल कुमार शर्मा)	(अरूण कुमार भट्ट)
सदस्य सचिव	सदस्य	अध्यक्ष

storage, closed handling & conveyance of chemicals/materials, multi cyclone separator/bag filters and water sprinkling system.

(e) Dust suppression system including water sprinkler system/ foaming arrangement shall be provided at loading and unloading areas to control dust emission.

(f) Fugitive emission in the work zone environment, product, raw material storage areas etc. shall be regularly monitored.

(g) Transportation of raw material and finished goods should be carried out in covered trucks.

(h) For control of fugitive emission and VOCs following steps should be followed:-
- Chilled brine circulation system shall be provided and it should be ensured that the solvent recovery efficiency will not be less than 95%.
- Reactor and solvent handling pump shall be provided with mechanical seal to prevent leakage.
- Closed handling system should be provided for chemicals.
- System of leak detection and repair of pump/pipeline should be based on preventive maintenance.
- Solvent shall be taken from underground storage tank to reactor through closed pipeline. Storage tank shall be vented through trap receiver and condenser operated on chilled water.

9. **Hazardous Waste:**

(a) PP should ensure disposal of hazardous waste regularly and there should be no dumping of these materials in the premises/outside.

(b) PP should ensure handling, disposal and management of hazardous waste as per the related prescribed rules.

(c) PP should obtain renewal of authorization regularly from MPPCB for collection storage and disposal of hazardous waste (Management, Handling & Trans Boundary Movement) Rules 2008 and its amendments. Membership of the TSDF should be obtained for hazardous waste disposal.

(d) Hazardous chemicals should be stored in sealed tanks, drums etc. Flame arrestors shall be provided on tanks. To avoid the spillage from processing unit, Industry shall provide fully mechanized filling and packaging operation unit.

(e) PP should provide RCC layer and double layered HDPE lining for primary and secondary leachate collection.

10. PP should ensure installation of photovoltaic cells (solar energy) for lighting in common areas, LED light fixtures and energy efficient equipments.

11. **Green Belt:**

(a) PP should ensure plantation in area of >33% (as committed) of the total plot area and Plantation in the project area of indigenous local varieties like Neem, Peepal, Kadam, Kachnaar etc.

(b) Every effort should be made to protect the existing trees on the plot.

(मुजीबुर्रहमान खान)
सदस्य सचिव

(अनिल कुमार शर्मा)
सदस्य

(अरूण कुमार भट्ट)
अध्यक्ष

(c) Green area including thick green-belt shall be developed in the plot area to mitigate the effect of fugitive emissions all around the project area in consultation with the forest department as per the guidelines of CPCB.

12. PP should ensure the implementation of CER activities on regular basis in consultation with the Gram Panchayat of the respective villages & also adopt nearby villages for development of infrastructure in Anganwadi.

13. PP should obtain NOC /approval from competent authority for health & safety measure, Onsite & Offsite disaster management, and Risk management plan before commencing the operation of the unit.

14. In the event of failure of any pollution control system adopted by the unit, the unit shall be safely closed down and shall not be restarted until the desired efficiency of the control equipment has been achieved.

15. PP should ensure to conduct regular on site and of site mock drill as per Health and Safety Norms.

16. PP should ensure disposal of storm water (if any) to linkage with AKVN (DMIC) drainage system.

17. Total quantity of runoff water generated and green belt area should be collected in underground tank & used for process in plant to minimize fresh water requirement.

(मुजीबुर्रहमान खान)	(अनिल कुमार शर्मा)	(अरूण कुमार भट्ट)
सदस्य सचिव	सदस्य	अध्यक्ष